राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 3] चतुर्थ विधान सभा के तृतीय सत्र का चौथा दिवस [संख्या 4

बृहस्पतिवार, दिनांक 29-8-1968

विधान सभा की बैठक म० पू० 11.5 को विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री निरंजन नाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[कृषि, सामान्य प्रशासन, नियुक्ति, सार्वजनिक निर्माण, यातायात, पर्यटन, पशपालन, आयुर्वेद, गृह एवं विद्युत् विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न

प्रश्न सं० 59

पंचायत समितियों में कृषि ऋण

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनू): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने कुछ पंचायत समिति ां ऐसी चुनी हैं जिनमें कृषि का ऋण केवल भूमि बंधक बेंक द्वारा ही दिया जावे और कृषि विभाग व पंचायत समितियों द्वारा नहीं दिया जावे ? यदि हां, तो ऐसी कौन कौन सी पंचायत समितियां हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या यह सही है कि अलवर जिले की पंचायत समिति राजगढ़ और उमरेन उपरोक्त स्कीम में हैं और उनको कृषि विभाग द्वारा ऋण दिया गया है ? यदि हां, तो किस किस कार्य के लिये कितना कितना ऋण उपरोक्त योजना लागू होने के बाद कब दिया? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) उपरोक्त योजना लागू होने के बाद उपरोक्त समितियों के अलावा और किन्हीं समितियों को जो उक्त योजना के अन्तर्गत आई हैं, यदि कृषि विभाग से ऋण दिया गया हो तो उनकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उप-मंत्री, कृषि (श्री हरिसिंह बेगं): (1) यह सही है कि राज्य सरकार ने कुछ पंचायत समितियां ऐसी चुनी हैं जिनमें कृषि के ऋण भूमि बंधक बैंक द्वारा दिये जाते है। वर्ष 67-68 के लिये चुनी गई ऐसी 50 पंचायत समितियों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) यह सही है कि अलवर जिले की पंचायत समिति राजगढ़ और उमरेन उपरोक्त स्कीम में हैं । उपरोक्त स्कीम के लागू होने के बाद वर्ष 67-68 में पंचायत समिति राजगढ को कृषि विभाग द्वारा लघु सिचाई कार्य के लिये कोई ऋण नहीं दिया

Page No. 2

(उप-मंत्री, कृषि)

गया । पंचायत समिति उमरेन को वर्ष 67-68 में निम्न ऋण लघु 'सिंचाई' कार्यों के लिये दिया गया:— कूप निर्माण हेतु 25,000 रु० पम्पिंग सेट हेतु 50,000 रु० उक्त ऋण पिछले अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए दिया गया ।

(3) उपरोक्त योजना लागू होने के बाद उपरोक्त पंचायत समितियों में से निम्न पंचायत समितियां उमरेन पंचायत समिति के अलावा को वर्ष 67-68 में लघु सिंचाई योजना के अधीन पिछले अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिये कृषि विभाग द्वारा निम्न ऋण दिया गया:—

जिला अलवर :

पंचायत समिति	कूप निर्माण	पम्पिग सेट
(1) गोविन्दगढ़	—	50,000
(2) खतूमर	—	50,000
(3) रामगढ़	25,000	50,000

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री हरजीराम बुरड़क : क्या यह सही है कि इन पंचायत समितियों के अलावा दूसरी पंचायत समितियों के कार्य अधूरे थे ?

श्री हरिसिंह : क्या ?

श्री हरजीराम बुरड़क : आपने यह कारण बताया—अधूरे कार्यों को बताया तो इन 4 पंचायत समितियों में अधूरे कार्य हैं बाकी में नहीं हैं ?

श्री हरिसिंह : बाकी की डिमान्ड विभाग में नहीं आई ।

श्री हरजीराम बुरड़क : क्या यह सही है कि दूसरी पंचायत समितियां जिन से डिमाण्ड नहीं आई उनको इत्तला नहीं दी ? क्या आपके डिपार्टमेंट ने सर्वे किया है कि इन्हीं पंचायत समितियों में कार्य अधूरे हैं ?

कृषि मंत्री (श्री शोभाराम) : सवाई माधोपुर की एक पंचायत समिति की दरख्वास्त आई थी । उसको 40,000 रुपये मंजूर करने के बाद क्योंकि साल खतम हो चुका था, सेंक्शन जारी नहीं हुई थी । बहुत से माननीय सदस्य भ्रम में होंगे 20 लाख जो पंचायत समिति को माईनर ईरीगेशन के थे वह रकम 8-1-68 को मिली और ये 20 लाख भी तीन डिबेन्चर की सिरीज में मिले । नतीजा यह हुआ कि जो डिबेन्चर और बढ़ने चाहिये थे वह नहीं मिले । पंचायत समिति के जो अधूरे कार्य थे उनको करने में यह पंचायत समिति 'असमर्थ' रही । वे मार्च और जुलाई में कम्पलीट हुई । एक तरीके से उस जिले के लिए जो 60 हजार के औसत से आता था । एक करोड़ 8 लाख पंचायत समिति को अलाट किया गया जो 60 लाख के आधार पर आता है । उसी बात को नजर में रखते हुए 50 पंचायत समितियों को रखा गया था । जो डिबेन्चर सीरीज थी वह मार्च में पूरी हुई, उसका फल उनको नहीं मिल पाया जो कमिटमेंट थे उनको पूरा करने के लिए रखा था । इसके अलावा एक पंचायत समिति की दरख्वास्त आई थी और किसी की नहीं आई ।

श्री हरजीराम बुरड़क: माननीय मंत्री महोदय ने दूसरी ही बात कही है मैं यह जानना चाहता हूं कि जो ऋण दिया गया वह क्या पम्पिग सेट के लिये दिया गया क्योंकि पम्पिग सेट का काम तो अधूरा नहीं रहता है तो फिर पम्पिग सेट के लिये कैसे ऋण दिया ?

श्री शोभाराम : मैंने आपसे कहा पम्पिग सेट और कुओं के लिए जो रकम 66-67 में मन्जूर हो चुकी थी और जिनका पेमेन्ट नहीं ले पाये। 1 अप्रेल से यह फैसला ले लिया गया पचास पंचायत समितियों के लिए बीस लाख का प्रोवीजन कर दिया गया लेकिन उसका पेमेन्ट नहीं हो पाया। वैसे यह रोटेशन से चलता है। मन्जूरी हो चुकी थी लेकिन वह पैसा नहीं ले सके इसलिए दिया गया। अधूरे कार्य का सवाल नहीं था।

श्री हरजीराम बुरड़क: अभी उप-मंत्री महोदय ने फरमाया कि पम्पिग सेट के लिए ढाई लाख के करीब दिया गया पम्पिग सेट का कार्य कभी अधूरा नहीं होता।

श्री शोभाराम : कुओं के लिए जो अधूरा कार्य था उसके लिये दिया गया। पहले इनके लिए सेंक्शन हो गई थी।

श्री हरजीराम बुरड़क : तो क्या उप-मंत्री का उत्तर गलत समझा जाय ?

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : आपके जवाब से पेचीदगी पैदा होगई है पम्पिग सेट का मामला अधूरा नहीं कहा जा सकता सेंक्शन अधूरी रह गई थी तो हम यह जानना चाहते हैं कि अधूरी थी तो किसके पेटे ऋण दिया गया और कितनों का बाकी रहा ?

श्री शोभाराम : सेंक्शन्स अधूरी नहीं थी 66-67 में पंचायत समितियों को सेंक्शन दी जा चुकी थी खास तौर से उनके लिए प्रोवीजन किया था जो कुओं के लिए और पम्पिग सेट के लिए थी पर उन्होंने समय पर रुपया उठाया नहीं अतः उस सेंक्शन को ऑनर करने के लिए कुओं के लिए जो 66-67 की इन्स्टालमेन्ट्स बाकी थीं वह रुपया पंचायत समिति के माध्यम से बाई रोटेशन देते रहते हैं।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : अनेक ऐसी पंचायत समितियां हैं जिनकी सेंक्शन दी हुई है उनका काम अधूरा रह गया है लेकिन उनको लोन नहीं दिया गया।

श्री शोभाराम : मेरे सामने गंगापुर का सवाल आया था उसमें तीस हजार की सेंक्शन की गई उसके बाद मार्च में वे क्लोज ऑफ दी इयर में जब सेंक्शन जारी हुई टेक्निकल डिफीकल्टी के कारण वे पैसा उठा नहीं सके। इसके अलावा और किसी भी पंचायत समिति की दरख्वास्त नहीं थी।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : जिन पंचायत समितियों को ऋण दिया गया वह मंत्री महोदय के चुनाव क्षेत्र की हैं ?

श्री शोभाराम : मैं आपको बताऊं कठूमर मा० गंगासहाय जी का क्षेत्र है जो जनसंघी हैं इसमें पार्टी कन्सीडरेशन का सवाल बिल्कुल नहीं रखा जाता।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट श्री ललितसिंह

एस० डी० ओ० के विरुद्ध आरोपों की जांच

60. **श्री ललितसिंह** (बड़ी सादड़ी) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्री आसकरण अग्रवाल एस० डी० ओ० राजसमन्द के विरुद्ध भ्रष्टाचार अथवा ऐसे ही आरोपों के संबंध में इन्क्वायरी राजकीय स्तर पर आरम्भ है ? यदि हां, तो कब से और किन किन आरोपों के संबंध में ?

Page No. 4

(श्री ललितसिंह)

(2) उक्त आरोपों की कार्यवाही किस स्टेज पर है और इसमें कितना समय और लगेगा ?

उप-मन्त्री, सामान्य प्रशासन (श्री प्रद्युम्नसिंह) :(1)जी हां, दिनांक 12-12-66 से। गांव बरियारा में भूमि का अॅलाटमेन्ट करने तथा पंचायत आलनपुर में प्लाट का अलॅाटमेन्ट करने में अनियमितता व पक्षपात बरतने बाबत ।

(2) अभिलेख का निरीक्षण करने की स्टेज पर है यथा संभव शीघ्रता की जा रही है ।

श्री ललितसिंह : क्या उस एस० डी० ओ० को सस्पेन्ड कर दिया है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : जी नहीं ।

श्री रोशनलाल: सस्पेन्ड नहीं करने का क्या कारण है ? जांच चल रही है, जब उन पर आरोप लगाया, चार्ज शीट दी गई तो सस्पेन्ड करना आवश्यक क्यों नहीं समझा ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : इस तरह के मामलों के अन्दर सस्पेन्ड नहीं किया जाता ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री भगवानदास शास्त्री ।

अजमेर नगर परिषद् द्वारा सिक्योरिटी की राशि में वृद्धि ।

61. **श्री भगवानदास शास्त्री** (अजमेर-पश्चिम) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सत्य है कि अजमेर नगर परिषद् ने पानी के एक कनेक्शन के लिये जो 10 रु० सिक्योरिटी वसूल होती थी उसे 15 रु० कर दिये हैं ? यदि हां, तो किस कारण किये गये और राज्य के किन किन नगरों में 15 रु० सिक्योरिटी के लिये जाते हैं ?

(ख) क्या सरकार इसे कम करवाने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

(ग) क्या यह सही है कि गृह कर न देने पर भी पानी के कनेक्शन काटे जाते हैं ? यदि हां, तो गृह कर का पानी से क्या संबंध है ?

(घ) क्या यह सही है कि कटा हुआ कनेक्शन दुबारा जोड़ने पर नगर परिषद् 10 रु० लेने लग गई है ? यदि हां, तो राशि बढ़ाने का क्या कारण था ? क्या ऐसा ही नियम राज्य की अन्य नगरपालिकाओं में भी है ? यदि नहीं, तो अजमेर में ही क्यों है ?

(ङ) क्या यह सही है कि पानी के कनेक्शन के लिए एक फार्म की कीमत 1 रुपया वसूल किया जाता है ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्रीमुल्कराज थिन्द) : (क) जी नहीं । बल्कि पानी के कनेक्शन की सिक्युरिटी निम्नलिखित दरों से ली जाती है:–

(1) आधा इन्च पानी का नल 50 रु०

(2) 3।4 इन्च पानी का नल 75 रु०

(3) एक इंच व ऊपर पानी का नल 100 रु०

राज्य सरकार ने सभी नगरों में, जहां वाटर सप्लाई है, उपरोक्त दरें, विज्ञप्ति दिनांक 1-7-67 के अन्तर्गत लागू की हैं ।

(उप-मंत्री, स्वायत शासन)
(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) जी हां । सब जगह समान है ।

(ङ) जी हां । नियमानुसार लिया जाता है ।

श्री भगवानदास शास्त्री: मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे, आपने कहा है इससे पानी के कनेक्शन का संबंध नहीं है ऐसे बहुत से मामले हैं जिनमें हाउस टैक्स पेमेन्ट नहीं हुआ और कनेक्शन की एप्लीकेशन दी जाती है तो कहा जाता है पहले गृह कर जमा करवाओ अगर गृह कर नहीं देते हो तो पानी का कनेक्शन नहीं दिया जाता है । आप यह स्पष्ट करें कि नगर पालिका द्वारा जितने कर बढ़ाये गये हैं उसके अनुसार कनेक्शन के लिए पचास रुपया जमा कराना होता है वहां 65 रुपया लिया जाता है फार्म जहां फ्री मिलता था उसका एक रुपया लिया जाता है । म्युनिसिपल एक्ट 1959 के अन्तर्गत सब-क्लाज के कुछ रूल्स बने हैं लेकिन प्रशासक महोदय ने वहां रेट बढ़ा दिये हैं ?

श्री मुल्कराज थिन्द: पहले जब म्युनिसिपैलिटी के अधीन था उस समय दस रुपया लिया जाता था जब वहां वाटर सप्लाई स्कीम चालू हुई 1-7-67 से जो विज्ञप्ति प्रकाशित हुई उसके अनुसार लागू की जाती हैं दरें ।

जहां तक गृह कर का सवाल है उसके बिना वाटर कनेक्शन काट दिया जाता है ऐसी जानकारी मेरे पास नहीं है । ऐसी जानकारी देने पर जांच की जा सकती है ।

श्री भगवानदास शास्त्री: जब पानी के कनेक्शन की दरें बढ़ायी गई उस समय भारती जनसंघ ने टोकन स्ट्राइक की थी नगरपालिका के सामने नगरपालिका के कमिश्नर ने पत्र लिखा आपका प्रतिनिधि मंडल मुझसे मिला है सब-क्लाज हमारे पर थोपा गया है अगर आप विधान सभा में तय करा सकते हो तो रूल्स में चेन्ज करवाइये । मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि जो दर बढ़ाई गई है उसके संबंध में असेम्बली द्वारा उसमें चेन्ज हो सकता है । पब्लिक की मांग को किस तरह से पूरा किया जा सकता है ?

श्री मुल्कराज थिन्द: जो दर बढ़ाई गई है वह सभी नगरपालिकाओं के लिए बढ़ायी गई है जब वाटर सप्लाई की स्कीम सभी जगह लागू की गई तो सभी जगह दरें बढ़ायी गई उससे अजमेर में भी बढ़ायी गई ।

जो प्रशासक ने यह कहा है उसकी जानकारी हमें नहीं है जानकारी आप देंगे तो इन्क्वायरी करके कार्यवाही की जायगी ।

श्री मूलचन्द डागा: जल प्रदाय योजना है उसका पैसा नगरपालिकाओं से वसूल करते हैं कितनी धनराशि किस आधार पर करते हैं ?

श्री मुल्कराज थिन्द: यह अलग से प्रश्न है ।

थानेदार डूंगला के विरुद्ध शिकायतें

62. **श्री दौलतराम सारण** (डूंगरगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या थानेदार डूंगला जिला चित्तौड़ के विरुद्ध रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार और पक्षपात की शिकायतें राज्य सरकार के अथवा एस० पी० चित्तौड़ व आई० जी० के पास आई थीं ?

(श्री दौलतराम सारण)

(2) क्या थानेदार की भ्रष्ट कार्यवाहियों के विरुद्ध क्षेत्र की जनता ने सामुहिक प्रदर्शन द्वारा तथा जुलूस निकाल कर रोष असन्तोष और क्षोभ प्रकट किया था ?

(3) क्या यह सही है कि इसी कारण राज्य सरकार ने थानेदार को डूंगला से अन्यत्र बदल दिया था ?

(4) यदि हां, तो थानेदार के विरुद्ध जो शिकायतें थीं उनकी क्या कोई जांच करवाई गई अथवा कोई अन्य कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं और की गई तो क्या व किसके द्वारा ?

उप-मंत्री, गृह (श्री हीरालाल देवपुरा) :

(1) जी हां ।

(2) दिनांक 25-6-68 को एक जुलूस निकाला गया था जिसमें थानेदार के खिलाफ भी नारे लगाये गये थे ।

(3) थानेदार का स्थानान्तरण प्रशासकीय आधार पर किया गया है ।

(4) थानेदार के विरुद्ध जो शिकायतें थीं, जिनकी जांच उप-अधीक्षक आरक्षी निम्बाहेड़ा के द्वारा कराई गई । सिर्फ एक शिकायत बाबत श्री त्रिवेदी के साथ दुर्व्यवहार होना साबित पाई गई, जिस पर उप-निरीक्षक को दफा 17 सी०पी०ए०के तहत चार्जशीट दिया गया है ।

श्री अध्यक्ष : श्री सारण ।

श्री दौलतराम सारण : क्या आप यह जरूरी नहीं समझते कि जिस प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार और रिश्वत खोरी और पक्षपात अदि के गम्भीर आरोप हों उसके खिलाफ आप कहते हैं कि आपने जांच करवाई और केवल दुर्व्यवहार की शिकायत मिली । और ऊपर कहते हैं जी हां पहले के उत्तर में और नीचे कहते हैं केवल एक शिकायत मिली तो इनमें कौनसा उत्तर सही है । अगर शिकायत चाहे एक ही मिलो, चाहे कितनी ही मिलो, मिली, फिर जी हां कैसे हुई ?

श्री हीरालाल देवपुरा : एक साबित हुई बाकी साबित नहीं हुई और जी हां तो इसलिए कहा कि शिकायत प्राप्त हुई तो कह दिया जी हां । इसलिए कन्ट्राडिक्टरी कुछ नहीं है ।

श्री दौलतराम सारण : शिकायतकर्त्ताओं से पूछा गया जांच के दौरान या नहीं ?

श्री हीरालाल देवपुरा : इससे स्पष्ट है, उसी के आधार पर नतीजा निकला ।

श्री दौलतराम सारण : यह भी जांच की यह राजनैतिक शिकायत है ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट । राजवी श्री रूपसिंह ।

प्रशासन में हस्तक्षेप

63. **राजवी श्री रूपसिंह** (सरदार शहर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि राजस्थान में तमाम डिपार्टमेन्ट्स में सभी छोटे व बड़े आफीसर्स अपने पोस्टिंग, प्रमोशन, ट्रान्सफर इत्यादि के लिए पोलिटिकल प्रेशर, मिनिस्टरों, सेक्रेटरीज व हैड़ आॅफ डिपार्टमेन्ट पर डलवाते रहते हैं जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन में अनियमितता आती जा रही है व करप्शन

(राजवी श्री रूपसिंह)

बढ़ता जा रहा है और राइट व्यक्ति का पोस्टिंग व प्रमोशन राइट जगह पर भी नहीं हो पा रहा है ?

(ख) क्या यह सही है कि इस काम में ज्यादा कन्ट्रीब्यूशन पोलिटिकल टाउट्स व चन्द राजनैतिक नेताओं वगैरह का है ?

(ग) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त लोग अपनी आय को सप्लीमेन्ट करने के लिये ऐसा करते हैं व विधायकों को विधान सभा का काम न करने देकर इन्हीं कामों में लगाये रखते हैं ।

(घ) क्या इस प्रकार की नाजायज भट्टी व करप्शन से भरी सचिवालय प्रेक्टिस को रोकने के लिए सरकार कोई कानून बनाने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (क) इस प्रकार की कोई शिकायत अब तक लिखित रूप में प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) जी नहीं । ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री रामकिशन (वैर) : इतना बढ़िया उत्तर सदन में आज तक कभी प्राप्त नहीं हुआ । मुख्य मंत्री ने आज जो जवाब दिया 20 सालों में उससे बढ़िया जवाब नहीं दिया होगा । इसके लिये तो प्रशंसा करता हूं । आपका ही राज इतना बढ़िया है युधिष्टर के बाद ।

श्री अध्यक्ष : सप्लीमेन्टरी प्रश्न करें ।

श्री रामकिशन (वैर): अध्यक्ष महोदय, प्रश्न क्या करें । कहीं प्रश्न करने की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी हैं ।

राजवी श्री रूपसिंह : क्या यह सही है कि आफ्टर दी फोर्थ जनरल इलेक्शन सेक्रेटरियों और हैड आफ दी डिपार्टमेन्ट्स के पास पोलिटिकल टाउट्स विधायकों को भेजते हैं और वे सिफारिशों के साथ उनको एप्रोच कराते हैं और उनसे मन्त्रियों को व दीगर आदमियों को पैसा दिलाकर ट्रान्सफर कराते हैं लोग ? वे पब्लिक से रिश्वतें लेते हैं कि नहीं और दूसरों को देते हैं कि नहीं ? क्या इस तरह से भ्रष्टाचार नहीं फैला है ? चीफ मिनिस्टर साहब, मैं खुद इसके सुबूत दे सकता हूं ।

(हीयर हीयर की आवाजें)

रिश्वतें देते हैं और अपोइन्टमेन्ट्स और ट्रान्सफर कराते हैं । ऐसे मामलों का मैं विरोध करूंगा । मेरी लाइफ का यह ऐम है कभी रिश्वत न लूंगा, न लेने दूंगा । मैंने अपने कार्यकाल में अपने इलाके में रिश्वतें लेना बन्द कर दिया । क्या वास्तव में आप इनको बन्द करना चाहते हैं ? क्या आप कह सकते हैं कि वास्तव में आप लोगों ने रिश्वतें नहीं लीं ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर । प्रश्न हो गया।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आपके प्रश्न में कहा गया है कि लेजिस्लेचर के मेम्बर और पोलिटिकल एजेन्ट्स टाउट्स की तरह काम करते हैं और रिश्वतें इस प्रकार से देते हैं और इसके लिये कहा कि वे तथ्य दे सकते हैं । मैं समझता हूं यह गम्भीर

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

प्रश्न है। सदन के माननीय सदस्यों पर ही आक्षेप है कि वे टाउट्स हैं और रिश्वतें लेते देते हैं। अच्छा हो कि वे इन मामलों में प्रकाश डालें और फेक्ट्स सामने रक्खें।

इस प्रश्न के अलावा उन्होंने मुझे आज तक किसी भी माननीय सदस्य के लिये या पोलिटिकल एजेन्ट्स के लिये नहीं कहा कि वे टाउट्स की तरह पैसा लेकर काम करते हैं और जो मैं आज कह रहा हूं इस आधार पर कह रहा हूं कि किसी ने भी, पैसा लेकर कोई काम करता है इस प्रकार की शिकायत नहीं की। यह लाइट प्रश्न नहीं है। यह लेजिस्लेचर के सभी इधर या उधर बैठने वाले मेम्बरों के लिये है। उनके हिसाब से मेम्बरों ने यह धन्धा बना रखा है यह रिफ्लेक्शन भी निकलता है।

राजवी श्री रूपसिंह : मैंने ठीक कहा है। टाउट्स की तरह काम करते हैं और क्या यह सही है कि आप कानून इसीलिये नहीं बनाना चाहते क्योंकि आपको डर है कि अगर कानून बना दिया जावेगा तो बहुत सों के इन्कम के सोर्स बन्द हो जावेंगे ?

श्री अध्यक्ष : हाईपोथेटिकल।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर): जनता को बिलकुल चैन नहीं है, पैसा और रिश्वतें देने के बाद भी उनका काम नहीं होता है।

राजवी श्री रूपसिंह : डेढ़ साल के अरसे में मुझे यह तजुर्बा हुआ कि आप यह भ्रष्टाचार रोकना नहीं चाहते। पर मेरा एक ध्येय प्रिन्सिपल लाइफ का रहा है जैसे मनोहर सिंहजी मेहता का रहा है कि 'शराबबन्दी हो', उसी तरह मैं चाहता हूं कि करप्शन बन्द हो। मैं जूडीसियल विभाग में भी रहा और वहां मैंने रिश्वत बन्द की। इलेक्शन में जीतकर आया तो अपनी कान्स्टीटूयन्सी में भी रिश्वत नहीं पनपने दी। विधायक बन कर आया तो मैंने एक चीज देखी कि विधायक भी हर काम कराने में पैसा लेने व रिश्वत देने की बात सोचते हैं तो मैंने इसलिये रिश्वत बन्द करने की बात और इसके लिये कानून बनाने की बात सुखाड़ियाजी साहब से कही। पर उन्होंने कहा कि मेरे पर पार्टी वाले प्रेशर डालते रहते हैं इसलिये प्रेशर टैकटिक्स की वजह से कुछ नहीं कर सकता।

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : सप्लीमेन्टरी प्रश्न करें।

राजवी श्री रूपसिंह : मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर कांग्रेस से कहा कि कानून लाकर इसे बन्द कर सकते हैं और इसलिये यह क्वेश्चन रखा कि कानून बन जावे ताकि आइन्दा कोई रिश्वत न ले सके। अगर कानून नहीं बनावेंगे तो दो ही रास्ते रह जाते हैं मेरे लिये कि आपकी पार्टी को छोड़ दूं या खुद रिश्वतें लेकर लाखों करोड़ों जैसे दूसरे साथी कमाते हैं वैसे मैं भी कमाऊं। मेरे प्रिन्सिपल के मुताबिक मैं रिश्वत ले नहीं सकता इसलिये मैं चाहता हूं कि कानून बनाकर आप रिश्वत को बन्द करें। अगर आप इसे कानून बनाकर बन्द नहीं कर सकते ह तो मेरे लिये एक ही रास्ता है कि मैं इस पार्टी को छोड़ कर इन्डिपेन्डेन्ट विधायक जहां पहले था, वहां जाकर बैठूं। सरकार से कह देता हूं कि इसी समय इस के विरोध में कांग्रेस पार्टी को मैं छोड़ता हूं और अपोजीशन में बतौर इन्डिपेन्डेन्ट विधायक के बैठ रहा हूं।

(शोरगुल–अश्रव्य)

राजवी श्री रूपसिंह कांग्रेस पार्टी की सीट से उठ कर विरोधीपक्ष की सीट पर बैठ गये)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज आर्डर ।

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) : क्यों मुख्य मन्त्रीजी, हुई सौ सुनार की, एक लुहार की ?

(‘सुखाड़िया कुर्सी छोड़, दो’ इस सरकार का नाश हो’ के नारे विरोधी पक्ष से लगाये गये)

श्री विजयसिंह (मकराना): भ्रष्टाचारी रह नहीं सकते हैं ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माननीय अध्यक्षजी, माननीय सदस्य ने जब वे जूडीशियरी में थे उस वक्त काफी ईमानदारी से काम किया । उन्होंने जो कुछ कहा उसके लिये मुझे टिप्पणी नहीं करनी है यह प्रश्न लाया ही इसीलिये गया था कि उनको इस तरह से उस तरफ जाना था ।

(शोरगुल–व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : खास तौर से अध्यक्ष महोदय····(शोरगुल) !

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर ।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : ये करप्ट और भ्रष्टाचारी हैं । (शोरगुल-अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : आर्डर । माननीय सदस्य ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : पार्टी में जिस तरह से काम ये चला रहे थे उसके लिये पार्टी के माननीय सदस्यों ने उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिये मुझ से कहा था । अब वह अनुशासनात्मक कार्यवाही न हो जावे उसकी पेशबन्दी भी इस तरह की गई है ।

राजवी श्री रूपसिंह : झूठ बोलते हैं ।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : क्या अध्यक्ष महोदय, यह सही है ?

राजवी श्री रूपसिंह : मेरे पास कितनी खुशामदें की गई और किस तरह से एप्रोच किया गया है यह मैं जानता हूं । वे भी जानते हैं । इसलिये किसी के कहने से नहीं, अपनी इच्छा से वापिस आया हूं । अनुशासन की बात कही । आज मैं देखता हूं रात दिन वे आपस में झगड़ते रहते हैं । रात दिन खड़े होकर बोलते हैं । उन के पैर पकड़ते हैं । आप दूसरों को उठा कर ले जा रहे हैं मेरे साथी को····

अत्यन्त शोरगुल–अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर ।

(लगातार शोरगुल, तालियां–अश्रव्य)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने जिन शिकायतों के सम्बन्ध में एक बात सदन में कही वहां मुद्दा एक रह गया । मैं जानना चाहता हूं कि जो शिकायतें भ्रष्टाचार की मन्त्रियों के सम्बन्ध में उनको प्राप्त होती हैं उनके निराकरण की दृष्टि से भी क्या कुछ प्रबन्ध हो गया है ? किसको जांच के लिये वह दिया जावेगा ? मामला यह गंभीर है, अभी तक आप ने इसकी व्यवस्था की नहीं है ।

Page No. 10

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : किस के बारे में ?

राजवी श्री रूपसिंह : जो शिकायत टाउट्स की है ।

एक माननीय सदस्य : अलग से कैसे हुआ । मुख्य मंत्री महोदय ने कहा है कि शिकायत प्राप्त नहीं हुई अगर प्राप्त होती तो मैं जांच करता ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट । उत्तर दे दिया गया है ।

श्री मूलचन्द डागा । प्रश्न संख्या 64

नगरपालिका पाली द्वारा भूमि की खरीद

64. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या नगरपालिका पाली ने 5000) रुपये में कोई एग्रीकल्चरल लैंड पाली शहर की कांकड़ में अचलाराम भांवी व मांगीलाल सरगरा से तारीख 1-2-68 को खरीद की है ? यदि हां, तो कितने बीघा? और उस खरीद में कितनी रकम खर्च हुई है ?

(2) क्या यह सत्य है कि अनुसूचित जाति के लोग खेती की जमीन कानून के अन्तर्गत ट्रान्सफर नहीं कर सकते ? यदि हां, तो फिर यह जमीन कैसे ट्रान्सफर हुई ?

(3) क्या यह सत्य है कि भूतपूर्व नगरपालिका पाली ने खाद बनाने के लिये श्री शंकरलाल जड़िया पुत्र रूपचन्दजी स्वर्णकार, पाली से जमीन किराए पर ली थी ? यदि हां, तो कितने बीघा ?

(4) क्या यह सत्य है कि भूतपूर्व नगरपालिका पाली ने खाइयां खुदवा कर खाद तैयार करवाया था ? यदि हां, तो यह दूसरी जमीन बिना बोर्ड के प्रस्ताव के और बिना सरकार की मन्जूरी के कैसे ले ली गई ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री मुल्कराज थिन्द): अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है इसलिये अगले टर्न पर रख दिया जाये ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट । श्री लाभचन्द वैद ।

चाड़वास में बस स्टाप

65. **श्री लाभचन्द वैद** (सुजानगढ़): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या बीकानेर से जयपुर जाने वाली कोई भी बस चुरू जिला स्थित चाड़वास में नहीं ठहरती ? अगर हां, तो क्यों ?

उप-मन्त्री, यातायात (श्री समरथलाल) : जी हां, नहीं ठहरती । चूंकि यह कोई बस स्टाप नहीं है । इस मार्ग की लम्बाई देखते हुए केवल दस बस स्टाप प्रमुख स्थानों पर निश्चित किये हुए हैं । चाड़वास के पास भी एक बीदासर बस स्टाप निश्चित किया हुआ है ।

श्री लाभचन्द वैद : आपकी नीति के अनुसार कितनी जनसंख्या के ऊपर आप बस स्टाप मुकर्रर करते हैं ?

यातायात मन्त्री (श्री अमृतलाल यादव) : अध्यक्ष महोदय, बस स्टोप बीदासर के पास स्थित है और 4 मील ही वहां से लगता है और जयपुर से बीकानेर जो मार्ग है वह

(यातायात मंत्री)
केवल 235 मील का है। अगर चार-चार मील पर स्टापेज रखेंगे तो वक्त पर गाड़ी नहीं पहुंच पायेगी और चार-चार मील पर स्टोपेज रखना सम्भव भी नहीं है।

श्री लाभचन्द वैद : आपको मालूम है कि उसकी क्या जनसंख्या है ?

श्री अमृतलाल यादव : मैंने इसकी जानकारी तो नहीं की।

श्री लाभचन्द वैद : लेकिन एक इम्पार्टेन्ट कस्बा है और वहां पर बस स्टेन्ड होना जरूरी है और आते जाते दूसरी बसें प्रायः वहां ठहरती हैं और यह बस भी अगर चाड़वास ठहरे तो लोगों को तकलीफ नहीं हो। इससे बीदासर और चाड़वास नजदीक पड़ जायेंगे।

श्री रघुनाथ विश्नोई : बस स्टेन्ड कायम करने के आधार क्या हैं ?

श्री अमृतलाल यादव: सवारियों की उपलब्धी और वहां पर गाड़ियां समय पर पहुंचें, डाइरेक्ट पैसेंजर्स को ज्यादा समय नहीं लगे और वहां की जनता की सुविधायें।

श्री लाभचन्द वैद : क्या आपने जानकारी की है कि चाड़वास के बस स्टेन्ड पर कितने लोग आते हैं ? वहां पर कितना आवागमन होता है और वहां से कितनी सवारियां चलती हैं ?

श्री अमृतलाल यादव: यह पहली बस है और दस स्टोपेज से ज्यादा नहीं रख सकते हैं क्योंकि अभी बस स्टेन्ड बीदासर में है और बीदासर से चाड़वास केवल 4 मील ही पड़ता है इसलिए चार-चार मील पर इतने लम्बे रूट पर स्टोपेज रखना ठीक नहीं है।

श्री लाभचन्द वैद : कस्बे की इम्पारटेन्स भी तो देखी होती।

श्री अमृतलाल यादव : वह तो और दूसरे भी हो सकते हैं।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनू): बीकानेर और जयपुर के अलावा जो दूसरी बसें हैं वह ठहरती हैं तो बिना बस स्टेन्ड के वह कैसे ठहरती हैं ?

श्री अमृतलाल यादव : छोटे रूट्स वाली तो ठहरती हैं लेकिन यह बड़ा रूट है और उस बस को बीकानेर जल्दी पहुंचना पड़ता है।

श्री लाभचन्द वैद : मैं इसीलिए तो आपको शिकायत कर रहा हूं . .

श्री अमृतलाल यादव : मैं निवेदन कर चुका हूं कि बड़े रूट के ऊपर चार-चार मील के ऊपर बस स्टोपेज नहीं रखा जा सकता है। छोटे रूट की बसें वहां ठहरती हैं।

श्री **गोकुल प्रसाद शर्मा** (बीकानेर): अध्यक्ष महोदय, यहां से जयपुर और बीकानेर के बीच में ऐसे बड़े बड़े स्थान काकड़ा, हिम्मतसर, चाड़वास आदि हैं यहां पर निश्चित रूप से बस स्टाप होना चाहिए। अगर यहां पर बस स्टेन्ड नहीं रहता है तो लोगों को काफी असुविधायें रहती हैं। अगर आप ऐसा कहें कि नहीं कर सकते हैं तो सुजानगढ़ और छापड़ तो 4 मील ही हैं वह कैसे कर रखा है। तो हिम्मतसर भी बस स्टेन्ड जरूरी है, काकड़ा भी जरूरी है नहीं तो सवारियों को तकलीफ होती है। लोगों को चार-चार मील पैदल चलना पड़ता है . .

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री लाभचन्द वैद : क्या यह जानकारी दे सकते हैं कि जयपुर से बीकानेर के रूट पर इसके अलावा दूसरे छोटे कस्बों में बस स्टेन्ड हैं ?

श्री अमृतलाल यादव : इसमें मैं क्या जवाब दे सकता हूं कि किस कस्बे में बस स्टेन्ड है किस में नहीं है।

श्री लाभचन्द वैद : इससे भी कम दूरी पर बस स्टेन्ड हैं ?

श्री अमृतलाल यादव: मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि यह बस रूट पर एक ही सर्विस है और पहले बस स्टाप मुकर्रर किया है बीदासर में और चाड़वास में नहीं है उससे भी ज्यादा बड़े बड़े कस्बे हो सकते हैं जहां स्टापेज की मांग है और उन सब को पूरा करना मुमकिन नहीं हो सकता।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़): मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप किसी प्रकार से गाड़ी चलायें लेकिन सारी गाड़ियां ऐसी होनी चाहिए जो ऐसे कस्बे हैं उनको नहीं छोड़ा जाये।

श्री अमृतलाल यादव: वह तो है।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां): राज्य सरकार ने बसों का राष्ट्रीयकरण किया। जनता के हित में, जनता को सुविधा देने के लिए किया जब कि इस रूट पर जनता द्वारा बस स्टेन्ड की मांग की जा रही है और उसके कारण से उस क्षेत्र के किसानों को और नागरिकों को तकलीफ होती है तो क्या सरकार उस क्षेत्र की जनता को राहत देने के लिए और बस यातायात की सुविधा के लिए और अधिक यात्री बैठकर सरकार को अधिक आय हो सकती है इस दृष्टि से वहां पर बस स्टेन्ड रख सकती है।

श्री अमृतलाल यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कितनी स्पष्ट बात है कि बड़े रूट पर जो जयपुर से बीकानेर का है उस पर यात्रियों को जल्दी पहुंचाया जासके इसलिए उसका खयाल रखना ज्यादा सुविधाजनक है बनिस्बत इसके कि चार-चार मील पर बस स्टाप रखें। उस लम्बे रूट के लिए यह किसी भी हालत में मुनासिब नहीं है, जनता के हित में नहीं है कि कई जगह उसको रोका जाये और बस स्टेन्ड बनाया जाये। जो छोटी गाड़ियां हैं उनके बस स्टेन्ड तो हैं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : बीदासर से नोखा के बीच में 50 मील में कोई बस स्टेन्ड नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य—श्री रामप्रसाद बोहरा।

फेमिली पेन्शन

66. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजकीय कमला नेहरू होमियोपैथिक चिकित्सालय, झालरापाटन जिला झालावाड़ के डाक्टर का स्वर्गवास सन् 60 जनवरी में हुआ था ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त डाक्टर की वेवा को फैमिली व पेन्शन ग्रेचुएटी आदि आज तक प्राप्त नहीं हुई ? यदि हां तो इसका क्या कारण है ?

उप-मन्त्री, आयुर्वेद (श्री समरथ लाल):

(1) जी हां ।

(2) जी नहीं, स्वर्गीय पंचोली की बेवा को ग्रेच्युटी स्लिप महालेखाकार जयपुर के कार्यालय पत्रांक पी आर/एम/ 5068 दिनांक 10 नवम्बर, 66 को जी० पी० ओ० नम्बर 21449 /आर०/ 1440) रु० की निर्मित हो चुकी है। बेवा को फेमिली पेन्शन नहीं दी गई क्योंकि परिवार पेन्शन नियम मार्च 64 से प्रभावी हुये हैं।

श्री रामप्रसाद बोहरा : क्या यह सही है कि डाक्टर का जो वेतन बढ़ाया गया था वह अभी तक नहीं दिया गया ?

श्री समरथलाल : इसकी कोई जानकारी नहीं है। जानकारी करके इसका उचित निपटारा कर दिया जायेगा ।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह (डूंगरपुर) : अगर ऐसी बात की जानकारी नहीं है-यह पेंशन का सवाल है। गरीब विधवा का सवाल है। सरकार इस संबंध में बिलकुल उपेक्षा की नीति बरत रही है। बड़े अफसोस की बात है।

राज्य मंत्री (श्री जयकृष्ण शर्मा) : जो प्रश्न किया था उसका जवाब दे दिया । अब बढ़ी हुई तनख्वाह नहीं मिली है तो वह निपटा दी जायेगी । यह आश्वासन दिया है उन्होंने। प्रश्न के उत्तर में कोई भी टालमटोल नहीं किया गया है । उन्होंने फेमिली पेन्शन के लिए प्रश्न किया है और उसके लिए जवाब दिया है कि 64 से प्रभावित है ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आपका यह उत्तर है क्या ? प्रश्नकर्त्ता का प्रश्न देखिये ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज . . .

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, 8 साल हो गए कुछ तो कहें। This is no Government.

श्री जयकृष्ण शर्मा : उसका जल्दी ही निपटारा कर दिया जायेगा ।

श्री दुर्गालाल बाददार (हवामहल, जयपुर): 8 साल में पेन्शन नहीं दी जाती तो इससे ज्यादा और अशोभनीय बात क्या हो सकती है ...

श्री अध्यक्ष : विट्ठल प्रसाद ।

ग्राम बड़ोदिया, थाना असनावर में डकैती

67. **श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा** (अकलेरा): क्या गृह मन्त्री यह बतानें की कृपा करेंगे:–

(1) दि० 22 मार्च, 1968 को ग्राम बड़ोदिया, थाना असनावर (झालावाड़) में कोई डकती हुई है ?

(2) यह सही है कि डकैती में एक लाख के लगभग मूल्य की धनराशि लूटी गई है ?

(3) क्या यह भी सही है कि उस डकैती में महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया एवं उनकी असमतें लूटी गई ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त ग्राम में डकैती होगी उसकी पूर्व सूचना पुलिस थाना असनावर को दी गई थी किन्तु पुलिस ने इसे केवल एक हंसी समझ कर उपेक्षा की और पुलिस ने सर्वथा निष्क्रियता बरती ?

(5) अभी तक पुलिस ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की तथा किस किस ढंग की रिपोर्ट अभी तक पुलिस को प्राप्त हुई ? समस्त कार्यवाही की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

राज्य मन्त्री गृह (श्री हीरालाल देवपुरा):

(1) यह सत्य है कि दि० 21-3-68 न कि 22-3-68 समय 7 बजे शाम को ग्राम बड़ोदिया थाना असनावर (झालावाड़) में डकैती हुई थी।

(2) जी नहीं। सूचना के अनुसार 38,415 रु० का माल डकैतों द्वारा लूटा जाना ज्ञात हुआ है।

(3) जी नहीं। किसी भी महिला के साथ बलात्कार करने अथवा बेइज्जती करने का आरोप नहीं है।

(4) यह सत्य नहीं है। पुलिस थाना असनावर के पास उक्त ग्राम में डकैती पड़ने की कोई पूर्व सूचना नहीं थी। इसलिए पुलिस की निष्क्रियता का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

(5) इस डकैती की तफतीश के दौरान में अब तक 20,000 रु० का लूटा हुआ माल बरामद करने एवं 12 अभियुक्तों में से 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में पुलिस कामयाब हुई है और बाकी माल की बरामदगी एवं बचे हुए अभियुक्त-गण की गिरफ्तारी की कोशिश बड़ी तत्परता एवं लगन से कर रही है। डकैती होने के तुरन्त बाद ही सूचना पुलिस अधीक्षक झालावाड़ को भेजी थी। सूचना के मिलते ही पुलिस अधीक्षक झालावाड़ मय एक पुलिस उप-अधीक्षक, एक इन्सपेक्टर, 3 सब-इन्सपेक्टर, 8 हैड-कानिस्टेबिल के उसी रात को घटनास्थल के लिए रवाना हो गये थे। और मुलजिमान को गिरफ्तार करने व माल बरामद करने की गरज से उनका पीछा किया। सभी सम्भावित मार्गों पर जहां से डकैतों के बच निकलने का खयाल था वहां पुलिस तैनात की गई। ग्राम बड़ोदिया में भी 2 हैड कानिस्टेबिल और 8 कानिस्टेबिल तैनात किये गये। एस० एच० ओ० असनावर को जैसे ही चौकीदार कंवरलाल की मार्फत सूचना मिली वह भी केस रजिस्टर कर घटनास्थल के लिए मय 2 हैड कानिस्टेबिल व 4 कस्टेबिल के रवाना हुआ और मुलजिमान की तलाश में निकल गये।

कुछ माननीय सदस्य: साफ सुनाई नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष: दुबारा फिर बोल दीजिए। आर्डर प्लीज।

श्री हीरालाल देवपुरा: (1) यह सत्य है दि० 21-3-68 न कि 22-3-68 समय 7 बजे शाम को ग्राम बाड़ोदिया थाना असनावर (झालावाड़) में डकैती हुई थी।

(2) जी नहीं। सूचना के अनुसार 38,415 रु० का माल डकैतों द्वारा लूटा जाना ज्ञात हुआ है।

(3) जी नहीं। किसी भी महिला के साथ बलात्कार करने अथवा बेइज्जती करने का आरोप नहीं है।

(4) यह सत्य नहीं है। पुलिस थाना असनावर के पास उक्त ग्राम में डकैती पड़ने की कोई पूर्व सूचना नहीं। इसलिए पुलिस की निष्क्रियता का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

(5) इस डकैती की तफतीश के दौरान में अब तक 20,000 का लूटा हुआ माल बरामद करने एवं 12 अभियुक्तों में से नौ अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में पुलिस कामयाब हुई है और बाकी माल

(श्री हीरालाल देवपुरा)
की बरामदगी एवं बचे हुए अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी की कोशिश पुलिस बड़ी तत्परता एवं लगन से कर रही है। डकैती होने के तुरन्त बाद ही सूचना पुलिस अधीक्षक झालावाड़ को भेजी थी। सूचना के मिलते ही पुलिस अधीक्षक झालावाड़ मय एक पुलिस उप-अधीक्षक, एक इन्सपेक्टर, 3 सब-इन्सपेक्टर, 8 हैड कान्सटेबिल के उसी रात को घटनास्थल के लिए रवाना हो गये थे और मुलजिमान को गिरफ्तार करने व माल बरामद करने की गरज से उनका पीछा किया। सभी सम्भावित मार्गों पर जहां से डकैतों के बच निकलने का खयाल था वहां पुलिस तैनात की गई। गांव बड़ोदिया में भी 2 हैड कान्स्टेबिल और 8 कान्स्टेबिल तैनात किये गये। एस० एच० ओ० असनावर को जैसे ही चौकीदार कंवरलाल की मार्फत सूचना मिली वह भी केस रजिस्टर कर घटनास्थल के लिए मय 2 हैड कान्स्टेबिल 4 कान्स्टेबिल के रवाना हुआ और मुल्जिमान की तलाश में निकल गये।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : क्या यह सही है कि डकैती के एक दिन पूर्व थाना असनावर में एक पर्चा चस्पा किया गया था कि अमुक गांव में डकैती डालेंगे।

श्री हीरालाल देवपुरा : कोई इश्तिहार चस्पा नहीं किया गया है।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : क्या यह सही है कि इस गांव में एक डकैती पहले भी हुई है जिसमें एक लाख रुपये का माल गया था ?

श्री हीरालाल देवपुरा : यह इससे संबंधित प्रश्न नहीं है।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : मैं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से प्रश्न करना चाहता हूं कि पिछले साल गांव में डकैती हुई है। महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। पुलिस निष्क्रिय रही है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि ग्राम बड़ोदिया और थाना असनावर में कितना फासला है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : 4 मील का फासला है।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : कल्पना कीजिए 4 मील की दूरी है और पुलिस समय पर नहीं पहुंचती है।

श्री अध्यक्ष : कल्पना कीजिए।

श्री हीरालाल देवपुरा : 7 बजे डकैती हुई। 9 बजे पुलिस पहुंच गई।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : आप यह बता सकते हैं कि कितना माल बरामद हुआ ?

श्री अध्यक्ष : बीस हजार।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : डकैती कितने बजे हुई ? रिपोर्ट में क्या दर्ज किया ?

श्री हीरालाल देवपुरा : 7 बजे डकैती हुई। पुलिस इन्सपेक्टर थाना असनावर जल्दी से फैमिली प्लानिंग की जीप लेकर मौके पर पहुंचे।

श्री अध्यक्ष : ये डकैत कौन हैं, जो बार बार गांव का पीछा करते हैं ?

(हंसी)

श्री हीरालाल देवपुरा : यह तो मैं नहीं सकता हूं।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या यह माना जाये कि पुलिस को अब तक कोई पता नहीं है कि डकैती डालने वाले कितने थे ?

श्री हीरालाल देवपुरा : मैंने निवेदन किया कि 9 आदमी गिरफ्तार किये हैं।

श्री हरि प्रसाद (मंडावर) : क्या यह सही है कि जिस गांव में डकैती डाली गई है, उन्होंने यह शिकायत की थी कि हमारे यहां डकैती डाली जाएगी ?

श्री हीरालाल देवपुरा : जी नहीं।

एक माननीय सदस्य : क्या यह सही है....

श्री अध्यक्ष : थोड़ा, थोड़ा।

श्री हरि प्रसाद : क्या यह सही है कि जिसके यहां डकैती हुई है उसने कलेक्टर झालावाड़ और एस० पी० को यह शिकायत की है कि थानेदार पैसा मांगता है। जो अपहरण हुआ है, उसे दिलाने को भी कहता है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : इसकी कोई सूचना नहीं है।

श्री हरि प्रसाद : कलेक्टर और एस० पी० को शिकायत की है।

श्री अध्यक्ष : इनके पास सूचना नहीं है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : क्या एस० पी० और कलेक्टर सरकारी नुमाइन्दे नहीं हैं ?

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह (डूंगरपुर) : अगर आप के पास ऐसी सूचना आयेगी तो क्या कदम उठायेंगे ?

श्री हीरालाल देवपुरा : निश्चित रूप से उठायेंगे।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : माननीय सदस्य द्वारा दी गई सूचना को आप सूचना नहीं मानते हैं ?

श्री हीरालाल देवपुरा : जो सूचना दी है अगर सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा कारोबोरेट की गई है तो कार्यवाही की जायगी।

श्री गिरधारी लाल व्यास (आसीन्द) : अध्यक्ष महोदय, बहुत समय हो गया है। आश्वासन दे दिया गया है।

श्री हरिप्रसाद : आश्वासन नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : विधान सभा के विशिष्ट अधिकारी सूचना देते हैं कि कहा पैसा लाओ। इस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाय ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपने सूचना देदी। सारी कार्यवाही की जायगी इसके बाद क्या रहता है ?

श्री अध्यक्ष : विद्युत् मन्त्री।

आर्डर, आर्डर प्लीज।

श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : डकैती के संबंध में माननीय सदस्य.....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। दूसरा प्रश्न ले लिया गया है।

श्री फूलचन्द बाफना !

बिजली के बिलों के भुगतान क लिए समय

68. **श्री फूलचन्द बाफना** (सुमेरपुर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि रानी स्टेशन पर जिला पाली बिजली विभाग में विद्युत् के बिलों के शुल्क भरने हेतु रानी स्टेशन, रानी गांव, खीमेल, बीजोवा आदि गांवों के लिए महीने में केवल एक दिन मुकर्रर है और वह भी उस दिन प्रातः 11.30 बजे से सन्ध्या को 4 बजे तक के लिए ही ?

(2) क्या यह सही है कि उपर्युक्त अल्प समय में समस्त बिलों के भरने का कार्यक्रम सम्पूर्ण नहीं हो पाता है ?

(3) क्या यह सही है कि फरवरी, 68 में एक माह में सभी बिल भरे नहीं जा सकते हैं और फलतः रानी स्टेशन की (केवल एक गांव) प्रमुख मण्डी के निवासियों के 136 कनेक्शन काट डाले गये ?

(4) क्या यह सही है कि वापस प्रति कनेक्शन को जोड़ने के शुल्क के रु० 10 लिये जाते हैं ।

(5) क्या यह सही है कि रानी स्टेशन पर पानी के बिल पाली सेन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक की रानी शाखा में भरे जाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उसी प्रकार बिजली के बिलों का भुगतान भी बैंक से किये जाने का प्रबन्ध करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो ऐसा प्रबन्ध कब तक किया जायेगा ?

उप-मंत्री, विद्युत् (श्री खेतसिंह) : (1) जी नहीं । भुगतान तीन दिन तक लिया जाता है ।

(2) साधारणतया बिलों के भुगतान तीन दिनों में ही हो जाते हैं ।

(3) जी नहीं । केवल 20 कनेक्शन काटे गये थे ।

(4) जी हां ।

(5) शीघ्र विचार करके कुछ निर्णय ले लिया जायेगा ।

श्री फूलचन्द बाफना : अध्यक्ष महोदय, ये पांच छः गांव एक जगह बिजली के बिल भरते हैं । 4½ घण्टे एक दिन में दिये जाते हैं । एक घण्टा आने जाने में लग जाता है । 3½ घण्टे मिलते हैं । इतने में इतने लोग बिल भर नहीं पाते हैं । इनके बिलों का बैंक में भरने का इन्तजाम कर दें ।

श्री खेतसिंह : पहले तो यह कि तीन दिनों में भुगतान होता है । दूसरे यह कहा है कि हम निर्णय कर रहे हैं ।

श्री फूलचन्द बाफना : उस बिल के ऊपर नहीं लिखते हैं । बिल पर लिखते हैं उसी तारीख को ।

श्री खेतसिंह : तीन दिन तक लगातार होता है ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : क्या यह सही है कि बिलों पर तारीख नहीं लिखते हैं । उसका भुगतान लिया जाता है ।

श्री खेतसिंह : ऐसी शिकायत पहले कभी आयी नहीं है । मैंने निवेदन किया तीन दिन तक कैशियर रहता है । 4½ बजे तक रोजाना इसी तरह से लिया जाता है । इसके अलावा कोई रह जाता है तो फाइन देकर जमा करा सकता है ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : वह पैनल्टी तो देनी पड़ेगी । जो लिमिटेड पीरियड से एक दिन ज्यादा हो गया है उसकी पैनेल्टी तो देनी पड़ेगी ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! प्रश्नकर्त्ता !

श्री फूलचन्द बाफना : अभी आपके सामने बताया गया है कि पास में फालना है। खीमेल से तीन मील पर रानी है, तो पास में सात मील है और तीन मील दूर है ? सात मील पास होता है ?

श्री खेतसिंह : तीन दिन रानी में लिया जाता है इसलिए तीन दिन में पेमेन्ट कर दीजिये । अगर पैसा नहीं है और तीन दिन में पेमेन्ट नहीं कर सकते हैं तो सात मील का फासला तय करना पड़ेगा और फालना पधारना पड़ेगा ।

श्री फूलचन्द बाफना : पैनेल्टी भी तो भरनी पड़ती है । आप कह रहे हैं कि तीन दिन लिया जाता है उसकी जगह तो लिया जाता है एक दिन और फिर पैनल्टी भरनी पड़ती है । आप आश्वासन तीन दिन लिया जायगा इसका दे दीजिये ।

श्री खेतसिंह : यही आश्वासन दिया है और प्रश्न का जवाब भी यही दिया है ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : जो आपने दरयाफ्त किया है उसका जो जवाब आया है वह क्या है, तीन दिन का समय है या एक दिन का समय है ?

श्री खेतसिंह : जी हां, एक दिन का आया है ।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : एक दिन का आया है तो स्पष्ट है कि इसमें खामी है और इसको आप दूर कीजिये ।

श्री खेतसिंह : मैं कतई गलत नहीं कहूंगा जो मेरे पास इत्तला आई है वही मैं दे रहा हूं । तीन दिन लिया जाता है ।

श्री अध्यक्ष : श्री रतनलाल रोत !

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : 69 रह गया ।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : सत्य बोलना–मेरे ख्याल में नौ झूठ में से एक सच हो सकता है ।

श्री फूलचन्द बाफना : रानी में बैंक की शाखा है तो वहां जमा हो सकता है । जिस तरह से पानी के बिल भरे जाते हैं उसी तरह से बिजली के भरे जायं–इसमें क्या हर्ज है ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : इसको एक्जामिन कर रहे हैं कि बैंक के साथ में उसको लिंक किया जा सकता है या नहीं ।

श्री विजयसिंह (मकराना) : कनेक्शन बीस काटे गये तो जेबें कितनी काटी गईं ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! सार्वजनिक निर्माण मंत्री !

जिला डूंगरपुर में सड़कों का निर्माण

70. **श्री रतनलाल रोत** (चौरासी सु.): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जिला डूंगरपुर में तहसील एवं पंचायत समिति हैड क्वार्टर्स तक पक्की सड़कों का निर्माण हो गया है ?

(2) क्या सरकार के ध्यान में है कि डूंगरपुर जिले में कम से कम पक्की सड़कें

Page No. 19

(श्री रतनलाल रोत)
हैं और डामर की सड़कें भी नहीं के बराबर हैं ?

(3) यदि हां, तो इस कमी को पूरी करने एवं वहां के पिछड़े क्षेत्र की दृष्टि से सड़कों के विकास के लिए कौनसा ठोस कदम उठाया जा रहा है ?

(4) राज्य के अन्य जिलों में सड़क विकास को ध्यान में रखते हुए जिला डूंगरपुर को भी क्या कोई अधिक धनराशि देकर पक्की सड़कें व डामर की सड़कें निर्माण करने का राज्य सरकार का विचार है ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री माधोसिंह) : (1) जी हां ।

(2) 73 मील पक्की तथा 68 मील डामर सड़क है ।

(3) वार्षिक योजना 1968-69 में 3,50,000) रु० व्यय किये जाने को हैं ।

(4) उपलब्ध धनराशि के अनुसार काम कराया जायगा ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : 69 !

श्री अध्यक्ष : पशुपालन मंत्री !

श्री कल्याण गौशाला कालाडेरा

69. **श्री दुर्गालाल बाढ़दार** (हवामहल, जयपुर): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) श्री कल्याण गौशाला कालाडेरा जो सहरिया कालेज से संलग्न है उसके पास कितनी एकड़ जमीन है ? और पशु कितने हैं ?

(2) क्या इस गौशाला में से सन् 1967 में पशु नीलाम किये गये ? यदि हां, तो क्यों और उनका क्या मूल्य प्राप्त हुआ ?

उप-मंत्री, पशुपालन (श्री हरिसिंह): (1) श्री कल्याण गौशाला, कालाडेरा पशुपालन विभाग की गौशाला विकास योजना के अन्तर्गत नहीं आती और न ही विभाग से उक्त गौशाला को सहायता ही दी जाती है परन्तु फिर भी उक्त गौशाला से पूछने पर जानकारी मिली है कि उसके पास लगभग 29 एकड़ जमीन है तथा 12 पशु हैं ।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): और जरा धीरे बोलिये ।

श्री मनोहर सिंह मेहता (मांडलगढ़): जरा जोर से पढ़िये ।

श्री अध्यक्ष : बहुत धीमे बोल रहे हैं ।

श्री रामकिशन (वैर): थोड़ा और धीरे बोलिये ।

श्री हरिसिंह: (2) जी हां । सन् 1967 में छोटे बड़े मिला कर कुल 9 पशु नीलाम किए गए थे जिनकी बिक्री से कुल 2,430 रु० प्राप्त हुए । उक्त पशुओं का नीलाम करने का मुख्य कारण यह था कि गौशाला उस समय उन पशुओं का पूर्ण रूप से भरण-पोषण करने की स्थिति में नहीं थी ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : 9 पशु नीलाम किये गये सन् किस में ? (विराम)

श्री अध्यक्ष महोदय, मैंने जो पूछा है उसका उत्तर ही नहीं दे रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : मैं वापिस पढ़ने को कह देता हूं । माननीय मंत्री, जरा ऊंची आवाज से।

Page No. 20

श्री हरिसिंह : (2) जी हां। सन् 1967 में छोटे-बड़े मिला कर कुल 9 पशु नीलाम किये गए थे जिनकी बिक्री से कुल 2430 रु० प्राप्त हुए। उक्त पशुओं का नीलाम करने का मुख्य कारण यह था कि गौशाला उस समय उन पशुओं का पूर्ण रूप से भरण-पोषण करने की स्थिति में नहीं थी।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां): जो नौ पशु नीलाम हुए वह जवान थे या बूढे थे?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : कितने एकड़ जमीन बताई ? माननीय उप-मंत्री, कितने एकड़ जमीन गौशाला के पास है ? जितने एकड़ जमीन है उसके व्यवस्थापक कौन हैं ? पशुओं की चराई के लिए कितनी जमीन प्रयोग में आती है और खेती के लिए कितनी काम में आती है ?

श्री हरिसिंह : जमीन के लिए अर्ज किया, लगभग 29 एकड़ है और 12 पशु संख्या है। अब कितने एकड़ जमीन कृषि के काम में आती है, यह अलग से प्रश्न पूछा है। यह प्रश्न में नहीं पूछा है। यह जमीन है यह गौशाला से अटैच्ड है, उस गौशाला का वैसे राज्य सरकार से सम्बन्ध नहीं है। वैसे गौशाला फेडरेशन होता है उसकी सदस्य हर गौशाला स्वभावतः होती है। यह कालाडेरा की गौशाला है यह उसकी सदस्य भी नहीं है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : क्या राज्य सरकार का कोई नियंत्रण इस प्रकार की संस्था पर नहीं है ? गौशाला के पशुओं के लिए चराई के लिए दी गई जमीन को कृषि कार्य में लिया जाय तो क्या राज्य सरकार हस्तक्षेप करेगी नहीं, यह मान कर चलें ?

श्री हरिसिंह : मेरा निवेदन है कि यह पर्टीक्यूलर गौशाला है इसका सम्बन्ध राज्य सरकार से नहीं है, न यह ऐडेड है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह प्रश्न नहीं किया, मेरा प्रश्न बिल्कुल सीधा है। क्या राज्य सरकार ऐसी संस्थाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकती या रख सकती है ? जो चराई की व्यवस्था के लिए भूमि दी गई है, यदि उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो तो क्या राज्य सरकार अपना यह कर्त्तव्य नहीं समझती कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन उसका हो ? मेरा प्रश्न स्पष्ट है।

श्री अध्यक्ष : उत्तर आ रहा है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मैं माननीय मुख्य मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि हम जो प्रश्न करते हैं उसको ऐसी कल्पना के साथ में करते हैं कि राज्य सरकार के कानों में जो बहुत सी ऐसी अनियमिततायें राज्य के स्तर पर चलती हैं वह आ जायं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य !

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : और वह उसके सम्बन्ध में व्यवस्था कर दें। ऐसा न करके ऑन दी फ्लोर आफ दी हाउस · ·

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : जो उत्तर आते हैं उसमें सही सूचना नहीं देते हैं।

श्री अध्यक्ष : बाद में निष्कर्ष निकाल लीजिये।

श्री हरिसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह जो अनियमितता का शब्द कह रहे हैं वह किस प्रसंग में कह रहे हैं। जहां तक जमीन का प्रश्न है, मैं कह रहा हूं कि इस पर राज्य सरकार के द्वारा कंट्रोल कैसे रखा जाय ? यह गौशाला है, यह जो सहरिया कॉलेज है

(श्री हरिसिंह)
उसका निजी मामला है, उसके द्वारा ही सब कुछ कंट्रोल होता है। राज्य सरकार का कंट्रोल, मैंने निवेदन किया, नहीं है। अब राज्य सरकार का किस प्रकार कंट्रोल किया जाय, यह किस प्रकार करें ?

श्री मूलचन्द डागा (पाली): डेयरी फार्मिंग के जो नियम बने हुए हैं वह इस पर लागू हैं या नहीं ? इस गौशाला के द्वारा, जो डेयरी फार्मिंग के अन्तर्गत नियम बने हुए हैं, उनका पालन होता है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न !

श्री मूलचन्द डागा : गौशाला के बाबत में है। एक ही बात है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री श्रवण लाल!

श्री हरिसिंह । फोडर के अरेंजमेंट के के सम्बन्ध में · · ·

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न पुकार लिया गया है। स्वायत्त शासन मंत्री !

यात्रा भत्ते की वसूली

71. **श्री श्रवणलाल** (हिन्डौन) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सीकर नगर परिषद् के अध्यक्ष, श्री सोमनाथ ने 8-11-66 व 17-10-66 को सीकर से जयपुर तथा 18-4-67 को जयपुर से सीकर रेल द्वारा नगर परिषद् के कार्य हेतु यात्रा की ?

(2) क्या यह सही है कि अध्यक्ष ने इस यात्रा का प्रथम श्रेणी का बिल बना कर पेमेन्ट लिया जब कि उन्होंने यात्रा तीसरी श्रेणी में की ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री मुल्क राज थिन्द): (1) जी हां।

(2) दिनांक 17-10-66 व 18-4-67 को तीसरी श्रेणी में यात्रा कर प्रथम श्रेणी का पेमेन्ट लिया है। दिनांक 8-11-66 को यात्रा प्रथम श्रेणी में की है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): एक क्वेश्चन ? यह जो फर्स्ट क्लास का भत्ता उन्होंने मंजूर किया और थर्ड क्लास में यात्रा की तो क्या यह नियम के अनुसार है या नियम के विपरीत है ?

श्री मुल्क राज थिन्द : नियम के अनुसार है।

श्री भैरोंसिंह : ऐं ?

श्री अध्यक्ष : नियम के अनुसार है।

श्री भैरोंसिंह : यह कौनसा नियम है ?

श्री मुल्कराज थिन्द : राजस्थान म्यूनिसिपल चेयरमैन एण्ड मेम्बर्स ट्रैवलिंग रूल्स के अनुसार।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि मूल नियम के अन्दर संशोधन किया गया है और इस प्रकार संशोधन में व्यवस्था रखी गई है ?

श्री मदन सिंह : इसका पता नहीं है।

श्री मुल्कराज थिन्द : इसकी मुझे सूचना नहीं है।

Page No. 22

श्री भैरोंसिंह : फिर कैसे कहा कि नियमानुसार हैं ?

श्री अध्यक्ष : वह संशोधन आप सामने रख दीजिये ।

श्री भैरोंसिंह: संशोधन वह सामने रख दें ।

श्री दुर्गालाल बादवार (हवा महल, जयपुर): संशोधन कौनसी तारीख का है, यह दूसरा प्रश्न पैदा होता है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : यह क्या हुआ?

श्री अध्यक्ष: 72 !

श्री मनोहरसिंह मेहता: माफ कीजिये, आपने नेक्स्ट ले लिया । यह मामला छोटा होते हुए भी काफी बड़ा है । फर्स्ट क्लास की जगह थर्ड क्लास में सफर किया ··

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री रघुनाथ विश्नोई !

72. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) मंडार-रानीवाड़ा-भीनमाल बस रूट कितने मील का है ?

(2) इस रूट पर कितनी बसों का परमिट दे दिया गया है ? ये बसें 24 घण्टों में कब कब चलती हैं ?

(3) उपरोक्त रूट का मुसाफिरों की दृष्टि से स्कोप कितनी बसेज चलने का है ? स्कोप निर्धारित करने के क्या-क्या आधार हैं ? क्या इन आधारों पर उपरोक्त रूट का स्कोप निर्धारित किया गया है ?

(4) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त बस रूट मंडार-रानीवाड़ा-भीनमाल का माइलेज प्रति बस अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है ? अगर हां, तो क्यों नहीं ? अब इस रूट का माइलेज प्रति बस स्कोप का फिक्सेशन कब तक कर दिया जावेगा ?

(5) क्या भविष्य में इस रूट पर माइलेज एवं स्कोप के अनुसार ही परमिट दिये जावेंगे ? अगर हां, तो कब से ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

उप-मंत्री, यातायात (श्री समरथ लाल): (1) यह सम्पूर्ण मार्ग 52 मील का है ।

(2) इस मार्ग पर दो यात्री वाहन हैं और 24 घण्टे में एक रिटर्न ट्रिप करते हैं ।

(3) अभी इस मार्ग पर स्कोप निर्धारित नहीं हुआ है । यह मामला प्रादेशिक परिवहन अधिकरण के विचाराधीन है । स्कोप निर्धारण के लिये एक गाड़ी को प्रति दिन 80 मील मिलना उचित समझा गया है ।

(4) जी हां, यह सत्य है । यह मामला प्रादेशिक परिवहन अधिकरण, जोधपुर के विचाराधीन है ।

(5) प्रादेशिक परिवहन अधिकरण, जोधपुर के द्वारा स्कोप के सम्बन्ध में निर्णय लेने के बाद स्कोप केअनुसार ही अनुज्ञा-पत्र स्वीकृत किये जावेंगे ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : क्या यह सही है कि ऐसे रूट्स का माइलेज निर्धारित करने के लिए नियम बना हुआ है कि 80 मील से कम किसी बस को नहीं मिले ?

यातायात मंत्री (श्री अमृत लाल यादव) : आन एन एवरेज 80 मील मिलना चाहिए इस प्रकार का ख्याल रखा है।

श्री रघुनाथ विश्नोई: क्या यह सही है कि आर० टी० ओ० की तरफ से रूल्स हैं उसमें पांच का स्कोप है, पांच-दस के आधार पर परमिट दिये जाते हैं, उसके आधार पर बसें रखी जाती हैं। ऐसा नहीं हो और पैसेंजर को फैसेलिटी नहीं मिले–इसके आधार पर कब तक निर्णय ले लेंगे ?

श्री अमृतलाल यादव : रूल्स के अनुसार आर०टी०ओ० को आदेश दिये जायेंगे कि ऑन एन एवरेज जो गवर्नमेंट का डिसीजन है उससे इधर उधर नहीं हों।

(12 मध्यान्ह)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत, श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल !

पर्यटन की दृष्टि से माउन्ट आबू का विकास

73. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत** (भीम)

व

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पर्यटन की दृष्टि से आबू के विकास के लिये क्या किया जा रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि आबू डेवलपमेंट कमेटी की स्थापना होने के बाद मुश्किल से दो एक बार उसकी मीटिंगें बुलाई गई ?

(3) क्या यह सही है कि वाटर स्कीम खटाई में पड़ी है और पर्यटक असन्तुष्ट हो कर जाते हैं ?

(4) क्या यह सही है कि आस-पास का जंगल कटते रहने से वहां गर्मी बढ़ती जा रही है और हिल-स्टेशन की जो खास खूबी होती है वह नष्ट हो रही है ?

(5) इन सब बातों को देखते हुए क्या सरकार आबू डेवलपमेंट कमेटी को सशक्त बनायेगी जिसमें टूरिज्म मंत्री या मुख्य सचिव जैसे अधिकारी को रखा जाय ताकि विकास कार्य हो सकें ?

राज्य-मंत्री, पर्यटन विभाग (श्री हीरालाल देवपुरा): (1) पर्यटन की दृष्टि से आबू के विकास के लिये निम्न कार्य किये जा रहे हैं:

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत: जरा जोर से बोलिये।

श्री हीरालाल देवपुरा: मैं तो जोर से ही बोल रहा हूं, आप जरा ध्यान से सुनिये।

(1) पर्यटन की दृष्टि से आबू के विकास के लिये निम्न कार्य किये जा रहे हैं:–

(अ) ग्रीष्म ऋतु में आबू पर्वत पर स्थित पर्यटक विश्राम गृहों में ठहरने वाले पर्यटकों की सुविधा हेतु डेढ़ इन्च पानी के नल की लाइन का लगवाया जाना;

(आ) शरद त्यौहार (ऑटम फेस्टिवल) का मनाया जाना;

(इ) पर्यटन विश्राम गृह में फर्नीचर की व्यवस्था;

(ई) आबू रोड व आबू पर्वत पर स्वागत कक्षों का बनाया जाना;

(उ) पर्यटकों के ठहरने के लिये 12 कुटीरों का निर्माण;

(श्री हीरालाल देवपुरा)

(ऊ) अन्य विविध विकास कार्य ।

(2) जी नहीं ।

(3) जी नहीं । आबू पर्वत जल-योजना (वाटर स्कीम) 32 लाख की योजना है और इसके लिये जीवन बीमा निगम से ऋण मांगा गया था । इसमें से जीवन बीमा निगम ने इस वर्ष 4 लाख रुपये की स्वीकृति दे दी है और शीघ्र ही यह कार्य आरम्भ कर दिया जावेगा ।

(4) जी नहीं । आबू पर्वत के आस पास का जंगल नहीं काटा गया है । गर्मी बढ़ने का कारण केवल इसी से नहीं बल्कि अन्य प्राकृतिक कारणों से संबंधित है।

(5) आबू डेवलपमेंट कमेटी का गठन आबू पर्वत के उत्थान एवं पर्यटकों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु किया गया है । इस कमेटी के चेयरमैन सुपरटाइम स्केल के आई० ए० यस० ऑफिसर हैं । कमेटी द्वारा बनाई गई योजनाओं का अनुमोदन एवं उन्हें कार्यान्वित कराना सरकार का उत्तरदायित्व है और पयटन मंत्री तथा मुख्य सचिव इसमें पूरा पूरा सहयोग देते रहते हैं । ऐसी स्थिति में आबू डेवलपमेंट कमेटी में पर्यटक मंत्री या मुख्य सचिव को रखा जाना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है ।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : यहां नं० 2 के उत्तर में राज्य मंत्री जी ने कहा है 'जी नहीं ।' मैं पूछना चाहती हूं कि इस कमेटी की मीटिंगें कितनी बार हुई ह ? आप डेट्स बता दें। दो बार से ज्यादा इस कमेटी की मीटिंगें हुई हैं, यह मैं चैलेंज करती हूं ।

श्री हीरालाल देवपुरा : मैं निवेदन कर रहा हूं, आपका कथन शायद झूठा ही निकलेगा । आबू डेवलपमेंट कमेटी की स्थापना 10-2-65 को हुई इसकी पहली मीटिंग 1 जुलाई, 65 को हुई, उसके बाद 18 अगस्त, 65 को हुई फिर 29 अप्रेल, 67 को हुई, फिर 7 और 8 सितम्बर, 67 को हुई ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आबू डेवलपमेंट कमेटी की इतनी बैठकें हुई, क्या उनमें आबू के विकास के लिये कोई योजना बनाई गई और उसको क्रियान्वित किया गया ?

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय इस कमेटी के द्वारा आबू के डेवलपमेंट के लिये प्रस्ताव भेजे गये हैं, और चौथी पंचवर्षीय योजना में, मैंने निवेदन किया है कि वे कार्यक्रम लिये जा रहे हैं, कुछ किये जा चुके हैं ।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : अध्यक्ष महोदय, मुझे पूछने की इजाजत दी जाय।

श्री अध्यक्ष : दे दी इजाजत ।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : नं० 3 में मैंने यह पूछा था कि पर्यटक असंतुष्ट हो कर जाते ह, आपने कहा कि 'जी नहीं' क्योंकि योजना बनाली, ह । तो क्या योजना बनाते ही असंतुष्टता चली गई ? अभी तक काम तो आपने एक भी नहीं किया है ।

श्री हीरालाल देवपुरा : ऐसी बात नहीं है, ज्यों ज्यों पर्यटक केन्द्रों का विकास होता है अधिक पर्यटक आते हैं । पूर्व में आबू की स्थिति थी, उसके बारे में कोई शिकायत आई नहीं, इस वर्ष यह शिकायत आई है। मैं यह नहीं कहता कि ऐसी शिकायत इस वर्ष

(श्री हीरालाल देवपुरा)
में नहीं हो, पर हमारे विभाग के नोटिस में नहीं आई है। जो भी असुविधा वहां पर्यटकों को महसूस होती है, उस अव्यवस्था को दूर करने की व्यवस्था की जाती है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आबू पर्वत के डेवलपमेंट पर राज्य सरकार ने अब तक कितना रुपया किस मद पर खर्च किया है ? किन किन आइटम्स पर खर्च किया है और कितना खर्च किया है ? यह बता दीजिये।

श्री हीरालाल देवपुरा : यह क्वेश्चन तो इससे अलग है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह क्वेश्चन इससे अलग नहीं है। सारा क्वेश्चन ही यह है कि आबू पर्वत के डेवलपमेंट के लिये राज्य सरकार ने क्या क्या कदम उठाये ? यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस बार आबू के बारे में हमारी भी जानकारी है, जैसी दुर्गति आबू पर्वत की हो रही है, इतनी दुर्गति और किसी हिल-स्टेशन की हिन्दुस्तान में नहीं हो रही है। जो हिन्दुस्तान के दूसरे हिल स्टेशन्स हैं, मसूरी, श्रीनगर, उटकमंड और दूसरे दूसरे हिल स्टेशन्स हैं, वहां पर हिन्दुस्तान के दूसरे सारे प्रान्तों से पर्यटक आते हैं, पर राजस्थान के इस आबू पर्वत पर केवल राजस्थान और गुजरात के अलावा दूसरी जगह से टूरिस्ट्स नहीं आते हैं। इसका कारण यह है कि वहां पर किसी प्रकार का इन्तजाम नहीं है, न टूरिस्ट्स के लिये बसेज का पर्याप्त प्रबन्ध है, न ठहरने का इन्तजाम है, सड़कों पर घुटना घुटना पानी भरा रहता है। इतनी बदइन्तजामी वहां हमने देखी है। इस तरह की जहां आपने व्यवस्था कर रखी है वहां कौन टूरिस्ट आयेगा? कोई नहीं आयेगा। वहां टूरिस्ट्स के लिये एक भी गाड़ी नहीं है। इस सम्बन्ध में जवाब दें।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : पॉइन्ट ऑफ आर्डर सर, मुझे प्रश्न नहीं पूछने दिया और भाषण शुरू कर दिया...

श्री अध्यक्ष : वह समाप्त भी हो चुका।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : आपका वहां भूमि विक्रय बन्द होना चाहिये ......

श्री हीरालाल देवपुरा : जहां तक आबू पर्वत के विकास का प्रश्न है, जितना माननीय सदस्य को उसमें इन्ट्रेस्ट है, उतना ही मुझे और इधर बैठने वाले माननीय सदस्यों को भी है। उत्तर के हिल-स्टेशन्स हैं, वहां आबू की अपेक्षा ज्यादा टूरिस्ट्स आते हैं इसका कारण यह नहीं है कि आबू पर सुविधा नहीं है। ज्यादा टूरिस्ट्स हिल-स्टेशन्स पर जाने की दृष्टि से हिमालय के नीचे वाले हिल-स्टेशन्स हैं, वहां पर ज्यादा जायेंगे। आबू उस प्रकार का हिल-स्टेशन नहीं है। वहां उत्तर की क्लाइमेट है उसको लोग ज्यादा पसंद करते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के लिये आबू की क्लाइमेट उपयुक्त हो सकती है....

एक माननीय सदस्य : यह तो भाषण हो रहा है।

श्री हीरालाल देवपुरा : जो असुविधा की बात माननीय सदस्य ने कही, उसके लिये मैंने यह निवेदन किया है।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : भाषण नहीं।

श्री हीरालाल देवपुरा : जिस प्रकार का प्रश्न किया गया था उसका मुझे उत्तर देना है ।

श्री अध्यक्ष : क्या आबोहवा अच्छी नहीं है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : बहुत अच्छी है, पर कम्पेरिजन किया गया है उत्तर के हिल-स्टेशन्स से, इसलिये निवेदन किया है · ·

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या यह सही है कि उन हिल-स्टेशन्स में कुछ खराबियां हैं, जो हमारे आबू हिल-स्टेशन पर नहीं हैं ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्त्ता ?

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : क्या यह सही है कि · · ·

श्री भैरोंसिंह : सारी बातें एस्टीमेट्स कमेटी में मालूम हो गई हैं वही पूछ रही है। एस्टीमेट्स कमेटी के सामने यह सवाल डिस्कस हुआ है तो क्या अध्यक्ष महोदय, यह परम्परा डालना चाहते हैं कि एस्टीमेट्स कमेटी के चेयरमैन उन प्रश्नों को पूछें जो एस्टीमेट्स कमेटी में डिस्कस हो चुके हैं ?

श्री अध्यक्ष : ऐसा होना नहीं चाहिये पर यह सबके आकर्षण का प्रश्न है। माननीय सदस्या का लिहाज रखना चाहिये ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आसन व्यवस्था नियमों के अनुसार करता है या आकर्षण के अनुसार ?

(हंसी)

श्री अध्यक्ष : पर्यटन का प्रश्न आकर्षण का है, इसलिये आकर्षण के आधार पर करता हूं ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): मैं मन्त्री महोदय के जवाब से सन्तुष्ट नहीं हूं। आबू के डेवेलपमेंट के सम्बन्ध में योजना नहीं है । आबू के डेवेलपमेंट के सम्बन्ध में कितना रुपया खर्च किया गया, उस पर कोई प्रकाश नहीं डाला। जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर दिया गया, वह सर्वथा अपर्याप्त है। इसके अलावा मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आबू में जंगल हैं, उन जंगलों को काटा जा रहा है। मन्त्री महोदय ने कहा कि आबू के जंगल नहीं कट रहे हैं, पर वास्तव में आबू के जंगल बुरी तरह कट रहे हैं, चोरी से कट रहे हैं और आबू का विकास करने जायेंगे, उससे पहले ही जंगल कट जायेंगे तो आबू में कुछ नहीं रहेगा। आबू की मूल धरोहर जंगल ही तो है, जो आबू को सुन्दर बनाने का एक मात्र साधन है, उसको बचायेंगे तो आबू रहेगा वरना आबू भी रेगिस्तान हो जायगा।

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा दुख हुआ कि आसन से··

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्या जिन्होंने प्रश्न पूछा है। माननीय सदस्य, माननीया सदस्या को प्रिफरेंस दें ।

श्री मदनसिंह : ऐसा गम्भीर प्रश्न है··

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री नत्थीसिंह : उन्हें पूछने दीजिये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें ।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत : प्रश्नकर्त्ता को तो प्रश्न ही नहीं पूछने दिया गया।

श्री मदनसिंह : मुझे अफसोस होता है छोटे-2 प्रश्नों पर···

श्री अध्यक्ष : आपको अफसोस होता है तो मैं क्या करूं मुझे भी अफसोस होता है। मैं लेटीट्यूड देता हूं ।

श्री मदनसिंह : यह आकर्षण बाहर हो सकता है हाउस में नहीं ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। पर्यटन के प्रश्न पर आकर्षण है । माननीय सदस्य स्वयं अपनी महत्ता रखते हैं । माननीय सदस्या स्वयं अपनी महत्ता रखती हैं। दोनों प्रश्न पारस्परिक महत्ता रखते हैं।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

प्रश्न समाप्त हुए।

श्री रामकिशन : दो बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न रह गये हैं।

श्री अध्यक्ष : आपका जिस प्रश्न पर संकेत है उस प्रश्न को शीघ्रातिशीघ्र ले लूंगा । इसको अभी छोड़ दीजिये । एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर सूचना देना चाहता हूं ।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत : अध्यक्ष महोदय·····

(शेष तारांकित प्रश्नों के लिए परिशिष्ट 2 देखिये)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

बाड़मेर जिले में डाके, कत्ल, चोरियों एवं तस्कर के मामले

64. **श्री वृद्धिचन्द जैन** (बाड़मेर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बाड़मेर जिले में अप्रेल, 1966 से फरवरी, 1968 तक डाके, कत्ल, चोरियों व तस्कर व्यापार के कितने मामले हुए?

(2) उक्त मामलों में से कितने-कितने मामले अदालत में प्रस्तुत किये गये और उनमें से कितने कितने मामलों में सजा हुई?

(3) किस-किस मामले में माल बरामद हुआ और किस-किस मामले में माल सम्बन्धित लोगों को लौटाया गया? और किस-किस मामले में बरामद नहीं हुआ?

(4) कितना माल जब्त किया गया है और किस-किस को लौटाया जाना है? अब तक नहीं लौटाने के क्या कारण हैं?

(5) उक्त अवधि में बाड़मेर नगर में कत्ल और चोरियों की कितनी कितनी घटनाएं हुई हैं, तथा इन मामलों में से कितने मामले अदालत में पेश किये गये और कितने मामलों में सजा हुई है, और कितने मामलों में पुलिस द्वारा फाइनल रिपोर्ट प्रस्तुत की गई?

(6) बाड़मेर नगर की उक्त घटनाओं में कितने मामलों में माल बरामद हुआ और कितनों में बरामद नहीं हुआ?

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

(7) कितने मामलों में सम्बन्धित व्यक्तियों को लौटाया है तथा किन-किन को लौटाया जाना बाकी है, और क्यों ?

उत्तर

(1) बाड़मेर मंडल में अप्रेल, 1966 से फरवरी, 1968 तक 11 डकैती, 24 कत्ल, 418 चोरियां एवं 67 तस्कर व्यापार के अपराध घटित हुये।

(2) उपरोक्त 11 डकैती के मुकद्दमात में से 3 मुकद्दमात का चालान किया गया, कत्ल के 24 मुकद्दमात में से 18 मुकद्दमात का चालान किया गया, चोरी के 418 मुकद्दमात में से 163 मुकद्दमात का चालान किया गया, एवं 67 तस्कर व्यापार के मुकद्दमात में से 38 मुकद्दमात का चालान किया गया। उपरोक्त डकैती के 3 एवं कत्ल के 15 मुकद्दमें न्यायालय में विचाराधीन हैं। सजायाव अभी तक कोई नहीं हुआ है। चोरी के 163 चालानी मुकद्दमों में से 19 मुकद्दमों में सजा हुई है और 123 मुकद्दमें न्यायालय में विचाराधीन हैं एवं तस्कर व्यापार के 38 चालानी मुकद्दमों में से 15 मुकद्दमों में सजा हुई है एवं 21 मुकद्दमें न्यायालय में विचाराधीन हैं।

(3) (अ) डकैती के 11 मुकद्दमात में से 6 मुकद्दमात में माल बरामद हुवा जिनमें से 1 मुकद्दमें का माल मुस्तगीस को लौटा दिया गया है और तीन मुकद्दमात विचाराधीन न्यायालय एवं 2 मुकद्दमात जेर तफतीश होने से माल नहीं लौटाया गया है।

(ब) कुल 418 मुकद्दमात चोरी में से 241 मुकद्दमात में माल बरामद हुवा जिनमें से 93 मुकद्दमात में माल सम्बन्धित व्यक्तियों को लौटाया गया और 128 मुकद्दमात विचाराधीन न्यायालय और 20 मुकद्दमात जेर तफतीश होने से माल वापिस नहीं किया गया है क्योंकि माल की उनमें अभी आवश्यकता है।

(4) कुल माल 22,700 रु० का बरामद हुवा था जिसमें से जेर तजवीज मुकद्दमात एवं जेर तफतीश मुकद्दमात का माल अभी सम्बन्धित व्यक्तियों को नहीं लौटाया गया है जो कुल मुकद्दमें 153 हैं इन मुकद्दमात में माल न्यायालय के निर्णय के अनुसार सम्बन्धित व्यक्तियों को अभियोग के निर्णय होने पर माल लौटाया जावेगा।

(5) (अ) बाड़मेर नगर में अप्रेल, 1966 से फरवरी, 1968 तक केवल एक कत्ल का अपराध हुवा था जिसमें फाइनल रिपोर्ट दी गई है।

(ब) उपरोक्त समय में बाड़मेर नगर में कुल 42 चोरी के अपराध हुये जिनमें से 19 मामले न्यायालय में पेश किये गये जिनमें से 1 में सजा हो चुकी है और 18 मुकद्दमात में पुलिस ने आखिरी रिपोर्ट दी है।

(6) बाड़मेर नगर की उपरोक्त 42 चोरी की घटनाओं में से 17 मुकद्दमात में माल बरामद हुवा और 25 मुकद्दमात में माल बरामद नहीं हुवा है।

(7) कुल 17 मुकद्दमात में माल बरामद हुवा जिनमें से 9 मुकद्दमात का माल संबंधित व्यक्तियों को लौटाया जा चुका है। 8 मुकद्दमात विचाराधीन न्यायालय होने से संबंधित व्यक्तियों को माल नहीं लौटाया जा सका है, परन्तु ज्योंहि उक्त अपराधों के न्यायालय के निर्णय होंगे माल संबंधित व्यक्तियों को लौटा दिया जावेगा।

आवास की भूमि पर कब्जा

65. **श्री गंगासहाय (कठूमर सु॰)** : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि आवास की जो भूमि 20 वर्ष से अनुसूचित जाति के लोगों के कब्जे में है, उसे कब्जेजात व्यक्ति को 1·06 में देने का नियम बना हुआ है।

(2) यदि हां, तो इस नियम के अन्तर्गत कितने लोगों को भूमि दी गई ? जिलेवार बतलायें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

नगरपालिका, टौंक द्वारा यात्रियों से टैक्स की वसूली

66. **श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई सु॰)**: क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका, टौंक हर प्रकार की बसों में टौंक से आने व जाने का हर सवारी 6 पैसे टैक्स यात्री कर के अलावा लेती है? जिससे कस्बे की जनता को काफी परेशानी होती हैं?

(2) क्या यह भी सच है कि टौंक के अलावा इस प्रकार का टैक्स राजस्थान की कोई भी नगरपालिका नहीं लेती है? यदि हां, तो फिर टौंक की जनता पर ही यह कर भार क्यों है? क्या सरकार इस टैक्स को खतम करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां, पर इससे किसी को परेशानी नहीं होती है।

(2) यह सही है। प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता है।

रायपुर एवं असनावर की नल योजनाएं

67. **श्री राम प्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि रायपुर एवं असनावर, जिला झालावाड़ की पंचायतों द्वारा नल योजना के लिए रकम जमा की जा चुकी है ? यदि हां, तो कितनी-कितनी और कब कब ?

(2) अभी तक इन ग्रामों में यह कार्य क्यों नहीं हुआ और अब कब होना संभव है ?

उत्तर

(1) केवल रायपुर योजना के लिए 5,000) रु॰ की धनराशि दिनांक 13-9-67 को ट्रेजरी पिड़ावा, जिला झालावाड़ में चालान नं॰ 26, दिनांक 13-9-67 को जमा हुआ है, असनावर का नहीं।

(2) रायपुर के लिए पंचायत से प्रस्ताव एवं जिलाधीश का प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर योजना बनाई जा चुकी है। असनावर के लिए न तो पंचायत का प्रस्ताव ही प्राप्त हुआ और न जिलाधीश का प्रमाण-पत्र अतः योजना नहीं बनाई जा रही है। योजना को धनराशि के अभाव के कारण अभी शुरू करना सम्भव नहीं है।

मकराने की जल समस्या

68. **श्री विजयसिंह** (मकराना) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) मकराने की पानी की समस्या कब तक हल कर दी जायगी ?

(2) नगरपालिका, मकराना के कितने कुओं पर नगरपालिका ने पम्पिग सैट का खर्चा किया है व किस-किस कुए पर सैट कर दिया गया है तथा कितना-कितना खर्चा प्रति कुआ हुआ और प्रत्येक से कितने-कितने पानी की कैपेसिटी प्राप्त हुई ? सम्पूर्ण व्यौरा सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

ग्राम गोपालपुरा की जल योजना

69. **श्री लाभचन्द वैद** (सुजानगढ़): क्या जल-प्रदाय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या गोपालपुरा ग्राम के लिए जो चूरू जिला स्थित सुजानगढ़ तहसील में है, जल योजना के लिए किसी स्थानीय दानवीर ने धनराशि दी थी ? अगर हां, तो कितनी ? और कब ? और उस कार्य में क्या प्रगति चल रही है ?

उत्तर

जी हां। कुल 7,500 रु० जनवरी, 67 में जमा कराये थे। योजना बनाई जा रही है।

बिना इजाजत तामीरें

70. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि नगर परिषद्, जयपुर के पास कई मुकद्दमे बिना इजाजत तामीरें बनाने के अनिर्णित पड़े हैं ? यदि हां, तो कौन कौन से मुकद्दमें कब कब से अनिर्णित पड़े हैं व किन किन कारणों से ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि बहुत से मामले ऐसे भी हैं जिनका फैसला हो चुका लेकिन उन फैसलों की तामीलें अभी तक नहीं हुई हैं ? यदि हां, तो कौन कौन से मुकद्दमों में कब कब फैसला हुआ तथा क्या क्या फैसला हुआ और उनकी तामीलें किन किन कारणों से नहीं हुई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(दिनांक 5-9-68 के लिए स्थगित किया गया)

ग्राम रायपुर की लिफ्ट सिंचाई योजना के लिये बिजली

71. **श्री जुझारसिंह** (रामगंज मण्डी) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि ग्राम रायपुर, तहसील पिड़ावा में ग्राम पंचायत द्वारा, पंचायत समिति से 10,000 रु० ऋण लेकर सामूहिक लिफ्ट सिंचाई योजना तैयार की गई है व सरकार से पावर की मांग की हुई है ? यदि हां, तो इस योजना के लिए विलम्ब के क्या कारण हैं और कब तक बिजली दे दी जावेगी ?

उत्तर

(क) इसकी जानकारी नहीं है।

(ख) जी हां।

(श्री पंचायत मंत्री)

(ग) पंचायत समिति से न्यूनतम प्रतिभूति (मिनिमम गारन्टी) देने की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण देर हो रही है। उसके प्राप्त होते ही बिजली दे दी जावेगी।

भवानी मण्डी क्षेत्र को बिजली का वोल्टेज

72. **श्री जुझारसिंह** (रामगंज मण्डी) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि भवानी मण्डी क्षेत्र (झालावाड़) की गांधी सागर से सीधी बिजली मिल जाने पर कम वोल्टेज की समस्या दूर हो सकती है ? यदि हां, तो ऐसा नहीं करने के क्या कारण हैं और सरकार ने उनको ठीक करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

उत्तर

जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता।

वोल्टेज बढ़ाने के लिए भवानी मण्डी में 1,000 के० वी० ए० के दो वोल्टेज बुस्टर लगाए गए हैं। दूसरा कोटा से आलनिया तक की लाईन 33 के० वी० की डाली जा रही है और गांधी सागर से भवानी मण्डी की लाईन पर बिजली चालू करने का प्रबन्ध किया जा रहा है।

परबतसर-मगलाना ग्राम विद्युत लाइन

73. **श्री परसराम गंगाराम** (परबतसर सु०) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि परबतसर और मगलाना ग्राम में बिजली उपलब्ध है ? अगर हां, तो इनके बीच के टुकड़े को जो आठ मील का है विद्युत् द्वारा क्यों नहीं जोड़ा गया है ?

(2) क्या इस टुकड़े को सरकार का बिजली द्वारा मिलाने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) उपरोक्त 8 मील के टुकड़े में खेती योग्य कितने कुए हैं ?

उत्तर

(1) जी हां। धनाभाव के कारण।

(2) अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

(3) सर्वेक्षण करने के पश्चात् ही कहा जा सकता है।

तहसील सरदार शहर, तारानगर एवं डूंगरगढ़ के ग्रामों को बिजली

74. **श्री रूपसिंह** (सरदार शहर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील सरदार शहर, तारानगर एवं डूंगरगढ़, जिला चूरू के किन किन गांवों को बिजली दे दी गई है और किन गांवों में बिजली देने की मंजूरी हो चुकी है ? तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इस वर्ष में कितने गांवों को इन तहसीलों में बिजली देने का सरकार विचार रखती है ?

उत्तर

(1) स्वीकृत योजनानुसार समस्त गांवों एवं कस्बों का विद्युतिकरण कर दिया गया है। तालिका सदन की मेज पर रखदी गई है।

(श्री मुख्य मंत्री)

(2) धनाभाव के कारण 1968-69 में और गांवों में बिजली देने की अभी कोई योजना नहीं है ।

उप-तहसील मकराना के ग्रामों को सिंचाई के लिए बिजली

75. **श्री विजयसिंह** (मकराना) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या उप-तहसील मकराना, जिला नागौर में सिंचाई निमित्त कुओं पर बिजली लगाने का इस वर्ष कार्यक्रम बनाया गया है ? यदि हां, तो क्या गांव बूडसू, रामपुरा, भरनाई, नान्दौली, चन्दावता, कुकड़ोद, लाडपुर, इत्यादि गांव इस योजना में शामिल किये गये हैं ?

(2) इस बिजली सप्लाई की दर क्या होगी ?

(3) इस क्षेत्र में बिजली की लाइन उक्त गांवों से कितनी दूर तक पहुंच चुकी हैं ।

उत्तर

(1) विद्युतिकृत ग्रामों में कुओं को कनेक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है । उपर्युक्त ग्रामों का अभी विद्युतिकरण नहीं हुआ है, अस्तु इनमें बिजली देने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(3) लगभग 7 मील दूर है ।

पाली तहसील के ग्रामों को बिजली

76. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अगले तीन वर्षों में पाली तहसील के किन किन गांवों में बिजली देने की व्यवस्था है ?

(2) क्या यह सत्य है कि गांव फहकादिया, तहसील पाली में नदी के किनारे किनारे करीब 100 कुए हैं ? यदि हां, तो वहां क्या सरकार कुओं पर बिजली देने की व्यवस्था करेगी ?

(3) क्या यह सत्य है कि गांव फहकादिया, लूणी जंक्शन से 3 मील की दूरी पर ही है और वहां तक बिजली जा चुकी है ।

उत्तर

(1) धनराशि के उचित निर्देशन के अभाव में अगले तीन वर्षों की अभी कोई योजना नहीं बनाई गई है । यह जानकारी सर्वेक्षण करके ही दी जा सकती है अभी कुछ नहीं कहा जा सकता ।

(2) व (3) जी नहीं । ग्राम फहकादिया, लूणी जंकशन से लगभग 6 मील दूर है व लूणी जंकशन तक कोई लाइन नहीं गई है ।

ग्राम पिचरासर एवं ग्राम जयसिंहदेसर को बिजली

77. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा सु०) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सत्य है कि ग्राम लालमदेसर, तहसील व जिला बीकानेर से

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)
ग्राम पिचरासर एवं ग्राम जयसिंहदेसर मगरा, तहसील नोखा जिला बीकानेर में राज्य सरकार विद्युत पहुंचाने का इरादा रखती है ? अगर हां, तो कब तक ?

(2) क्या यह सत्य है कि इन दोनों गांवों का विद्युतिकरण हेतु सर्वेक्षण करवा लिया गया है ? अगर हां, तो कितनी लागत का अनुमान है तथा दोनों गांवों में कितनी कतनी एल० टी० लाइन लगेगी ?

उत्तर

(1) अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता ।

(2) जी हां । 2.316 लाख रुपये की लागत का अनुमान लगाया गया है । दोनों गांवों के लिए 7 मील लम्बी एल० टी० लाइन खींचनी पड़ेगी । (पिचरासर के लिए 2.5 मील एवं जयसिंहदेसर के लिए 4.5 मील) ।

सादड़ी जिला पाली के निवासियों स बिजली के मीटर के पैसे

78. **श्री फूलचन्द बाफना** (सुमेरपुर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सादड़ी (जिला पाली), के निवासी श्री दानमल नथमल एवं श्री कुन्दनमल बागमल सोनी ने एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर, राजस्थान विद्युत् बोर्ड फालना (जिला पाली) के यहां अपने अपने निवास स्थानों में मीटर लगाने हेतु मीटर के पैसे नियमानुसार बहुत समय पहले जमा करवा दिये थे ? यदि हां, तो इन्होंने किस किस तारीख को कितने कितने रुपये मीटर के जमा करवाये थे ? क्या इन दोनों नागरिकों के कन्ज्यूमर नं. क्रमश: 2-1-240 एवं 2-2-139 हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त दोनों निवासियों के नामों पर मीटर इश्यू हुए परन्तु वे ही मीटर एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर, राजस्थान विद्युत् बोर्ड, फालना (जिला पाली) ने कहीं अन्यत्र लगवा दिये ? यदि हां, तो ये दोनों मीटर कहां कहां लगवाये गये हैं और ऐसा क्यों किया गया है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त दोनों व्यक्तियों ने अपने अपने घरों में बिजली के फिटिंग करवा लिये और सारी नियमित कार्यवाही भी कर दी, फिर भी इन्हें बिजली के कनेक्शन नहीं दिये गये आज तक भी ?

(4) क्या यह सही है कि मीटर और बिजली नहीं दिये जाने के उपरान्त भी उक्त दोनों व्यक्तियों के नाम बिजली के बिल कई महीनों से लगातार आते रहे हैं ? यदि हां, तो इसके लिये कौन दोषी है ? और क्या इन बिलों का भुगतान करना होगा ?

उत्तर

(दिनांक 5-9-68 के लिये स्थगित किया गया)

भ्रष्टाचार रोकने के लिए विधायकों की कमेटी

79. **श्री विजयसिंह** (मकराना) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार क्या क्या कदम उठा रही है ?

(श्री विजयसिंह)

(2) क्या सरकार भ्रष्टाचार रोकने हेतु कोई माननीय विधायकों की कमेटी बनाने का विचार रखती है ? अगर हां, तो क्या इस कमेटी में प्रत्येक पार्टी के माननीय विधायकों को उस पार्टी की संख्या अनुसार स्थान दिया जायेगा ?

उत्तर

(उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

आयुर्वेद औषधालय, नया गांव का वार्षिक बजट

80. **श्री विद्यासागर** (खेरवाड़ा सु०): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) आयुर्वेद औषधालय, नया गांव, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर का दवाई का वार्षिक बजट क्या है ?

(2) क्या यह सही है कि नया गांव औषधालय की अधिकांश दवाइयां उदयपुर से नया गांव नहीं आती हैं ? सन् 1967 मार्च से 1968 मार्च तक कितने रुपयों की दवाइयां नया गांव आईं ?

उत्तर

(1) आयुर्वेद औषधालय, नया गांव, तहसील खेरवाड़ा, (उदयपुर) "स" श्रेणी औषधालय है उसका वार्षिक औषध बजट 1000) है।

(2) जी नहीं, नया गांव औषधालय को दवाइयां उदयपुर रसायनशाला से ही दी जाती हैं एवं सन् 1967-68 में 439/74) रु० की औषधि भेजी गई।

आयुर्वेदिक औषधालय, डुबलिया

81. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापटन) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि डुबलिया (ग्राम), पंचायत समिति, पिड़ावा, जिला झालावाड़ के आयुर्वेदिक औषधालय को हटाकर पास ही ग्राम गांदीला में स्थापित कर दिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या उक्त औषधालय, डुबलिया में जिला परिषद् व पंचायत समिति की सिफारिश पर खोला गया था ? यदि हां, तो फिर हटाने का क्या करण है ?

(3) क्या यह भी सही है कि डुबलिया पंचायत द्वारा औषधालय भवन का निर्माण कार्य शुरू हो रहा है और शीघ्र पूरा होने जा रहा है ?

उत्तर

(1) जी हां, उक्त ग्राम में भवन की व्यवस्था नहीं है।

(2) जी नहीं।

(3) इसकी सरकार को कोई सूचना नहीं है।

सरकारी अधिकारियों को फियेट कार

82. **श्री फूलचन्द बाफना** (सुमेरपुर): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

रजिस्ट्रेशन करवाये जाने के पश्चात् गत पांच वर्षों में किन किन सरकारी अधिकारियों को सरकारी कोटा में से एक से अधिक बार फियेट कार मिली है और कौन कौन अधिकारी हैं जिन्हें इसी अवधि में एक बार भी नहीं मिली है और क्यों ? सूची नामवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

1. सूची संलग्न है।

2. इस समय ऐसा कोई केस नहीं है।

(यातायात मंत्री)

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

नसीराबाद के पास बस दुर्घटना

83. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान रोडवेज की बस नं. आर०एस०ए० 5694 कोटा से अजमेर जाने वाली बस की नसीराबाद के पास नवम्बर, 67 के माह में कोई दुर्घटना हुई थी ? यदि हां, तो उस दुर्घटना में कुल कितने यात्री मरे और कितने घायल हुए ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या सरकार ने इस बस दुर्घटना की जांच करवाई है ? यदि हां, तो जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गई ? जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या सरकार ने मृतकों के परिवारों को एवं घायल यात्रियों को किसी प्रकार की आर्थिक सहायता दी है ? यदि हां, तो किस मृत व्यक्ति के परिवार व घायल व्यक्ति को कितना कितना रुपया दिया ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) जी हां। 19-11-67 को गाडी नं० 5694 की नसीराबाद चुंगी चौकी के पास दुर्घटना हुई जिसमें तीन यात्रियों की मृत्यु हुई तथा 7 यात्रियों को चोट आई।

(2) दुर्घटनाओं की जांच इन्सपेक्टर पुलिस द्वारा की जाती है। इस दुर्घटना का चालान अदालत में पेश हो चुका है अतः मामला अदालत के विचाराधीन है।

(3) मृत व घायलों को मुआवजा दिये जाने का मामला अभी तक न्यायालय में चल रहा है। निगम दुर्घटना को दुर्घटना मानता है। दुर्घटना होने पर तुरन्त प्राथमिक चिकित्सा देने अस्पताल में भेजते हैं। फिर मुआवजा अदालत दिलाती है।

जयपुर-कोटपूतली मार्ग पर रोडवेज की बसें

84. **श्री दुर्गालाल बाढ़दार** (हवामहल): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर से कोटपूतली के लिए रोडवेज की बसें कब तक चालू हो जावेंगी ?

(2) क्या सरकार जब तक जयपुर से कोटपूतली की सीधी यातायात व्यवस्था का इन्तजाम नहीं होता जयपुर से दिल्ली जाने वाले नये नेशनल हाई-वे पर जो कोटपूतली होता हुआ जाता है, रोडवेज की बसें शीघ्र चालू करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जयपुर से कोटपूतली मार्ग पर निगम द्वारा तीन अप व तीन डाउन सर्विस चलाई जा रही है।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता। जयपुर, देहली वाया कोटपूतली के लिये परमिट की दरख्वास्त आर० टी० ओ० के यहां पेन्डिग है परमिट मिलने पर निगम द्वारा गाड़ी चलाई जा सकेगी।

राजकीय ऊन व्यापार

85. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं): क्या भेड़ व ऊन विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सरकार ने राजकीय ऊन व्यापार कब से शुरू किया और अब तक प्रत्येक वर्ष

(श्री हरजीराम बुरड़क)
में नफा नुकसान कितना कितना हुआ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) ऊन के खरीद मूल्य के अलावा कौन कौन से खर्चे कीमत में जोड़े जाते हैं?

(3) उपरोक्त कार्य शुरू करने के बाद अब तक प्रत्येक वर्ष में कितनी कितनी रकम सरकार की इस कार्य में लगी? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) प्रत्येक वर्ष में कितने कितने रुपयों की ऊन खरीदी और बेची तथा कितने की शेष रही? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) राजकीय ऊन व्यापार सन् 1964-65 से प्रारम्भ किया गया, मार्च, 67 तक का लाभ हानि का ब्योरा प्रपत्र 'अ' में सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) जो अन्य खर्चे जोड़े जाते हैं वे निम्न प्रकार से हैं:—

1. ऊन ढलाई
2. मजदूरी व्यय
3. स्टोरेज खर्च
4. चुंगी कर व बोरों की कीमत तथा 5. ग्रेडिंग खर्चे।

(3) वांछित सूचना प्रपत्र 'ब' में सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(4) वर्षवार क्रय व विक्रय सम्बन्धी सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है तथा चालू साल में 17.21 लाख रुपये की ऊन शेष है।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

बोरों की खरीद

86. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं): क्या भेड़ व ऊन विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि दिसम्बर सन् 1965 में भेड़ व ऊन विभाग के बोरों की खरीद के लिये टेन्डर मांगे गये थे? यदि हां, तो किन किन के टेन्डर कितनी कितनी रेट के आये? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उपरोक्त बोरों की किस किस फर्म से कब कब खरीद की तथा उनको कब कब सप्लाई किया गया तथा किस किस नाम से कब कब कितना कितना पेमेन्ट हुआ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या उपरोक्त बोरों की खरीद के बाबत कोई शिकायतें राज्य सरकार के ध्यान में आईं? यदि हां, तो कब और उन पर क्या क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(दिनांक 5-9-68 के लिये स्थगित किया गया)

औद्योगिक सहकारी समिति, ग्राम पीलवा

87. **श्री परसराम गंगाराम** (परबतसर सु.): क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या पीलवा ग्राम, तहसील परबतसर में चर्म औद्योगिक सहकारी समिति है? यदि है, तो वह कब से रजिस्टर की हुई है, इसके कितने शेयर होल्डर हैं और शेयर मनी कुल कितनी है?

Page No. 37

(श्री परसराम गंगाराम)

(2) क्या यह सही है कि कुछ शेयर होल्डरों द्वार शेयर मनी वापस करने की मांग की गई है ? यदि हां, तो उन्हें शेयर मनी वापस क्यों नहीं लौटाई जा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां। इसकी रजिस्ट्री दिनांक 28-9-65 को हुई है इसके 33 शेयर होल्डर हैं, तथा 1,650) शेयर मनी एकत्रित की हुई है ।

(2) जी नहीं। शेयर मनी वापस करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

हिन्डौन उपभोक्ता भण्डार को नुकसान

88. **श्री श्रवणलाल** (हिन्डौन सु०): क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) हिन्डौन उपभोक्ता भण्डार में पानी भर जाने के कारण कितना कितना माल कितनी कितनी कीमत का खराब हुआ था? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) उपरोक्त माल किस की गलती के कारण खराब हुआ है और उसके खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

(3) क्या यह सच है कि जो सामान सड़ गया था उसको बेचा गया ? यदि हां, तो किस किस को कितने में कितना बेचा गया था ?

(4) क्या यह सच है कि उपरोक्त खराब माल को फूड इन्सपेक्टर व डाक्टर की रिपोर्ट के अनुसार जंगल में फैंकने के आदेश दिये गये थे ?

(5) क्या यह भी सच है कि उस आदेश के पालन में एस. डी. एम. व डाक्टर को यह लिखकर भेजा गया था कि माल जंगल में फेंक दिया गया है ?

(6) क्या यह भी सच है कि उसके बाद में माल को बेचा गया और माल की रकम का संबंधित अधिकारी ने गबन किया है?

(7) क्या यह भी सच है कि मालूम पड़ने पर एस० डी० एम० द्वारा माल बरामद किया गया था ? यदि हां, तो कितना कितना व कितने कितने रुपये का ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(8) उपरोक्त गबन करने वाले अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) सवाई माधोपुर होलसेल उपभोक्ता थोक भण्डार लि०, की शाखा हिण्डौन में दिनांक 24-8-67 को बाढ़ के प्रकोप के कारण पानी भर गया था जिसके कारण 4282.55 पैसे की हानि हुई है । खराब हुये माल की जिन्सवार तादाद एवं मूल्य की सूची परिशिष्ट (अ) पर संलग्न है ।

(2) भण्डार में बाढ अचानक रात के 2 बजे आई। माल बाढ़ के कारण खराब हुआ। प्रारम्भिक जांच से पाया गया कि सैल्समैन ने मौके पर पहुंच कर माल को हिफाजत से रखने के बारे में कोई कार्यवाही नहीं की, इस मामले में उसको भण्डार द्वारा निलम्बित किया जा चुका है ।

(3) जी हां । माल को नीलामी कर पशुओं के चरने के लिये बेचा गया सूची परिशिष्ठ (ब) पर संलग्न है ।

(4) माल की नीलामी के दोरान में खाद्य निरीक्षक एवं चिकित्सक एवं स्वास्थ्य

(सहकारी मंत्री)

अधिकारी मौके पर आये । उन्होंने उप-जिलाधीश, हिण्डौन की ओर से इस माल को जंगल में फैंकने के आदेश दिये ।

(5) जी हां ।

(6) उप-जिलाधीश के आदेश के बाद कोई माल नहीं बेचा गया न किसी अधिकारी द्वारा कोई गबन किया गया ।

(7) जी नहीं ।

(8) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

भू-संरक्षण कार्य के लिये ऋण एवं अनुदान

89. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में भू-संरक्षण का कार्य कब शुरू किया गया और अब तक इस कार्य के लिये कितना ऋण व अनुदान दिया गया है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उपरोक्त कार्य के लिये ऋण व अनुदान देने के संबंध में कोई नियम बने हुये हों तो उन नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) ऋण और अनुदान देने में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है और उक्त ऋण व अनुदान स्वीकार करने का अधिकार किस अधिकारी को किस नियम के अनुसार हैं तथा इनमें से जो ऋण है उसको किस प्रकार वसूल किया जाता है ?

उत्तर

(दिनांक 5-9-68 के लिये स्थगित **किया गया**)

बाड़मेर जिले में नल कूप

90. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** (बाड़मेर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) बाड़मेर जिले में कितने ट्यूब वेल्स का निर्माण किया गया है ? उनकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) उनमें जल की क्या क्षमता है ?

(3) उन नल कूपों (ट्यूब वेल्स) को किस प्रकार प्रयोग में लिया जा रहा है ?

(4) जिन ट्यूब वेल्स को प्रयोग में नहीं लिया जा रहा है, उनकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(5) उनके प्रयोग में नहीं लिये जाने के क्या कारण हैं ।

उत्तर

(1) कुल 35 नल-कूपों का निर्माण किया गया जिनकी सूची सदन की मेज पर रखदी गई है ।

(2) जल की क्षमता भी उपर्युक्त सूची में सम्मिलित कर दी गई है ।

(3) जल वितरण योजनाओं के लिये प्रयोग में लिया जाता है ।

(4) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(5) प्रयोग में नहीं लिये जाने के कारण निम्न प्रकार हैं:-

(1) पानी की क्षमता का कम होना,

(2) पानी पेय योग्य न होना,

(कृषि मंत्री)

(3) पम्पिंग सैट उपलब्ध न हो सकना।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

जयपुर जिले की भवन निर्माण सहकारी समितियां

91. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि जयपुर जिले में कोई भवन निर्माण सहकारी समितियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है ? यदि हां, तो कौन कौनसी भवन निर्माण सहकारी समितियों का कब कब निर्माण हुआ और उसमें कौन कौन सदस्य बने तथा सदस्यों ने कितने कितने मूल्य के हिस्से खरीदे ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(2) उपरोक्त भवन निर्माण सहकारी समितियों को कितनी कितनी जमीनें कब कब मिलीं और उन समितियों ने अपने किन किन सदस्यों को कितनी कितनी जमीनें कब कब वितरित कीं तथा सदस्यों ने कब कब उक्त जमीनों में भवन बनाये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) उक्त समितियों के पास जो हिस्सा राशि एकत्रित हुई थी उसको किस किस कार्य में लगाया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(दिनांक 5-9-68 के लिये स्थगित किया गया)

पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि का निर्धारित लक्ष्य

92. **श्री रामकिशन** (वैर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) प्रथम, द्वितीय व तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि संबंधी क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये थे ? क्या वे लक्ष्य पूरे हुए ? अगर नहीं , तो क्या कारण हैं ?

(2) इन योजनाओं में निर्धारित धन-राशि का पूर्ण उपयोग हो सका या नहीं ? अगर नहीं हुआ, तो क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) प्रथम, द्वितीय व तृतीय योजनाओं के खाद्यान्न का अतिरिक्त उत्पादन क्षमता का लक्ष्य व लक्ष्यपूर्ति निम्न प्रकार रही:–

योजना	लक्ष्य (लाख टन)	लक्ष्य प्राप्ति (लाख टन)
प्रथम योजना	2.00	3.30
द्वितीय योजना	8.12	10.14
तृतीय योजना	15.00	11.77

तृतीय पंचवर्षीय योजनाकाल में कम उत्पादन का मुख्य कारण वर्षा की कमी है। तीन चार वर्षों में औसत वर्षों से भी कम वर्षा हुई और राज्य के अधिकांश भाग में सूखा पड़ा।

(2) प्रथम, द्वितीय व तृतीय पंच वर्षीय योजना में प्रावधान व व्यय निम्न प्रकार रहा:–

(रकम लाख रुपयों में)

योजना	प्रावधान	व्यय
प्रथम योजना	224.10	173.02
द्वितीय योजना	451.38	519.34
तृतीय योजना	1,055.00	1394.64

Page No. 40

(कृषि मंत्री)

द्वितीय पंचवर्षीय योजना व तृतीय पंचवर्षीय योजना में व्यय प्रावधान से अधिक हुआ और प्रथम पंचवर्षीय योजना में व्यय प्रावधान से कम हुआ क्योंकि यह प्रथम योजना थी ।

सहकारी होलसेल भण्डार, कलेक्ट्रेट कोटा

93. **श्री लाभचन्द वेद** (सुजानगढ़) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या कोटा कलेक्ट्रेट में सहकारी होलसेल भण्डार के अन्तर्गत एक जलपान गृह खोला गया है ? अगर हां, तो कब से ? क्या वह बन्द हो गया है ? अगर हां, तो कब ?

(2) क्या जलपान गृह खोलने के लिए कमरा किराये पर लिया गया ? अगर हां, तो कितने रुपये मासिक पर ? क्या जलपान गृह का किराया जमा करा दिया गया है ?

(3) क्या जलपान गृह का फर्नीचर व अन्य सामान खरीद लिस्ट के मुताबिक मौजूद है ?

(4) क्या सहकारी होलसेल भण्डार के अन्तर्गत एक कपड़ा विक्रय शाखा भी खोली थी ? अगर हां, तो कब, वह चालू है या बन्द है ? क्या हिसाब मैनेजर ने पेश कर दिया है ?

(5) उक्त होलसेल भण्डार के अन्तर्गत किस किस शाखा में आमदनी व नुकसान कितनी कितनी मात्रा में हुआ है ?

उत्तर

(1) कोटा सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लि० के अन्तर्गत कोटा कलेक्ट्रेट में जून, 66 से जलपान गृह खोला गया है । वर्तमान में यह जलपान गृह चल रहा है ।

(2) जलपान गृह के लिए कमरा किराये पर नहीं लिया गया है । जलपान गृह हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग से जमीन ली गई है, जिस पर भण्डार ने बांस का कैबिन तैयार करवाया है । जमीन का किराया अभी तय नहीं हो पाया है ।

(3) जी नहीं । जो सामान कम हुआ है उसकी जिन्स, तादाद एवं मूल्य की सूची परिशिष्ट (अ) पर संलग्न है । कुल सामान 7,337.85 पैसे का क्रय किया गया था एवं कम होने वाले सामान का मूल्य 200.32 पैसे आंका गया है, जो कि क्रय मूल्य के अनुसार है । दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है ।

(4) कोटा होलसेल भण्डार के अन्तर्गत एक कपड़ा विक्रय शाखा नवम्बर, 65 में खोली गई थी । यह शाखा अभी चालू है । शाखा के सीनियर सेल्समैन द्वारा अभी पूर्ण हिसाब पेश नहीं किया गया है ।

(5) कोटा होलसेल भण्डार की शाखाओं का हिसाब डबल कम्पार्टमेन्ट सिस्टम से रखा जाता है । अतः प्रत्येक शाखा का पृथक पृथक लाभ अथवा हानि के सही आंकड़े बताया जाना संभव नहीं है ।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

(12.13 म० प०)

श्री शिवचरण माथुर, शिक्षा मंत्री द्वारा मंत्री पद से त्याग-पत्र देने की घोषणा

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

अध्यक्ष महोदय खड़ा है ।

(श्री अध्यक्ष)

सूचना जो गाम्भीर्य रखती है वह देना चाहता हूं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार व श्री भैरोंसिंह शेखावत ने नियम 119 के अन्तर्गत प्रस्ताव श्री शिवचरण माथुर, शिक्षा मंत्रीजी के विरुद्ध प्रस्तुत किये। इन दोनों ही प्रस्तावों में शिक्षा मंत्रीजी के विरुद्ध यह आरोप लगाये गये थे कि उन्होंने भीलवाड़ा जिले के पानसल जागीरदार से दो बीघा कृषि भूमि नजराना देकर खरीदना बता कर उसके आधार पर अपने पद के प्रभाव से उस भूमि का नामान्तरण करवा कर उसको आबादी भूमि में परिवर्तित करा लिया और फिर उस भूमि के प्लाट्स बना कर भिन्न 2 व्यक्तियों को ऊंची कीमतों में क्रय किया।

इन प्रश्नों की ग्राह्यता के निर्णय लेने के लिये मैंने श्री शिवचरण माथुर, शिक्षा मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी से जानकारी मांगी जो मेरे पास आयी थी। इसी संदर्भ में मुख्य मंत्रीजी का पत्र मेरे पास आज ही आया है। श्री शिवचरण माथुर, शिक्षा मंत्रीजी ने अपने पद से त्याग-पत्र दे दिया है। जो राज्यपाल महोदय के पास स्वीकृति हेतु भेज दिया गया है।

(विरोधी पक्ष द्वारा हीयर हीयर एवं करतल-ध्वनि)

इसके सम्बन्ध में श्री शिवचरण माथुर इस सारी स्थिति का स्पष्टीकरण करते हुए एक वक्तव्य देना चाहते हैं उसके लिये अनुमति देता हूं।

(श्री शिवचरण माथुर के खड़े होने पर विरोधी पक्ष द्वारा करतल ध्वनि)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एट लीस्ट कांग्रेचुलेशन्स फार दिस स्टेप।

श्री शिवचरण माथुर द्वारा स्पष्टीकरण

श्री शिवचरण माथुर (शिक्षा मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे सम्बन्ध में जो प्रश्न उपस्थित है उसके लिये मेरा यह निम्न वक्तव्य है:

भीलवाड़ा स्थित मेरी दो बीघा जमीन के प्रश्न को लेकर पिछले कुछ दिनों से मैं राजस्थान विधान सभा के क्षेत्रों में चर्चा का विषय बना हुआ हूं। विधान सभा के दो माननीय सदस्यों ने मेरे द्वारा इस जमीन का पट्टा पानसल जागीरदार से प्राप्त करने से लगाकर उसे आबादी में परिवर्तित करके बेच देने की सारी कार्यवाही के सम्बन्ध में कई प्रकार की आपत्तियां उठाई हैं। माननीय सदस्य भैरोंसिंह शेखावत द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव की प्रति जब विधान सभा सचिवालय से मुझे प्राप्त हुई तो मैंने उसका विस्तृत उत्तर दिनांक 25-8-68 को सचिव, राजस्थान विधान सभा के पास प्रेषित किया तथा सारी परिस्थिति से मेरे दल के नेता तथा राज्य के मुख्य मंत्रीजी और सारे मंत्री परिषद् के सदस्यों को अवगत कराया।

संबंधित जमीन के सम्बन्ध में जो आपत्तियां माननीय सदस्यों द्वारा उठाई गई हैं उनके सम्बन्ध में मैं यही कह सकता हूं कि मैंने आदि से अन्त तक कहीं भी बुरी नीयत के साथ अपने प्रभाव को काम में लेकर गलत कार्यवाही नहीं की है। जो भी कार्यवाही इस सम्बन्ध में हुई वह साधारण रूप से प्रत्येक स्तर पर जांच के बाद हुई है तथा मैंने हर समय एक साधारण नागरिक की भांति अपने हक को प्राप्त करने के प्रयत्न किये हैं।

(श्री शिवचरण माथुर)

राज्य में जागीरदारों द्वारा दिये गये अनेक भूखण्डों के पट्टों को सरकार ने मान्यता दी है और उन पर आबादी के हक दिये गये हैं। मैंने तो प्रत्येक स्तर पर नियमित रूप से आवेदन-पत्र देकर अन्तिम निर्णय प्राप्त होने पर ही अग्रिम कार्यवाही की है। राजस्थान में ऐसे अनेक ऐसे भूखण्ड हो सकते हैं जिन पर लोगों का हक नहीं है फिर भी वहां मकान बन गये हैं या जमीनें बेच दी गई हैं। मैं इस सारे मामले के सम्बन्ध में संक्षेप में कुछ तथ्यों की ओर इस सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना अपना कर्तव्य समझता हूं।

सम्वत् 2005 में मैंने भूतपूर्व जागीरदार पानसल से दो बीघा जमीन का एक पट्टा भीलवाड़ा के स्व० श्री भोपाल सिंहजी माथुर के द्वारा प्राप्त किया। यह सही है कि मैं उन दिनों भीलवाड़ा में स्थायी रूप से नहीं रहता था लेकिन भीलवाड़ा में मेरा सार्वजनिक काम की दृष्टि से निरन्तर आना जाना रहता था। मेरा यह निश्चय था कि काम की दृष्टि से मुझे स्थायी रूप से भीलवाड़ा में ही बसना है। स्व० श्री भोपालसिंह माथुर से मेरा 1945 से ही निकट का परिचय था और वह जब भी उदयपुर आते थे अपने माइनिंग के काम के सम्बन्ध में मुझसे सलाह लिया करते थे। इसी दरमियान मैंने उनसे भीलवाड़ा में थोड़ी जमीन आबादी के लिए लेने की बात कही थी। श्री भूपालसिंह के सम्बन्ध पानसल के जागीरदार साहब से घनिष्ट थे और वह उनके परिवार के अन्तरंग सलाहकारों में थे। श्री भोपाल सिंहजी माथुर ने उक्त दो बीघा का पट्टा मेरे नाम करवाया। यह पट्टा निरन्तर उन्हीं के पास रहा। पट्टे के संबंध में जो भी कार्यवाही करवानी थी उसके लिये मैं पूर्णतया उन्हीं पर निर्भर था। जमीन के नामान्तरकरण आदि के सम्बन्ध में भी सन् 1960 में उनके द्वारा ही कार्यवाही की गई तथा 21-8-60 को इस जमीन का नामान्तरकरण मेरे नाम होकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया गया। जमीन का लगान 1961 तक का एक साथ मय ब्याज तथा बाद के वर्षों में प्रति वर्ष में जमा कराता रहा।

दिनांक 22-8-67 को जबकि मैं राजस्थान सरकार के मंत्री पद पर भी नहीं था मैंने इस जमीन को पट्टे के शर्तों के अनुसार हलके आबादी में परिवर्तित करने तथा राजस्व रिकार्ड में आवश्यक संशोधन करने के लिए एक प्रार्थना-पत्र तहसीलदार भीलवाड़ा को दिया। तहसील तथा जिलाधीश कार्यालय में सारी स्थिति की जांच की और पट्टे की रूह से इस जमीन को आबादी में परिवर्तन करना उचित समझा। परन्तु चूंकि इसकी अन्तिम स्वीकृति राज्य सरकार से आवश्यक थी अतः जिलाधीश कार्यालय से अन्तिम स्वीकृति के लिए कागजात राज्य सरकार को भेज दिये गये। राज्य सरकार ने जिलाधीश की रिपोर्ट के आधार पर इस जमीन को हल्का आबादी में परिवर्तित करने के आदेश दिनांक 2-2-68 को प्रदान कर दिये।

1966 के प्रारम्भ से ही भीलवाड़ा में मेरे व्यवसाय में कठिनाइयां उपस्थित हुईं और मेरी आय का श्रोत एक तरह से व्यवसाय से रुक सा गया। उस समय लोकसभा से मिलने वाले वेतन के अतिरिक्त आय का कोई श्रोत मेरे पास नहीं था अतः इन दिनों मेरे पर काफी कर्जा हो गया। कर्जे को चुकाने के लिए जायदाद को बेचने के अतिरिक्त मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। इस जमीन

(श्री शिवचरण माथुर)

के आबादी में परिवर्तित होने के बाद मैंने प्लाट बनाकर इस जमीन को कुछ लोगों को बेची और कर्ज से मुक्ति पाई ।

यद्यपि दिनांक 22-8-67 को जब मैंने यह कार्यवाही प्रारम्भ की मैं मंत्री पद पर नहीं था परन्तु यह सत्य है कि बाद की सारी कार्यवाही मेरे मंत्रित्व काल में हुई । दिनांक 6-9-67 को मैंने राज्य के शिक्षा मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की । इसके साथ यह भी सत्य है कि मैंने इस बीच किसी भी सरकारी अधिकारी को या मेरे साथी श्री बृजसुन्दर शर्मा तत्कालीन राजस्व मंत्री को अपनी जमीन के मामले को अनुचित ढंग से तय कर देने के लियेकभी नहीं कहा । मैं केवल यही कहता रहा कि यदि उचित रूप से मेरा हक बनता हो तो यह काम कर दिया जाय । मुझे भी यही कहा गया कि जो भी उचित होगा वही किया जायगा । सारी कार्यवाही साधारण रूप से हुई और मैंने यह माना कि मुझे मेरे हक के अनुसार यह जमीन दी गई है । मैं सत्यनिष्ठा और ईमानदारी से यह बात कहना चाहता हूं कि सम्वत 2005 से लगाकर आज तक इस सारे मामले में मेरी नीयत साफ थी और ऊपर कही हुई घटनाओं के आधार पर सारी बात स्वतः आगे बढ़ती गई ।

इस प्रश्न को लेकर आज मेरे ऊपर यह आक्षेप लगाया जाता है कि मैंने फर्जी पट्टा बनवाया तथा अपने प्रभाव का दुरुपयोग कर नाजायज कार्यवाही की मैं इस आक्षेप से इस सदन के माननीय सदस्यों के सम्मुख बहुत नम्रतापूर्वक इन्कार करता हूं तथा इस सदन को मेरे क्षेत्र की जनता को तथा राजस्थान के प्रत्येक सम्मानीय नागरिक को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैंने कभी भी गलत तरीके से इस जमीन का लाभ उठाने का प्रयत्न नहीं किया । मेरी सदाशयता में सन्देह नहीं होना चाहिए । मैं आज के हालात में अपने सम्बन्ध में चाहे कितना ही स्पष्टीकरण देने का प्रयत्न करूं संभव है विरोधी दल के माननीय सदस्यों के साथ ही मेरे दल के माननीय सदस्यों को भी विश्वास न हो क्योंकि आज तो ऐसे मामलों में यही माना जाता है कि अवश्य कोई बेईमानी की गई होगी । अतः इन भ्रान्तियों का निराकरण होना आवश्यक है ।

देश में स्वस्थ्य संसदीय परम्पराओं की स्थापना की दृष्टि से यदि किसी मंत्री के सम्बन्ध में ऐसी भ्रान्तियां हों तो उनकी सफाई आवश्यक है । संभव है यह स्पष्टीकरण मेरे मंत्री बने रहने पर नहीं हो सके क्योंकि यही समझा जायगा कि आज तो मंत्री ऐसे काम रात दिन ही किया करते हैं । अतः मैंने आवश्यक समझा कि उत्पन्न भ्रान्तियां कालान्तर में साफ हों और तब तक मुझे मंत्रि मण्डल में नहीं रहना चाहिये । मैंने अपने सार्वजनिक जीवन में आज तक लगन, सच्चाई और ईमानदारी से जो कुछ भी किया है वही मेरी कमाई है और यदि उसी को मैं खो दूं तो मेरे पास रहता क्या है ? इस संचित कमाई को सुरक्षित रखने के लिए मुझे किसी प्रकार की कीमत चुकानी पड़े वह कम होगी और मैं उसके लिए सदैव तैयार हूं ।

अतः मैंने निर्णय किया है कि मुझे राज्य के मंत्री पद से त्याग-पत्र दे देना चाहिए और मैंने अपना त्याग-पत्र माननीय मुख्य मंत्रीजी की सेवा में प्रस्तुत कर दिया है जिसे वह अविलम्ब स्वीकार करेंगे ऐसा मेरा उनसे निवेदन है ।

Page No. 44

(श्री शिवचरण माथुर)

इसके अतिरिक्त मैंने यह भी निश्चय किया है कि जिस जमीन के कारण मुझे यह सब कहना पड़ रहा है उसको भी मैं सरकार को वापिस लौटा दूं तथा जिन व्यक्तियों को मैंने यह जमीन बेची है उनका रुपया लौटा कर उनकी असुविधा के लिये उनसे क्षमा मांगलू मैं यह जानता हूं कि इस निर्णय के प्रभाव मेरे पर दूरगामी पड़ने वाले हैं लेकिन जैसा मैंने इससे पहले निवेदन किया कि मेरे लिये यह सब काम अन्जाम देने के लिये कोई भी कीमत चुकानी पड़े म तैयार हूं ।

करीब 1 वर्ष के इस अल्पकाल में जो विभाग मुझे आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने सौंपा उसको नई कल्पना के आधार पर नियोजित करने का मैंने भरसक प्रयत्न किया है और इस काम में मुझे राजस्थान के 1 लाख शिक्षक भाई बहनों, शिक्षा विभाग के अधिकारियों, राजस्थान की जनता, जन प्रतिनिधियों का एवं मुख्य मंत्रीजी का जो प्रेम पूर्ण सहयोग मिला उसके लिये मैं उन सब का हृदय से आभारी हूं ।

आशा है सदन के माननीय सदस्य मेरे शुद्ध अन्तःकरण से प्रेरित भावना के आधार पर दिये गये मेरे वक्तव्य पर उसी भावना से विचार कर अपना मन्तव्य मेरे बारे में बनायेंगे। मैं आप सबका आपके सहयोग के लिये एक बार पुनः आभार प्रकट करता हूं ।

(विरोधी पक्ष द्वारा करतल ध्वनि)

श्री भैरोंसिंह शेखावत (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले माननीय श्री शिवचरणजी माथुर को इस बात की बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक ऐतिहासिक परम्परा का निर्माण किया है । इस ऐतिहासिक परम्परा के निर्माण का सौभाग्य राजस्थान को, राजस्थान विधान सभा को मिला है । इसके लिए पुनः एक बार मैं बधाई देना चाहूंगा । अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक जीवन में शुद्धता का कितना महत्व है, उस महत्व को श्री शिवचरणजी माथुर ने अपने वक्तव्य में भली प्रकार से प्रकट किया है । मैं उनको अपनी ओर से भी इस बात के लिए स्पष्टीकरण देना चाहूंगा कि इस लोकतान्त्रिक व्यवस्था के अन्दर विरोधी दल के जो सदस्य हैं, उसके नाते हम लोगों के ऊपर कर्त्तव्य का जो दायित्व है, उस दायित्व को निभाने के लिए ही, उनके सम्बन्ध में इस प्रकार के प्रस्ताव की सूचना प्रेषित की थी । वे अपने दिमाग से, मन से इस बात को निकाल दें कि मेरे मन में उनके प्रति कोई व्यक्तिगत द्वेष या किसी प्रकार की कोई दुर्भावना थी । राजस्थान की विधान सभा में पिछले 15 वर्षों से रहते हुए मेरा भी, मेरे साथियों का सार्वजनिक जीवन है । हम कोई मसला विधान सभा में उठाते हैं तो वह किस दृष्टि से हो, तो यह प्रयत्न करते हैं कि उसमें व्यक्तिगत द्वेष, दुर्भावना कहीं लेष मात्र भी न हो। मुझे इस बात की खुशी है कि आपने आज के इस युग में जहां प्रत्येक व्यक्ति का मानस भ्रष्टाचार से परिपूर्ण है, उससे हटकर उसको किस प्रकार दूर किया जाय, इस समस्या के समाधान की ओर, तलाश करने को अग्रसर होता रहता है । आपने इस संबंध में, भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में अपने स्वयं का त्याग-पत्र देकर जो एक मार्ग प्रशस्त किया है, मैं आशा करता हूं कि इससे दूसरों को अनुसरण करने का मौका मिला हैं इससे हम देश के अन्दर भ्रष्टाचार के भूत को बिल्कुल ही समाप्त कर देंगे ।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस भूमि का प्रश्न है, मैं इस विवाद में नहीं जाना चाहूंगा। इस विवाद के प्रसंग में श्री शिवचरणजी माथुर ने जो वक्तव्य दिया है, उस वक्तव्य को मैं उसे उसी रूप में स्वीकार करता हूं। लेकिन मैं इस दृष्टि से विवाद में नहीं जाना चाहूंगा। उन्होंने जिस प्रकार की परम्परा बनाकर, एक वातावरण को पैदा करने की चेष्टा की है, उस वातावरण का प्रचार, प्रसार, प्रभाव जनमानस के ऊपर पड़े, उस दृष्टि से उचित समझूंगा कि इस जमीन के विवाद को इस समय, इस स्थान पर न उठावें लेकिन अपील करना चाहूंगा आपसे और इस सदन से भी, अध्यक्ष जी, आपके द्वारा मुख्य मंत्रीजी को, और शिवचरणजी माथुर से अपील करना चाहूंगा कि उन्होंने जो कदम उठाया है, उसका एक प्रश्न जनमानस में, जनता की दृष्टि में रह जाता है कि इस प्रकार की कार्य-वाही का क्या औचित्य था ? इस स्थिति का, इस चीज का स्पष्टीकरण आवश्यक होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसकी जांच हो। श्री शिवचरणजी माथुर ने जनता की सेवाएं की हैं। गरीबों के बीच काम किया है। शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रकार का नया काम किया है। उनके जीवन की भी एम्बीशन्स हैं समाज की सेवा करने की। वे एक योग्य व्यक्ति हैं और एक छोटे से मामले को लेकर, हमारे मोशन के कारण उसमें किसी प्रकार की बाधा उपस्थित न हो इसलिए इसका स्पष्टीकरण बहुत ही आवश्यक है। यह स्पष्टीकरण न केवल सदन की परम्परा को कायम करेगा बल्कि श्री शिवचरणजी माथुर को भी उचित मौका देगा वे अपने ऊपर से इसे हटा सकें और अपनी एक छाप छोड़ेंगे। इसके असत्य प्रकट होने पर विधान सभा के सामने दूसरे सदस्य कोई मसला सोच समझ-कर ही उठायेंगे। अध्यक्ष महोदय यह कभी नहीं हुआ कि जो आरोप यहां लगे वे गलत साबित होंगे। माथुर साहब के केस में जांच की आवश्यकता होगी। हो सकता है यह गलत हो जायं। मेरी आज भी यह मान्यता है कि हमने जो भी मसला, तथ्य सदन के सामने रखे हैं वे सही हैं और सही रहेंगे जब तक इन तथ्यों की जांच न हो। जांच की एजेन्सी किस प्रकार की हो ? यह आप देखें कि आम तौर से एक प्रकार के आरोप हैं। नागरिकों में, लोगों में अनेक प्रकार की शंकाएं उत्पन्न हुई हैं, उनका भी निराकरण हो सकेगा। इस प्रकार की जांच मेरे हित में तो नहीं होगी लेकिन श्री शिव-चरण जी माथुर को इस प्रकार की जांच और इस जांच के माध्यम से उनके सम्बन्ध में समाज में जो भ्रान्तियां फैली हैं, उनको हटाने का अवसर मिलेगा। इसलिये इसके ऊपर विचार किया जाना चाहिये। उन्होंने जिस प्रकार की परम्परा कायम की है, उसका हम लोगों पर प्रभाव पड़ा है। मानस के ऊपर प्रभाव पड़ा है। इस सदन पर भी प्रभाव पड़ेगा कि इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाते समय सदन में जिम्मेदारी से काम करेंगे। उनको एक मार्गदर्शन दिया है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : पाइन्ट आफ आर्डर....इस प्रकार स्पष्टीकरण के देने के बाद सदन में डिबेट नहीं होती। यह बड़ा गलत तरीका है...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें...

श्री मूलचन्द डागा : यह नियमों के खिलाफ है। विवाद नहीं होना चाहिये...

श्री अध्यक्ष : वह विवाद नहीं है, केवल वाद है....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): कोई सदस्य सदन में भाषण दे रहे हों और यह सदन उसे शान्ति के साथ सुन रहा है, तो उसमें बाधा डालना भी नियम के खिलाफ है...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज..आर्डर प्लीज....

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं यह अर्ज कर रहा था कि इस संबंध में यथोचित कदम उठाये जायें। इसको गंभीरता से लें। यह पर जो आरोप लगाये हैं, उनकी जांच करालें और यदि यह परम्परा चल पड़ी तो जो आरोप लगायेंगे वे सोचेंगे। आरोपों की सत्यता, असत्यता की बात सामने आ जायेगी।

मैं समझता हूं कि ठीक प्रकार की व्यवस्था होगी। अतः अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा और वह रूल के हिसाब से निवेदन करूंगा कि मैंने जो अपना प्रस्ताव रखा है वह न केवल शिवचरण जी माथुर के लिये रखा है बल्कि भूतपूर्व शिक्षा मंत्री श्री बृज सुन्दर जी शर्मा भी इस सारे मामले में हैं, मैंने यह प्रस्ताव भी उसी के साथ रखा है। मैं समझता हूं उसके ऊपर आपने कोई व्यवस्था नहीं दी है इसलिये मैं अधिक न कहकर और आपके माध्यम से यह कहूंगा कि श्री बृज सुन्दर जी शर्मा वे भी इस परम्परा के अन्दर त्याग-पत्र दें तो यह सदन खुशी खुशी उसका स्वागत करेगा।

(करतल ध्वनि)

इसलिये मैं उस सम्बन्ध में आपका निर्णय चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री दुर्गालाल बाढ़दार। संक्षेप में।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर): माननीय मंत्री महोदय के लिये जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है अध्यक्ष महोदय, मैं उस पर कोई चर्चा करना नहीं चाहता। इतना मैं अवश्य निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान राज्य के मंत्रिमण्डल के इतिहास में जो आदर्श माननीय श्री शिवचरण जी ने प्रस्तुत किया है वह एक अद्वितीय आदर्श के रूप में माना जाय और अपेक्षा हम लोग यही करके चलते हैं कि इस सदन में मंत्रिमण्डल के प्रति आरोप प्रत्यारोप लगाये जाते हैं, जांच की मांग की जाती है और इस प्रकार का कटु वातावरण उपस्थित करने की चेष्टा होती है लेकिन हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हमारे हृदय में किसी प्रकार की कलुषित भावना नहीं है। मैं तो माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां तक निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार समुद्र मंथन करने की आवश्यकता हुई। देवताओं और दानवों ने मिलकर मंथन किया और उसमें रत्न भी निकले और विष भी निकला लेकिन शिवजी सारी परिस्थिति को काबू में करने के लिये विष का पान करते हैं। परिस्थितियां कुछ भी रही हों लेकिन शिवजी विष का पान करते हैं उसी प्रकार आज श्री शिवचरणजी माथुर ने अपने नाम को यथार्थ किया है। इस मंत्रिमण्डल में शिव ने विष पान किया है। लेकिन मेरे दूसरे साथी भैरोंसिहजी ने जो बहस इस सदन में रखी है वे माननीय मुख्य मंत्री महोदय से चाहते हैं कि वे इस प्रकार का आदर्श अपने मंत्रिमण्डल में उपस्थित करते रहने के लिये कुछ इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे। हम यह नहीं चाहते हैं कि निरपराध व्यक्तियों पर अत्याचार हो।

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

अपने कर्त्तव्य को निभाने के लिये कोई व्यक्ति यह पसन्द नहीं करेगा कि अपने साथियों को आघात पहुंचे, जिससे नुकसान हो लेकिन जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिये एक कटु वातावरण आता है, कटु परिस्थिति आती है। उस परिस्थिति की जांच करने के लिये, उस पर आगे चलने के लिये जनतान्त्रिक प्रणाली में, जिसका एक उतरदायित्व है, आदर्श उपस्थित करना है जिससे हम जनता में विश्वास पैदा कर सकते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम द्वारा राजस्थान सरकार के मंत्रि-मण्डल के सदस्यों से और विशेषकर माननीय मुख्य मंत्री जी से यह अपेक्षा करके चलता हूं कि यदि इस प्रकार का आदर्श राज्य में स्थापित करते रहे तो निश्चियात्मक रूप से हमारा राज्य देश में सर्व श्रेष्ठ माना जा सकता है और हम वास्तविक जनतन्त्र का आदर्श उपस्थित कर सकते हैं। बस मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री राम किशन (वैर) : अध्यक्ष महोदय, यह मामला जब सबसे पहले मेरे सामने श्री भैरोंसिहजी नोटिस में लाये, उस समय मेरी राय और थी और मैंने भैरोंसिहजी से निवेदन किया था कि श्री शिवचरणजी माथुर से मैं पिछले 20-25 वर्षों से परिचित हूं। जब हम छोटे छोटे बच्चे थे और स्कूल में पढ़ा करते थे उस समय भी हम कांग्रेस के मामलों में भाग लिया करते थे। मैंने उनसे कहा इसकी पूरी पूरी जांच हो जाय तभी राय बनायेंगे लेकिन मैं इस मामले में श्री शिवचरणजी को मन से बधाई देना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के लोकतन्त्र में जो बुरी व्यवस्थाएं होती जा रही हैं उसके मामले में उन्होंने जो उदाहरण प्रस्तुत किया है वह राजस्थान के लोग ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान के अन्य राज्य भी प्रेरणा लें, ऐसी मेरी आशा है। हमें सबको सबक लेने की कोशिश करनी चाहिये। हमारा काम कोई मूर्ति पूजन, भजन करने का नहीं है। अगर हमने अपना कोई उत्तरदायित्व नहीं समझा तो वह क्रमशः धीरे धीरे हमें भी समाप्त कर देगा लेकिन आज जिस प्रकार का उदाहरण श्री शिवचरण जी माथुर ने सदन में रखा है वह तथ्य किसी से छिपा नहीं है। उनकी जांच हो या न हो सदन के नेता एक तरह से जागरूक हैं कि वे क्या कदम उठाते हैं। शायद यह हिन्दुस्तान में दूसरा या तीसरा उदाहरण है जब एक व्यक्ति आचरण पर दोष लगाने के कारण त्याग-पत्र देता है। पहले तो टी० टी० कृष्णमाचारी हैं और दूसरे गोविन्द वल्लभ पंत के समय में श्री अली जहीर ने इस्तीफा दिया था। तो मैं इस सम्बन्ध में कुछ न कहकर केवल बधाई देता हूं और राज्य के मंत्रीमण्डल के उन सदस्यों से भी इस सम्बन्ध में निवेदन करूंगा कि इस मामले में जो गंभीरता पैदा की जा रही है उससे सतर्क रहें। मैं समझता हूं इस प्रकार जो वातावरण बना है, राजस्थान ने उसमें शुरुआत की है और उसको हम भविष्य में भी कायम रखेंगे।

श्री मदन सिंह (दांता) : अध्यक्ष महोदय..

श्री अध्यक्ष : श्री बद्री प्रसाद गुप्ता।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता (बानसूर): जनतन्त्र में कोई भी किसी भी पद पर हो जनता का नुमाईन्दा किसी भी पद 'पर बैठा हो उसका चरित्र इतना निर्मल होना चाहिये

(श्री बद्री प्रसाद गुप्ता)

कि सारी जनता उसकी बात पर विश्वास करे। वह जनता के इन्टरेस्ट में पूरी तरह काम करे। आज स्वार्थों में आकर जनता के हितों को नहीं देखते हैं अगर इसी प्रकार की प्रणाली रही तब तो जनतंत्र का स्तर और सार्वजनिक स्तर धीरे धीरे नीचे गिर रहा है। मुझे खुशी है कि माननीय शिवचरण जी जागरूक व्यक्ति हैं और इन्होंने राजस्थान में एक मिसाल स्थापित की है। उन्होंने अपना पद त्याग किया है। अगर निहित स्वार्थों में ये नहीं लगे होते तो आज कांग्रेस को और कांग्रेस पार्टी को यह दिन नहीं देखना पड़ता और आज कांग्रेसियों की हालत दिनों दिन गिर रही है। सदन में आरोप प्रत्यारोप होते हैं लेकिन कोई परवाह नहीं करते। मैं सब सदस्यों से और खास तौर से ट्रेजरी बेंचेज पर बैठने वालों से नम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा कि हमारा चरित्र ऐसा होना चाहिये कि हरएक आदमी को सन्देह करने की गुंजाइश न हो, बल्कि एक न्याय की छाप होनी चाहिये। हमारा जीवन उज्ज्वल है। कोई व्यक्ति चरित्र के खिलाफ बात कहता है तो मैं उसको बुरा मानता हूं। भाई शिव चरणजी ने जो कदम उठाया है मैं उसकी सराहना करता हूं और सब सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि वे इसका अनुकरण करें।

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल। संक्षेप में। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा स्टेटमेंट के बाद प्रायः भाषण नहीं हुआ करते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री शिवचरणजी ने उदाहरण यहां प्रस्तुत किया है उसके लिये मैं उन्हें बधाई देता हूं। मुझे जब एक अखबार के द्वारा इस समाचार की जानकारी मिली तो मैंने श्री शिव चरण जी से मिलकर इसके बारे में जानकारी करनी चाही थी और उन्होंने जो तथ्य दिये जिनको कि उन्होंने अपने स्टेटमेंट में बयान किये हैं मेरे समक्ष रखे थे और उन्होंने पूछा था कि आपकी क्या राय बनती है। मैंने उन्हें स्पष्ट तौर पर कहा यह लोगों में जो भ्रान्ति है वह इन दो तथ्यों पर है कि सं० 2005 में यह क्रय हुआ या नहीं। यह ट्रान्सफारमेशन कैसे हो गया... आम आदमी जो उनके निकट रहने वाले हैं आपके चरित्र के बारे में जान सकते हैं वे सेटिसफाइ हो सकते हैं। लेकिन यह बात लाखों करोड़ों लोगों तक बात जानी चाहिये। मैंने उनसे कहा कि आपको इसके साथ वजन जोड़ना पड़ेगा तभी जाकर आपकी बात की पुष्टि हो सकती है। उन्होंने बहुत गंभीरता से यह कहा कि मैं पूरी कुर्बानी करने के लिये तैयार हूं। मैंने अपनी तुच्छ बुद्धि में जो बात आयी उनके सामने रख दी हमारे बुजर्गों ने सिखाया है पद से इज्जत बहुत बडी चीज है ! मैं यह कहकर उनके पास से चला आया। मैं देखता रहा दो तीन रोज से वे बड़े गम्भीर नजर आते थे उन्होंने अपनी सच्चाई को साबित करने के लिये अपनी जो कुछ कुरबानी वे दे सकते थे उन्होंने दी, इसका सदन को गर्व है। इस तरह से उन्होंने इस सदन की शान रखी है।

मैं भैरोंसिहजी की बात से सहमत हूं जिस प्रकार का उनका मोशन है इसकी तह में जाकर इसकी सफाई होनी चाहिये। वरना कुछ लोग यह ख्याल करेंगे कि वास्तव में इसके क्या तथ्य रहे हैं इसलिये उसका

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

निराकरण अवश्य होना चाहिये । उसके लिये जैसा कि उन्होंने सजेस्ट किया मैं उसका समर्थन करता हूं इस हाउस की एक कमेटी बना दी जाय मुख्य मंत्री महोदय कमेटी बना दें । कमेटी इन बातों पर गौर करके अपनी रिपोर्ट हाउस के समक्ष प्रस्तुत कर दें ताकि इसका समाधान उस आधार पर किया जा सके ।

अध्यक्ष महोदय, श्री शिवचरणजी माथुर ने अपने अल्प मंत्रित्व काल में जो छाप विरोधी दल के ऊपर विशेष तौर पर डायनामिक तौर पर काम करने की क्षमता, शिक्षा विभाग को अपने डायनामिक प्रोग्राम के अनुसार चलाने की उनकी क्षमता के हम प्रशंसक रहे हैं । फिर भी भैरोंसिंहजी ने जो प्रस्ताव रखा है उसके बारे में जब भी कभी हम आपस में चर्चा करते हम इस बात को स्वीकार करते कि शिक्षा विभाग में आपने डायनामिक परिवर्तन किये । इतना होते हुए भी हमारी जिम्मेदारी है विरोधी दल के सदस्य होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है जनता के प्रति जो हमारा कर्त्तव्य है वह ही अधिकतर हमारे ध्यान में रहा इसमें किसी के प्रति व्यक्तिगत द्वेष भावना का नहीं । माननीय शिवचरण माथुर ने जो त्याग किया है वह उनका आचरण इस सदन की मर्यादा के अनुकूल है फिर भी उन पर जो छींटा आया है उसका निराकरण कमेटी द्वारा होना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : नेता विरोधी दल ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री ने जो त्याग-पत्र देकर के सदन के समक्ष जो उदाहरण प्रस्तुत किया है उससे मैं समझता हूं जनतन्त्र को बल मिलेगा । मैं यह भी अनुभव करता हूं माननीय शिवचरण माथुर ने जो उदाहरण प्रस्तुत किया है उसका उनको गर्व होगा, मुझे गर्व है । इस सदन को गर्व है उनको मैं बधाई देता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में जो माननीय सदस्यों ने भावना व्यक्त की है कि इस समस्या का निराकरण हो, उसको दोहराऊंगा । इसको दोहराते हुए माननीय शिवचरण माथुर को पुनः बधाई देता हूं ।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : भीलवाड़ा जिले का मैं रहने वाला हूं अध्यक्ष महोदय, यह शिकायत मेरे सामने भी आयी थी मन में मेरे भी रोष था । आज मेरे साथी श्री शिवचरण माथुर ने जिस तरह का स्टेटमेन्ट दिया इस पर मुझे गर्व हुआ है । मंत्री 36 हैं लेकिन मैं तो 184 को ही इसी स्तर पर देखता हूं । कल एक प्रश्न आया था. क्या विधान में यह नियम है कि विधान सभा सदस्य थर्ड क्लास में ट्रेवल करे और भत्ता प्रथम श्रेणी का उठायें ? यह गलत परम्परा है । ये विधान सभायें जनता के लिये प्रकाश स्तम्भ हैं इससे ही सारे राजस्थान को प्रकाश मिलता है । आज जिस तरह की स्थिति श्री शिवचरण जी माथुर ने पैदा की है उसके लिये मुझे गर्व है ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, जिस परम्परा की दुहाई दे रहे हैं मैं समझता हूं अभी पार्लियामेन्ट में मुरारजी भाई देसाई जो वित्त मंत्री हैं उनके खिलाफ भी विरोधियों ने लान्छन लगाया था । मैं समझता हूं माननीय मंत्री ने भावना में बहकर जो कदम उठालिया है इससे जनता में जो काम करने वाले लोग हैं उन पर हर कोई लान्छन लगा सकता है मेरा उनसे

(श्री मूलचन्द डागा)

निवेदन है कि उनको इसका मुकाबला करना था। 2005 में जो जमीन खरीदी और उसके लिये आज वक्तव्य दे रहे हैं जिस वक्त वे मंत्री पद पर नहीं थे विधान सभा के भी सदस्य नहीं थे। उन्होंने 2005 में जागीरदार से जमीन ली जागीरें खत्म हो गई जागीरदार को ट्रान्सफर करने का अधिकार था।

श्री अध्यक्ष : आप इसके मेरिट पर मत जाइयें। इस प्रश्न पर वाद-विवाद नहीं हो रहा है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज का यह एक गम्भीर अवसर है जब कि मंत्रिमण्डल के एक महत्वपूर्ण सदस्य श्री शिवचरण माथुर, जिन पर आक्षेप किया गया, उन आक्षेप के बारे म किसी प्रकार की भ्रान्ति न रहे इस दृष्टि से न केवल त्याग-पत्र देने का ही उन्होंने निर्णय किया है बल्कि इसके साथ साथ जिस जमीन को लेकर वाद-विवाद खड़ा हुआ और जैसा कि ज्यादातर सदस्य जानते हैं वह जमीन 1960 से उनके नाम लैण्ड रेवेन्यू रेकार्ड में दर्ज है उसका लगान भी वे देते रहे हैं, उसका पट्टा जो जागीरदार का था उनके पास मौजूद है, यह तथ्य भी सामने है। उस जमीन के बारे में उस जमीन के प्लाट्स बनाकर बेचने की वजह से लाभ उठाया इस सम्बन्ध में भी कोई भ्रान्ति न रहे इस दृष्टि से उन्होंने न केवल जमीन की बिक्री से जो कुछ रुपया मिला उसको भी वापिस करने का ऐलान किया है। जिस जमीन के बारे में वाद-विवाद खड़ा हुआ उस जमीन को भी सरेन्डर करने की बात कही है। उसके साथ साथ जो त्याग-पत्र का निर्णय लिया वह अपने आप में उच्च उदाहरण सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है। मुझे इस बात की खुशी है कि विभिन्न दलों के नेताओं ने उनकी इस बात के लिये प्रशंसा की है। श्री शिवचरण माथुर के शिक्षा मंत्री पद संभालने के बाद उन्होंने उत्साह, मुस्तैदी और शिक्षा में नये तरीके चलाने की दृष्टि से काम किया उसके लिये वे सभी के प्रशंसा के पात्र बने हैं।

अध्यक्ष महोदय, उन्होंने जब अपने त्याग-पत्र का इरादा मेरे समक्ष जाहिर किया तो एक जनतंत्र में स्वस्थ परम्परा और उनकी भावनाओं को दृष्टि में रखते हुए भारी हृदय के साथ एक ऐसे कार्यकर्ता को जिनको कई वर्षों से और 1942 से तो बिल्कुल नजदीक से जानता हूं। वे राष्ट्रीय संघर्ष में रहे हैं और उच्च भावना से उन्होंने काम किया है। उनकी भावनाओं का आदर करते हुए उनके त्याग-पत्र को मैंने राज्यपाल महोदय को स्वीकृति के लिये भेज दिया है। राज्यपाल महोदय दिल्ली में हैं सदन में आने से पहले मैंने फोन पर उनसे बातचीत की है। उन्होंने शिक्षा मंत्री का त्याग-पत्र स्वीकार कर लिया जायगा, यह कहा है।

अध्यक्ष महोदय, एक अच्छे साथी के बिछुड़ने का मेरे मन पर काफी वजन है। मैं समझता हूं जो कदम उन्होंने उठाया है दोनों दृष्टियों से सदन उनकी भावनाओं की कदर करेगा।

कमेटी के द्वारा जांच हो और तरह से जांच हो। ये कुछ प्रश्न यहां उठाये गये हैं। म यह निवेदन करूंगा कि इस वक्त वह मोशन कोई सदन के समक्ष नहीं है और इस विवाद में मैं स्वयं भी पड़ना नहीं चाहता।

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्ताव ।

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री रामकुमार नन्दवाना, सदस्य विधान सभा द्वारा दिये गये दो स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं :

(1) मेवाड़ शुगर मिल, भूपालसागर द्वारा किसानों को गन्ने की कीमत का चुकारा न किया जाना ।

(2) चित्तौड़ जिले में अफीम के काश्तकारों को भारत सरकार द्वारा चुकारे में कटौती ।

दूसरा प्रस्ताव:—

(3) श्री भैरोंसिंह, सदस्य विधान सभा, ने राणावत वेतन आयोग के प्रतिवेदन एवं उस पर लिये गये राज्य सरकार के निर्णय से सरकारी कर्मचारियों में रोष एवं क्षोभ संबंधी एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है ।

इस विषय पर पहले से ही विचार हेतु दो दिन नियत किये जा चुके हैं। इस पर विचार विमर्श के दौरान माननीय सदस्य के अतिरिक्त अन्य माननीय सदस्यों को भी अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा । अतः श्री भैरोंसिंहजी द्वारा दिये गये स्थगन प्रस्ताव को भी सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं ।

निम्न स्थगन प्रस्तावों के बारे में राजस्थान सरकार से जानकारी चाही गई है । जानकारी प्राप्त होने पर उन पर निर्णय लिये जाकर मैं माननीय सदस्यों को सूचित करूंगा ।

(1) जिलाधीश, जयपुर द्वारा सुदर्शनपुरा से 25 हरिजन परिवारों को बेघरबार कर देने के संबंध में श्रीरामानन्द अग्रवाल द्वारा स्थगन प्रस्ताव ।

(2) बिजलीघर के कर्मचारियों द्वारा दिनांक 2 से 4 सितम्बर 1968 तक होने वाली भूख हड़ताल से संबंधित श्री रामानन्द अग्रवाल द्वारा स्थगन प्रस्ताव ।

(3) अजमेर में बनास पेय जल योजना पूरी होने पर भी जल संकट दूर न होने से सम्बन्धित श्री भगवानदास शास्त्री द्वारा स्थगन प्रस्ताव ।

(4) मकराने में सन् 1948 से पाकिस्तान से आये हुए कुछ लोगों की हरकतों से सम्बन्धित श्री विजयसिंह, मकराना द्वारा स्थगन प्रस्ताव ।

(5) दिनांक 5 अप्रेल, 1968 को कोटा स्थित खाद के कारखाने में प्रिलिन्ज टावर के टूट जाने से कई मजदूरों के घटना स्थल पर मारे जाने व घायल हो जाने संबंधी मामले में पुलिस की तफतीश को रोक देने के बारे में श्री कृष्णकुमार गोयल द्वारा स्थगन प्रस्ताव ।

(6) श्री रामचन्द्र (खण्डेला) श्री हरलाल सिंह व श्री हरजीराम बुरड़क, सदस्य विधान सभा से प्राप्त सीकर जिले में शंकर बाजरे के दोषपूर्ण बीज का वितरण से संबंधित स्थगन प्रस्ताव ।

(7) जिला पाली की तहसील देसूरी के ग्राम घाणेराव में जनता एवं सरकारी अनुदान से बनाया गया शहीदों का स्मारक एवं बालोद्यान को नष्ट करने सम्बन्धी श्री देवीदत्त गाड़िया द्वारा स्थगन प्रस्ताव ।

(श्री अध्यक्ष)

फौजी बच्चों के लिए मेडिकल कॉलेज में स्थान रखने के सम्बन्ध में चिकित्सा मन्त्री वक्तव्य देंगे ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : 25 हरिजनों को हटाने की बात के बारे में जानकारी के लिये मैं निवेदन कर दूं कि इसके लिये आदेश राजस्व उपमन्त्री द्वारा ही जारी हुए हैं, इसलिए उनको जानकारी है ही ।

(12.55 म. प.)

(श्री उपाध्यक्ष पदासीन)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 25 हरिजनों को हटाने के सम्बंध में मेरे स्थगन प्रस्ताव पर आसन से आदेश हुए हैं कि सरकार से जानकारी मांगी जा रही है । मेरे खयाल से राजस्व उप-मन्त्रीजी के पास जानकारी होगी क्यों कि उनके द्वारा ही स्टे ऑर्डर दिया गया था और उसकी ही अवहेलना हुई है । उनसे पूछ लिया जावे । यदि अभी देने को तैयार हैं उत्तर तो जैसा कहें उसके मुताबिक कार्य किया जावे ।

श्री उपाध्यक्ष : राजस्व मन्त्रीजी, आज आप वक्तव्य देने की स्थिति में हैं क्या ?

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : मैंने भी इसके लिए स्थगन प्रस्ताव 23 को दिया था और आज 29 हो गई है ।

श्री उपाध्यक्ष : निर्णय दे दिया गया है । कृपया कार्यालय से मालूम करें ।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : पूज्य महात्मा गांधी और सन् 57 के शहीदों का इस प्रकार से अपमान किया गया है ।

श्री उपाध्यक्ष : इस पर व्यवस्था दे दी गई है अध्यक्ष द्वारा । इसके बाद आप क्या चाहते हैं ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं दो मिनिट कहना चाहता हूं । माननीय मुख्य मंत्रीजी और गृह मन्त्रीजी को और सम्बंधित विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में पूरी जानकारी दे दी गई है । इस सम्बंध में शीघ्रता से वक्तव्य दिलाया जावे ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : ये बराबर बीच बीच में दस्तन्दाजी करते हैं । अध्यक्ष द्वारा निर्णय दे दिया गया है ।

शासकीय वक्तव्य

श्री बृजसुन्दर शर्मा (चिकित्सा मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो स्थगन प्रस्ताव माननीय सर्वश्री विजयसिंह, बालसिंह, सोढा एवं सुमेरसिंह ने मेडिकल कालेजों में जो पांच प्रतिशत स्थान फौजी बच्चों के लिए सुरक्षित रखने के विषय में सदन में रक्खा है और यह कहा है कि पांच प्रतिशत जो रक्खा है उसके अतिरिक्त पांच प्रतिशत और रखना चाहिये । इस संबंध में मैं निम्नलिखित वक्तव्य प्रस्तुत करता हूं :

"इस वर्ष राज्य सरकार ने सेवा रत एवं भूतपूर्व सैनिक कर्मिकों के बच्चों के लिए निम्नलिखित स्थान सुरक्षित रखे जाने का निर्णय लिया तारीख 15-8-68 को :

(1) मैडिकल कालेजों में समस्त सीटों का पांच प्रतिशत । और यह भी निर्णय लिया गया कि इन स्थानों पर भर्ती केवल न्यूनतम निर्धारित शैक्षणिक एवं अन्य मापदण्डों को पूरा करने व योग्यता के आधार पर ही होगी ।

(श्री वृज सुन्दर शर्मा)

ऐसी शर्तों को पूर्ण करने वाले छात्र न मिलने पर सुरक्षित स्थान असुरक्षित माने जाकर सामान्य पूल, जनरल पूल में चले जायेंगे। इस तरह इस वर्ष सेवा रत एवं भूतपूर्व सैनिक कर्मिकों के बच्चों के लिए राज्य के विभिन्न मैडिकल कालेजों में 30 स्थान सुरक्षित किये गये जब कि गत वर्ष मैडिकल कालेजों में इस प्रकार के केवल 13 स्थान ही प्रवेश हेतु सुरक्षित थे।

स्थान सुरक्षित रखने का उद्देश्य यह है कि सेवा रत एवं भूतपूर्व सैनिक कर्मिकों के बच्चे मैरिट के आधार पर प्रवेश न पा सकें तो उन्हें अलग से प्रवेश सुरक्षित स्थान में दिया जाय। जैसे ही मैरिट में लड़का आ जाता है सुरक्षित स्थान स्वतः ही समाप्त हो जाता है। इस आधार पर ही इस वर्ष 6 लड़के व लड़कियों ने मैरिट के आधार पर प्रवेश पाया है। तथा 24 लड़के/लड़कियां स्थान सुरक्षित होने के कारण प्रवेश पायेंगे। यदि मैरिट की सीट के अलावा 5 प्रतिशत सीट रिजर्व की गई तो नतीजा यह होगा कि मैरिट के आधार पर की जाने वाली सीटें कम हो जायेंगी। सुरक्षित सीटों की संख्या कुल प्रवेश संख्या के प्रतिशत पर निर्धारित की जाती है और जो मैरिट के आधार पर चयन हो जाते हैं उनको भी इस कुल संख्या में गिन लिया जाता है। लड़कियों के लिए 20 प्रतिशत स्थान सुरक्षित हैं। इनको भी कुल स्थानों के 20 प्रतिशत स्थान पर ही प्रवेश मिलता है।

अनुसूचित जातियों के लिए जो साढे बारह प्रतिशत स्थान राज्य सेवा में सुरक्षित हैं उनमें भी यही नियम लागू होते हैं यदि कोई मैरिट के आधार पर चयन हो जाते हैं तो वह संख्या 12।। प्रतिशत में शुमार कर ली जाती है। ऐसी सूरत में जब कि स्थान प्रतिशत पर सुरक्षित नहीं होते हैं तब जितने स्थान उनके लिए सुरक्षित रखे जाते हैं उन पर ही उनको चयन किया जाता है। अतः सेवा रत एवं भूतपूर्व सैनिक कर्मिकों के बच्चों के लिए राज्य सरकार ने जो स्थान सुरक्षित किये हैं वे कुल स्थान के प्रतिशत के आधार पर किये जाने के कारण इस प्रकार के मैरिट में आये हुए बच्चे समेत शुमार किये जाने योग्य हैं और इस तरह भी राजस्थान सरकार के नये निर्णय से इस प्रकार की सुरक्षित सीटें गत वर्ष की अपेक्षा 13 से बढ़कर 30 हो गई हैं। अतः यह कहना सही नहीं है कि फौजी बच्चों के साथ सौतेला व्यवहार किया है।

श्री मदनसिंह : शुरू में मैडिकल में पांच सीटें सुरक्षित की गई।

श्री उपाध्यक्ष : पांच नहीं, पांच प्रतिशत कुल सीटों का।

श्री मदनसिंह : जिस वक्त यह सवाल उठा था सी०एम० ने घोषणा की थी कि पांच सीटें और सुरक्षित रखी जावेंगी। अब इसमें जो मैरिट से आता है तो उसे आप इसमें क्यों शुमार करते हैं? फिर बचता ही क्या है। अगर दस बच्चे हैं और मैरिट से आये हैं और दस ही आपने रिजर्वेशन में गिन लिया तो इससे क्या लाभ हुआ? उस रोज यह विश्वास दिलाया गया था कि यह फौजियों को विशेष रियायत दी गई है।

(1 म० प०)

इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय कानून बनता है तो मैं समझता हूं कि फौजियों के लिए और दूसरों के लिए वह कानून एक सा होता है

(श्री मदनसिंह)
इसलिए विशेष अधिकार दिये गये हैं उनके संबंध में मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि यह विशेष अधिकार हरिजनों को भी हैं इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि फौजियों को क्या विशेष अधिकार हैं ? मैरिट्स से एक लड़का आता है और अगर वह फौजी का लड़का है तो उसको कैसे आप इन्क्लूड कर सकते हैं ? वह ईमानदारी से लिख दे कि वह फौजी का लड़का है और वह मैरिट्स में आ गया है तो वह तो आ ही गया। यह सवाल इसमें फौजियों के लिए नहीं है। जो राज्य सरकार ने एलाटमेंट के लिए ऐलान किया है आज अफसोस की बात है कि इस अलाटमेंट में भी वहां जितने फौजियों को जमीनें दी गई हैं वह वापिस औरों को दे दी गई हैं। मुझे अफसोस है कि जो कानून बनाते हैं और दूसरे कानूनों को हाथ में ले लेते हैं। इस असेम्बली में अनेकों बार व्यवस्था दी है कि फौजी कानूनी तरीके से आने चाहिये। आपको ताज्जुब होगा कि फौजी वकील करके कानून के तहत में अपीलेट में जीत जाते हैं तो यह राजस्थान सरकार इतनी निकम्मी है कि उनको मिनिस्ट्रीयल लेवल पर हराती है। मेरे पास सैंकड़ों एग्जाम्पल्स हैं कि इन दो वर्षों में जो सुविधायें सरकार ने दी हैं और कानून के तहत में दी हैं तो मंत्री पद के ऊपर उस सुविधा को खत्म कर दिया जाता है। इसलिए मैं समझता हूं कि इन्होंने नियम रखा है कि फौजी का लड़का मैरिट्स में आकर उसको जगह दी जाती है और उसमें इन्क्लूड नहीं करते। अगर इन्क्लूड करते हैं तो मैं समझता हूं कि यह सुविधा नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री विजयसिंह।

श्री विजयसिंह (मकराना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं उन्होंने 5 परसेन्ट के हिसाब से जो सीटें रखी हैं तो केवल 600 विद्यार्थी मेडीकल कालेज में लिये जायेंगे तो उसके हिसाब से कम से कम 30 बच्चों को स्थान मिलना चाहिए। उसके अलावा जो मंत्री महोदय ने कहा है कि जो मैरिट्स में आ गये हैं उनको उसमें इन्क्लूड कर लिया जायेगा। इसलिए असेम्बली के मेम्बर्स को भी शिड्यूल्ड कास्ट की सीटें नीयत की गई हैं और जो लड़के आ जाते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि शिड्यूल्ड कास्ट की सीटें कम कर दी जायेंगी। फौजियों के लिए इस प्रकार का अन्याय करना कि उनको जमीनें नहीं दी जाती हैं और उनको दिये हुए प्लाट्स भी दूसरों को दे दिये जाते हैं और उनको दिया हुआ आश्वासन पूरा नहीं किया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं हालांकि उनका ध्यान ही नहीं है, वह बातों में लगे हुए हैं.....

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : आपकी ही बात कर रहे हैं।

श्री केशरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली) : भैंस के आगे बीन बजाओ और बोते जाओ।

श्री विजयसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आपको आश्चर्य होगा कि उप-मंत्री के लड़के को लेने के लिए जो 21 साल की ऐज लिमिट है उसको लेने के लिए ऐज लिमिट 22 साल कर दी गई। इसलिए एक एक व्यक्ति के लिए रूल्स चेन्ज कर देते हैं और फौजियों के साथ इस प्रकार का अन्याय करते हैं इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि जो 5 परसेन्ट सीटें हैं उनको रखें वर्ना फौजी कभी बिगड़ गये तो मंत्री महोदय यहां नहीं मिलेंगे।

श्री जगन्नाथ पटेल (टोडारायसिंह) : माननीय उपाध्यक्ष, दो मिनट मुझे भी बोलने की इजाजत दी जाये। अर्ज यह है कि फौजियों के बारे में जो माननीय सदस्यों ने प्रश्न उठाया कि 5 परसेन्ट लेना चाहिए। मैं भी फौजी हूं लेकिन इसमें किसानों के साथ सौतेला व्यवहार हो जायेगा। जैसे फौजियों को यह दी जाती है इसी तरह से किसानों को भी डिग्री कालेज हैं या और कहीं भी हों उनको भी 5 परसेन्ट जगह दी जायें। मेरा यही निवेदन है।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : उपाध्यक्ष महोदय, इसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप यह जानकारी साथ में और दे दें कि पहले कितनी सीटें थीं और उनमें एडीशन किस आधार पर किया है और एडीशन भी पीसमील में क्यों किया गया है, कितनी सीटों का रिजर्वेशन किया गया है, मिनिमम परसेन्टेज क्या है और आइन्दा के लिए पालिसी क्या है? लोग बड़े सस्पेन्स में हैं और एक अर्ज और है कि जोधपुर यूनीवर्सिटी के लड़कों का कितनों का हुआ है और उदयपुर यूनीवर्सिटी का कितनों का हुआ है और राजस्थान यूनीवर्सिटी का कितना हुआ है ताकि मालूम हो जाये कि ज्यादा हिस्सा किस का है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैडीकल कालेज में एडमीशन का मसला पिछले सत्र में भी इस विधान सभा में आया था। काफी वाद-विवाद के बाद राजस्थान की सरकार ने इसको स्वीकार किया कि सीटों के रिडक्शन के लिए जो सरकार ने नीति बनाई थी उस नीति के अनुसार सीट्स रिड्यूज नहीं की जाये बल्कि पुरानी व्यवस्था के अनुसार ही सीट्स का एलोकेशन किया जाये। उसके बाद इस वर्ष सबसे पहले मैडीकल कालेज में प्रवेश का प्रश्न जब उपस्थित हुआ उस समय राजस्थान की सरकार की ओर से यह निर्देश दिया गया कि मेडीकल कालेज में एडमीशन के लिए प्री-मैडीकल टेस्ट की आवश्यकता है। सरकार को मैडीकल कालेज में एडमीशन लेने वाले विद्यार्थियों को उनके अभिभावकों ने और कई अन्य व्यक्तियों ने सुझाव दिया कि प्री-मैडीकल टैस्ट की व्यवस्था करना था सरकार को तो सत्र के आरम्भ होने के उस समय पर करनी चाहिए थी कि जो एग्जामिनेशन के रिजल्ट निकल गया और उसके बाद में यदि प्री-मैडीकल टेस्ट की व्यवस्था की जाती है और वह भी व्यवस्था इस प्रकार की है कि जिसमें कई थर्ड डिवीजनर्स या जिनके नम्बर अनुपात से बहुत कम आये हैं वह लड़के भी प्री-मेडीकल टेस्ट में भाग ले सकेंगे और इसके अतिरिक्त प्री-मैडीकल टैस्ट लेने तक और उसके परिणाम निकलने तक ऐसे छात्र जो मैडीकल में उत्तीर्ण नहीं होंगे उनके एडमीशन का किस प्रकार से काम चलेगा? कहां उनको एडमीशन मिल पायेगा? यह वाद-विवाद कई दिनों तक चलता रहा और इसके पीछे मूल कारण यह है कि जयपुर में जो यूनीवर्सिटी है उस यूनीवर्सिटी में और उदयपुर और जोधपुर की यूनीवर्सिटी में जो अंक देने की व्यवस्था है उसमें सैशनल मार्क्स वहां पर दिये जाते हैं और राजस्थान यूनीवर्सिटी में ऐसा नहीं किया जाता और उसके कारण उन लोगों का जो नम्बर प्राप्त करने का अनुपात है वह जयपुर वालों के मुकाबले में ज्यादा पड़ता है। यह प्रश्न पिछले सत्र में भी आया था और इस के लिए इतना अनुरोध किया था कि या तो जोधपुर और उदयपुर में इसकी व्यवस्था करने के लिए वहां के वाइस चान्सलरों से

(श्री भैरोंसिंह)

बात करें और तीनों यूनीवर्सिटियों में समान रूप से अंक दिये जायें । इस प्रकार की व्यवस्था करके चलें ताकि विद्यार्थियों में इसका असन्तोष नहीं हो । वर्ना जयपुर में पढ़ने वाले छात्र को तो कम अंक प्राप्त होंगे और उदयपुर और जोधपुर में पढ़ने वाले छात्र को ज्यादा प्राप्त होंगे । यही कारण था मुझे याद है कि कई छात्रों ने उदयपुर और जोधपुर जाकर इन्हीं प्रश्नों को सामने रखा है और एडमीशन लिया कि वहां जाकर हम मैरिट्स लिस्ट में आसानी से आ सकेंगे । दुर्भाग्य की बात यह है कि सरकार ने प्री-मेडीकल टैस्ट की व्यवस्था करके उन सारी चीजों के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश की । अच्छा होता कि राज्य सरकार यूनीवर्सिटीज से बातें करके इस प्रकार की व्यवस्था कर लेती जिसमें छात्रों को अंक दिये जाने में किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता । लेकिन सरकार ने आज तक इस सम्बन्ध की कोई व्यवस्था नहीं की है ।

इसके अतिरिक्त उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक फौजियों का प्रश्न आता है । आज हिन्दुस्तान का हरएक व्यक्ति देश की चिन्ता से आतंकित है । दुश्मन किस समय हमारे देश पर हमला कर दे । इसका आप अनुमान लगा कर नहीं चल सकते हैं । यह हमला आज होगा या दो महीने बाद होगा हमें यह प्रश्न सामने रखकर चलना होगा कि जो सीमा की रक्षा के लिए भारत माता की सीमा को रक्षा के लिए दुश्मन से लड़कर अपने प्राणों की बाजी लगाना चाहते हैं, हमारी सरकार और जनता का दायित्व है कि उनके परिवारों का पोषण किस प्रकार से हो, परिवारों के सामने आर्थिक संकट पैदा होता है किस प्रकार से यह सब हो इस प्रकार का दायित्व जनता और सरकार ले । 1962 और 65 में इस देश की जनता ने, सिविल पापुलेशन ने कुर्बानी देने में कोई कमी नहीं छोड़ी । यह बात अलग है कि सरकार ने कितना किया है ? लेकिन जब मेडिकल का सवाल आता है तो राजस्थान सरकार ने 30 सीटें उनके लिए रिजर्व की हैं । लेकिन उनको जनरल लिस्ट में माना जाये या फौजियों में माना जाये । अगर कोई फौजी का लड़का जनरल लिस्ट में आता है तो उसको कोई लाभ नहीं मिलता है । रिजर्वेशन के अगेन्स्ट में उसको कोई लाभ नहीं मिलता है । रिजर्व लिस्ट से भर्ती करने की सुविधा मिलती है तो भरती किया जाये । और कितने प्रकार के रिजर्वेशन हैं, गर्ल्स का रिजर्वेशन है । फौजियों का रिजर्वेशन किया जाता है । उनका न तो कोई नियम है । मैं नहीं चाहता कि महिलाओं को रिजर्वेशन देकर उनको अपीजमेंट की चिन्ता करें । लेकिन दो चीजों को डिफ्रेंशिएट करना होगा । महिलाओं के बीच में डिफ्रेंशिएट करना होगा । फौजियों के बारे में डिफ्रेंशिएट करना होगा । हमने यह नहीं कहा कि शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल ट्राइब्स अलग हैं । हमने यह नहीं कहा है । मेडिकल कालेज में फौजियों के लड़के हैं तो वह भी दाखिला ले सकते हैं। मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इन रूल्स में परिवर्तन किया जाये । परिवर्तन आपने किये भी हैं । मेडिकल कालेज में प्रवेश की आयु को एक ही रात में 20 वर्ष से 21 वर्ष कर दिया है । मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कौन सी ऐसी आवश्यकता पड़ गई थी । हमें बताया गया कि 20 वर्ष से 21 वर्ष करने के पीछे कौन कौन अधिकारियों के बच्चे थे उनको अकमोडेट करने के पीछे प्रवेश की आयु सीमा 20 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी है । यदि सरकारी अधिकारियों

(श्री भैरोंसिंह)

के बच्चे इतने प्यारे हैं तो, चिकित्सा मन्त्रीजी, इन फौजियों के बच्चों से नफरत नहीं करनी चाहिए। जो सीमा पर खड़े खड़े हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। जो अपने परिवारों को समाज और सरकार के भरोसे छोड़ कर गये हैं। मैं समझता हूं कि यह हमें स्पष्ट करना पड़ेगा। हमें यह व्यवस्था करनी चाहिए। फौजियों के लड़के मेडिकल कॉलेज में आ सकते हैं। जनरल कोटे से निकाल कर उनका रिजर्व कोटा बनेगा। इससे फौज में भरती होने का लोगों को आकर्षण बढे। फौजियों में यह आकर्षण बढ़ेगा कि राजस्थान की सरकार और जनता हमारा दायित्व लिये बैठी है। इसलिए मैं सरकार और मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह कोई डिसीजन लें तो ऐसे फौजियों के बच्चे जो मैरिट से जनरल लिस्ट में आये तो उनको निकाल कर 30 सीट के रिजर्वेशन की व्यवस्था करें।

श्री मदनसिंह : मैं समझता हूं कि चीफ मिनिस्टर साहब के होने की जरूरत है। कल वह आजायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मन्त्री !

श्री बृजसुन्दर शर्मा (स्वास्थ्य मन्त्री): एक तो फौजियों की संख्या का रिजर्वेशन 5 प्र० श० है।

श्री रामकिशन: अगर कल विचार कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री केदारनाथ : कल भी विचार हो सकता है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : सदन को बताने के लिए, मेरी जितनी जानकारी है, मैं कोशिश करूंगा कि सदन को जितनी सूचना दे सकूं उतनी दूं। प्रि-मेडिकल टेस्ट के बारे में जो सवाल उठाया गया है, गतवर्ष भी सरकार ने माना हैं। हम आज भी मानते हैं · ·

श्री उपाध्यक्ष: यह स्थगन प्रस्ताव से सम्बन्धित नहीं है।

श्री भैरोंसिंह: मैं यह चाहता था कि इस मसले पर और विचार कर लें। कल इसका जवाब दे दें।

श्री उपाध्यक्ष: पांच प्रतिशत पर कुछ और विचार कर लें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा: मेरा मतलब है, 5 प्र०श० फौजियों के लड़कों के लिए है। 20 प्र० श० लड़कियों के लिए है। यदि मैरिट के आधार पर जनरल लिस्ट में आजायें तो वह ऊपर मान लिये जाते हैं। 88 गर्ल्स तो आचुकी हैं। फिर बढ़ायेंगे तो 180 के करीब या 200 के करीब होती हैं।

श्री भैरोंसिंह : गर्ल्स को बाहर नहीं ले सकते हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा: सवाल यह है कि जो रिजर्वेशन होता है, वह मिनिमम होता है। इतनी मिनिमम उनको मिल जानी चाहिए जितनी नहीं मिलती हैं उतनी उससे पूरी कर दी जाती हैं। अब फौजी भाइयों के बच्चों के लिए मैरिट के आधार पर पहले लास्ट ईयर 650 सीट में से कुल 13 सीट थीं, उस वक्त पर्सेन्टेज नहीं था कुल 13 थीं अलग अलग कालेजेज में मिला कर। जब कैबिनेट ने विचार किया तो मुकर्रर कर दिया कि पांच पर्सेन्ट मिनिमम सीट फौजी भाइयों के बच्चों के लिए होनी चाहिए।

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

अब उस हिसाब से आज जो 600 सीट हैं उसमें 30 आदमी और , 40 और बढ़ते हैं तो दो और आ जाते हैं , तो 30 और 2 यानि 32 सीट फौजी भाईयों के बच्चों के लिए सुरक्षित हैं । अब उसमें से 6 कुल मैरिट पर आये हैं, तो बाकी 26 उन्हीं में से मैरिट के आधार पर भरी जायेगीं । यह निश्चित कर लेते हैं तो मैरिट की गारन्टी की चिन्ता कर और मैरिट पर आ जायें उसके आधार पर करेंगे । इसका मतलब यह हुआ कि अब तक के ट्रेडीशन्स और अब तक के रूल्स को फालो करते आ रहे हैं, जिसके आधार पर बारह, साढे बारह पर्सेन्ट हरिजनों को रिजर्वेशन देते आये हैं, शुरू से लेकर अब तक मैरिट के आधार पर शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के बच्चे आते हैं और साढ़े बारह पर्सेन्ट टोटल काट करके टोटल गारन्टी में शुमार किये जाते हैं···

श्री भैरोंसिंह : इतने आते नहीं हैं ।

श्री मदन सिंह : इतने आते नहीं हैं ।

श्री भैरोंसिंह : रिजर्वेशन पूरा रख रखा है, इतने आते नहीं हैं ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मेरा निवेदन करना यह है कि इस सारी स्थिति का अध्ययन करने के बाद कैबिनेट ने डेफीनेट रिजोल्यूशन दिया है । उस डेफीनेट रिजोल्यूशन में यह था, यह निर्णय लिया गया :

"इन स्थानों पर भर्ती केवल न्यूनतम निर्धारित शैक्षणिक एवं अन्य मापदण्डों को पूरा करने व योग्यता के आधार पर होगी । ऐसी शर्तों को पूर्ण करने वाले छात्रों के न मिलने पर सुरक्षित स्थान असुरक्षित माने जाकरपूल — जनरल पूल में चले जायेंगे । इस तरह से इस वर्ष सेवारत एवं भूतपूर्व सैनिक कर्मिकों के बच्चों के लिए राज्य के विभिन्न मेडिकल कालेजों में 30 स्थान सुरक्षित किये गये" ।

मेरा मतलब यह है कि अब तक की परम्परा है, अब तक का डिसीजन है, अब तक का केस लॉ है, अब केस लॉ के बारे में फाइन्डआउट करेंगे, तो रिजर्वेशन का मतलब है कि इस तरह की मिनिमम गारन्टी की जाती है । मिनिमम सीट वहां भर जायें। मेरा निवेदन है कि विभाग ने पालन किया है, अक्षरशः गवर्नमेंट ऑर्डर का पालन किया है और यह बहुत ज्यादा फायदा फौजी भाईयों को देने के लिए किया गया है, और ज्यादा फायदा मिल सके, और जनरल सीट के ऊपर पहले में आ जाने के कारण पहले नम्बर दिया जाय तो ज्यादा जनरल सीट चली गई, जोधपुर की चली गई, उदयपुर की चली गई इस प्रकार और कमी हो जायगी । इससे लड़कों को असंतोष होगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 13 से 32 हुई है इस साल, फिर आगे जाकर और करेंगे ।

श्री मदनसिंह: उपाध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि फौजी अलग जाति नहीं है, फौजी के अन्दर हरिजन आ जाते हैं, उनके लडके आ जाते हैं और और भी आ जाते हैं। मैं समझता हूं कि वहां सुरक्षित रखते हैं पूरी सीट तो मैरिट के बाद में उसमें हरिजन भी मिलते हैं क्योंकि फौजी हरिजनों के लड़के हो सकते हैं और लड़कियां भी हो सकती हैं फौजी की। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, यह गवर्नमेंट थूक कर चाट रही है। और तो मैं कुछ नहीं कह सकता···

श्री बृजसुन्दर शर्मा : 132 कर दें तब भी यही कहेंगे।

श्री मदन सिंह: आपने कहा कि फौजियों के लिए सीट जनरल नहीं है। मैं कहता हूं कि इसका क्या इलाज है, अगर कोई लड़का फौजी नहीं लिखे और वह फौजी का लड़का है और वह चुपके से पास हो जाता है तो उसको मैरिट में से हटाने का क्या तरीका है? उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय, से पूछना चाहता हूं कि 10 पर्सेन्ट लड़के मैरिट से पास हुए और वह फौजी नहीं लिखते हैं तो क्या वह फौजी के लड़के नहीं हैं? उस वक्त क्या मापदण्ड होगा यह जानने का कि वह फौजी हैं या नहीं। अगर वह ईमानदारी से लिख देते हैं कि फौजी के लड़के हैं तो फिर कम कर देते हैं....

श्री मनोहर सिंह मेहता: एम०एल० एज० और एम० पी० के लिए सीट रिजर्व नहीं है क्या?

श्री मदन सिंह: मैं समझता हूं कि मेडिकल में धोखेबाजी, और लैंड एलॉटमेंट में धोखेबाजी....

श्री उपाध्यक्ष: यह पहले कह दिया है।

श्री मदन सिंह: मेडिकल के सम्बन्ध में कहा तो हमको इन्होंने वचन दिया तो इनके वचन के लिए, अविश्वास का प्रस्ताव लाया तो उस वक्त मंत्री महोदय ने वायदा किया, ठाकुर साहब, आप घर पर मिल लें, मैं सुविधायें मंजूर कर लगा। अब यही मंत्री जी कहते हैं, असेम्बली में हथेली पर थूक चाट कर यह शर्म की बात है। जो फौजियों का मामला है, यह बात फौजीयों के पास तक पहुंच जाय तो मैं समझता हूं कि यह मंत्री जी आयन्दा बोर्डर पर जाकर फौजियों को न कह सकेंगे कि हमने यह सुविधा दी है। म स्पष्ट अर्ज कर देना चाहता हूं फौजियों के मामले को लेकर मैंने आन्दोलन नहीं किया है और न मैं करना चाहता हूं अन्यथा मंत्रीजी की छाया यह सब चीजे मंजूर कर दें। मैं निवेदन कर रहा हूं कि जब चीफ मिनिस्टर यह सब चीजें चाहते हैं तो यह मंत्री महोदय, क्यों रोकते हैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये में मंत्री महोदय को बता देना चाहता हूं कि चीफ मिनिस्टर ने कहा इस बात के लिए कि इस तरह की फौजियों को सुविधा होनी चाहिए। लेकिन मंत्री महोदय है, एम० एल० एज० के लड़कों की उनकी खुशामद के लिए, जैसा भैरोंसिह जी ने बताया,..... एज जो है उसको....

श्री मनोहर सिंह मेहता: बढ़ा दी।

श्री मदन सिंह: उनको बढ़ा करके रख दिया गया। यह एम० एल० एज० के लड़कों के साथ ऐसा व्यवहार हुआ है। आज यह फौजियों को टाल रहे हैं। मैं समझता हूं कि फौजी के लड़के पिछड़ेंगे नहीं। वह प्रयास करके मैरिट में आ जायेंगे। मैं कहता हूं कि लानत है इस गवर्नमेंट को कि फौजियों के लिए हिपोक्रेसी के आधार पर ऐलान किया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष: चर्चा समाप्त हुई।

(1.25 म० प०)

विधायी कार्य

राजस्थान राज्य पशु-मेला (संशोधन) विधेयक, 1968

श्री मनफूल सिंह (राज्य मंत्री, पशुपालन): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान राज्य पशु-मेला (संशोधन) विधेयक, 1968 को विचारार्थ लिया जाय।

(इस विधेयक पर निम्नांकित संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत हुए

(1) श्री राम किशन ने क्रमशः प्रस्ताव किया कि:—

"राजस्थान राज्य पशु मेला (संशोधन) विधेयक, 1968 को सात दिन के लिय जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय।"

(श्री मनफूल सिंह)

श्री मूलचन्द डागा ने क्रमशः प्रस्ताव किया कि:—

"राजस्थान राज्य पशु-मेला (संशोधन) विधेयक, 1968 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाये जो अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह में प्रस्तुत करे (प्रवर समिति के सदस्यों की नामावली ब द में प्रस्तुत कर दी जावेगी)।

श्री उपाध्यक्ष: श्री रामकिशन !

श्री रामकिशन (वेर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज मामला ऐसा हो गया है कि कुछ तबियत भारी है····

श्री नत्थी सिंह : आज सदन स्थगित कर दिया जाय। इसे फिर पास कर दिया जाय।

श्री रामकिशन : दिमाग बना कर तो बहुत तेज लाये थे लेकिन आज की स्थिति ने ढीला कर दिया है मामला।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि राजस्थान राज्य पशु-मेला (संशोधन) विधेयक, 1968 को जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाय, प्रसारित किया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में पशु-धन की जो स्थिति है, मैं इस मेले के माध्यम से उस सारे विवाद पर विस्तार से नहीं जाना चाहता। मैं एक दो बातें माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा। जिस उद्देश्य से यह संशोधन विधेयक लाया गया है इसकी पृष्ठभूमि यह है कि पशु मेले में सामान बिक्री के लिए जाता था, मेले की ऑथोरिटी ने उस पर ऑक्ट्रॉय लगा दिया था। इस बात को लेकर कुछ लोग हाई कोर्ट में गये और हाई कोर्ट ने उस पर फैसला कर दिया कि मेले के लिए ऑक्ट्रॉय लगाने का अधिकार नहीं है जब कि पहले ही सेल्स टैक्स लग जाता है तो दूसरे प्रकार का टैक्स नहीं लगाया जाय। यह फैसला 30 अप्रेल, 64 को हो गया था हाई कोर्ट का कि किसी मेले पर आक्ट्राय लगाने का कोई अधिकार नहीं है। 30 अप्रेल, 64 के बाद आज 29 अगस्त, 68 को एक कानून बनाने के लिए, इस कानून में प्रावधान करने के लिए, इस दफा को निकालने के लिए जो मंत्री महोदय सदन में आये हैं तो सबसे पहले तो मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार चार साल तक कहां सोती रही? हाई कोर्ट ने फैसला किया, उसके बाद अन्य मेलों ने ऑक्ट्रॉय न लगाई है और न वसूली हुई है। मैं जानकारी चाहूंगा कि चार वर्ष तक यह विभाग चुप क्यों रहा? इस चार वर्ष के भीतर-भीतर राजस्थान के मेलों की क्या स्थिति रही? हो सकता है कि मंत्री जी को उन मेलों की जानकारी हो जिनको राज्य सरकार का पशु-पालन विभाग लगाता है लेकिन राजस्थान के अन्दर 156 मेले ऐसे हैं जिनको पंचायतें और पंचायत समितियां लगाती हैं उन सब मेलों की क्या स्थिति हुई? मंत्री जी उत्तर देते वक्त इस चीज को स्पष्ट करें। इसके अलावा यह कहते हैं मंत्री जी कि इस सम्बन्ध में हमारे विभागों में आपस में कार्यवाही चलती रही और आज इस कानून में संशोधन करने के लिए उपस्थित हैं। मैं जानना चाहूंगा कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद चार साल बाद सरकार संशोधन लाई है तो हाई कोर्ट के महत्व का, जुडिशियरी के महत्व का सरकार कितना आदर करती है - यह हमें प्रकट हो जाता है। तो सबसे पहले तो मंत्री जी इस सम्बध में उत्तर देंगे तब मैं समझूंगा और विधेयक का जो दूसरा उद्देश्य है उसके सम्बन्ध में थोड़ी चर्चा करना चाहूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो मेले की व्यवस्था है, आज राज्य पशु-पालन विभाग जो मेलों का आयोजन करता है,

(श्री रामकिशन)

यह डेढ़ करोड़ वाले बजट का हमारे यहां पर राजस्थान का पशु-पालन विभाग डेढ़ करोड़ के बजट का इन मेलों पर कर लगाता है यह राज्य सरकार का विभाग लगाता है, इससे बारह लाख के करीब की आमदनी होती है । मैं जानकारी चाहूंगा कि आज से पहले जो विभिन्न रियासतों ने मेले लगाये, मैं नहीं समझता हूं कि राजस्थान सरकार के पास या पशु-पालन विभाग के पास जानकारी है या नहीं, मैं एक दो मेलों के बारे में जरूर जानता हूं । उनकी आमदनी निरन्तर गिर रही है । 1948 के अन्दर जो मवेशी थे, जो पशुओं की संख्या थी वह करीब 2 दूनी हो चुकी है । 1948 के अन्दर पशुओं की संख्या थी, वहां आज उनकी संख्या पौने चार करोड़ के आस-पास हो गई है, चार करोड़ हो सकती है । इसका मतलब यह है कि पशुओं की संख्या जब बढ़ जानी चाहिए तो बिक्री की वजह से आमदनी भी बढ़ जानी चाहिए । यह जरूर सही है लेकिन जो संख्या पशुओं की बढ़ी है, बिक्री की बढ़ी है उस मुकाबले में आमदनी नहीं बढी है । इस मामले में मंत्री महोदय को मूल रूप में विचार करना चाहिए । मंत्री महोदय, आप इस मामले को देखेंगे कि राजस्थान में खेती के बाद यह पशु-पालन का ऐसा धन्धा है जो राजस्थान की आर्थिक स्थिति में अपना बहुत बड़ा रोल अदा करता है, हमारी स्टेट की इन्कम में इसका हिस्सा 16 पर्सेन्ट के आस पास पहुंच गया है । इन मेलों की व्यवस्था के अन्दर हमारा उद्देश्य दो तीन बात का था, एक तो पशुओं की नस्ल सुधारने के लिए प्रदर्शनियां लगायें और अच्छे पशु-पालकों को प्रोत्साहित करें ।

इस प्रकार दूसरा उद्देश्य हमारा यह होता है कि एक जगह इकट्ठे हो कर खरीद-फरोख्त की सुविधाएं मुहैया करें, जिससे कि 14 लाख रुपया पशुओं से राज्य को मिल जाता है वह मिले । वैसे देखा जाय तो पशुओं की बिक्री तो आप नहीं थे तब भी होती रही है, आप थे तब भी होती रही है और आप नहीं रहेंगे तब भी होती रहेगी। यह तो चलती रहेगी पर प्रश्न यह है कि मेलों की वर्तमान व्यवस्था है वह ठीक नहीं है । जिस प्रकार की मेलों की व्यवस्था होनी चाहिये वह नहीं की जा रही है । मैं यह समझता हूं कि आज जो राज्य सरकार की तरफ से इन पशु मेलों की व्यवस्था है वह संतोषजनक नहीं है, आमदनी की दृष्टि से भी और व्यवस्था की दृष्टि से भी । इसके अलावा इन मेलों में जितनी चोरियां होती हैं, जितना टैक्स चुराया जाता है, उसके सम्बन्ध में मंत्री महोदय आप जानकार हैं । अगर जानकारी नहीं है तो आप गंगानगर के रहने वाले नहीं हैं । मेलों में जिस प्रकार का पशुओं की बिक्री का टैक्स राज्य सरकार के पास आना चाहिये, वह नहीं आ रहा है, उसमें गड़बड़ियां हैं। इसका मैं एक ही उदाहरण देना चाहता हूं। भरतपुर में स्टेट थी तो नुमायश का पशुमेला लगता था, उस मेले से 3 लाख रुपया साल की आमदनी भरतपुर स्टेट को हो जाती थी । मेले की व्यवस्था का और दूसरा सारा खर्चा काट कर सेविंग 3 लाख के आसपास थी । आज मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि भरतपुर की यह आमदनी क्यों गिरती जा रही है ? क्या पशुओं की कमी हो गई है, या पशुओं की बिक्री नहीं होती है या मेले ज्यादा नहीं लग पाये ?

(श्री रामकिशन)

उत्तर प्रदेश में हाट, मेले लगते थे वे लगते आ रहे हैं फिर आमदनी क्यों घटती जा रही है? आज सदन में प्रश्न खड़ा हुआ कि मंत्रियों के पास सिफारिशें होती रहती हैं कि यह काम करदो, इसको यहां से हटा दो उसको यहां रखदो, इसको रोकें। एक कांग्रेस सदस्य कांग्रेस छोड़ कर इधर आ गये तो इससे मंत्रियों की आंखें खुलनी चाहिये। आपने जो इस विभाग का काम सम्हाला है तो मैं सलाह देना चाहता हूं कि मंत्रियों का काम पूरी तरह अपने विभाग के कार्यों की निगरानी का रहना चाहिये, कर्मचारियों में निष्क्रियता है उसको दूर करना चाहिये, चाहे खनिज विभाग हो, चाहे पशुपालन विभाग हो, चाहे पी० डब्लू० डी हो। यह निगरानी पूरी तरह से नहीं होगी तब तक किसी कर्मचारी को कहीं बदल दें, इससे कोई काम नहीं होने वाला है। आप नहीं थे तब भी यह काम होते थे 40 की संख्या हो गई तो भी वही होता है। पर आज हिन्दुस्तान की हवा क्या है, इसको समझना चाहिये। मैं कोई व्यक्तिगत बात नहीं करता, सामूहिक राय इस प्रकार की है कि मंत्री लोग सिवाय ट्रान्स्फर्स और नियुक्तियों के अलावा और कोई काम करते नहीं। नये मंत्री बने हैं, वे तो यह और भी ज्यादा करते हैं। मुख्य मंत्रीजी ने उनको 250 ट्रान्स्फर्स करने की छूट देदी है कि 50 पटवारियों की ट्रान्स्फर कर दो, 50 मास्टरों की कर दो, 50 थानेदारों की ट्रान्स्फर कर दो, 100 दूसरे कर्मचारियों की ट्रान्स्फर कर दो, और 2 एस०डी०ओज० की ट्रान्स्फर्स कर दो…

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : यह कैसे मालूम हुआ आपको……… यह बिल्कुल गलत है…

श्री रामकिशन : डागा साहब, आप मंत्री नहीं बनोगे, यह तरीका नहीं है मंत्री बनने का, हमसे तरीका सीखो।

मुख्य मंत्री ने यह काम इन लोगों को दे रखा है, पर इससे आप कोई बड़ा सुधार ला सकें ऐसी बात नहीं है। आपकी चेष्टा यह होनी चाहिये कि इन तबादलों के धंधों को छोड़ कर अपने विभागों के काम काज की अच्छी तरह से निगरानी रखनी चाहिये। आपकी चेष्टा इस प्रकार की होनी चाहिये। इतने विरोध के बावजूद, सारे समाज में तिरस्कृत और अनादृत होते हुए भी आपने अपनी संख्या बढ़ाली तो आपका काम होना चाहिये कि विभागों में जो बड़े-बड़े भूत बैठे हुए हैं, उनको कसना चाहिये, उनको चैक करना चाहिये। मैं रशिया और रूमानिया की व्यवस्था का हिमायती नहीं हूं, वहां अगर पशु-पालन के विभाग की आय में किसी प्रकार की कमी आ गई तो, उस विभाग के संचालक को साइबेरिया के जंगल में भेज देते हैं। पर आपको कोई चिन्ता नहीं है कि पशुओं की संख्या कम होती जा रही है, पशुओं से राज्य की आय कम होती जा रही है। इससे राज्य की आय पहले 6 लाख के आस पास थी वह 12 लाख हुई है आमदनी बढ़ी पर राजस्थान की स्टेट इकोनॉमी में पशुओं का हिस्सा बराबर बढ़ता जा रहा है, इसको आप सोचें और एनीमल हस्बेन्ड्री के डायरेक्टर को बुला कर पूछें कि इसका क्या कारण है और जो इस विभाग की आमदनी में चोरियां हो रही हैं उनको रोकें। आज राजस्थान एक एक पैसे से तंग है। राज्य सरकार में आज स्कूलें खोलने की क्षमता नहीं है, सड़के बनाने की क्षमता नहीं है और जब हम नवाब साहब को कहते हैं कि सड़कों में खड्डे पड़े हुए हैं

(श्री रामकिशन)

तो वे कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। विभागों के अन्दर कई अच्छे और ईमानदार व्यक्ति भी हैं पर विभाग का सुधार किस प्रकार किया जाय यह सवाल उनके सामने नहीं, क्योंकि मनफूलसिहजी के प्रतिदिन 50-60 टेलीफोन चले जाते हैं कि उस अधिकारी को यहां से हटा दो उसको वहां लगा दो, इस कर्मचारी को वहां से हटा कर यहां लगा दो। इसलिये वे समझते हैं कि मेले की आमदनी बढे या न बढे पर मंत्री जी का हुक्म पूरा कर दिया जाना चाहिये, मंत्रीजी को दूसरे उनके साथी कहते हैं तो उनको यह सब करना पड़ता है। इस काम को आप छोड़ नहीं सकते पर इससे घंटा दो घंटा समय बचा कर, इन तीन चार कामों से अपना समय बचा कर, नं० एक काम तो यह कि ट्रांसफरों से टाइम बच जाय, दूसरा काम है अन्दरूनी झगड़े कि बृज प्रकाश जी को हटाया जाय, यादवजी को हटाया जाय, फिर आपको अपनी पत्नियों से सफाई देनी पड़ती है कि दिन में कहां थे रात में कहां थे। इन कामों से अपना टाइम बचा कर बजट की किताब लिया करें। मैं आपको सलाह देता हूं हमारे यहां जनसंख्या में वृद्धि हुई है और योजनाओं में इतने करोड़ों रुपया इन्वेस्ट किया है, उसके बावजूद भी आपका विभाग वहीं का वहीं क्यों बैठा हुआ है? यह आप अपने विभागाध्यक्षों से पूछें। आज कल टेक्निकेलिटी की बीमारी बड़ी चल पड़ी है, नवाब साहब को कोई इन्जीनियर कह दे कि गड्ढों से गाड़ी कूदेगी तो मान जायेंगे। आपके टैक्निकल फ्रेन्ड्स भी हैं, जो काम आपकी समझ में नहीं आयें, उसके बारे में उनसे सलाह ले लिया करें...

एक माननीय सदस्य: आपसे?

श्री रामकिशन: नहीं मेरी क्षमता नहीं है, मैं तो आपसे भी कम अयोग्य हूं....

एक माननीय सदस्य : अयोग्य?

श्री रामकिशन : जो आपसे ज्यादा जानकारी रखते हैं, जो आपसे ज्यादा योग्य हैं, उनकी सलाह लीजिये। हमारे देश में जिस अनुपात से धन का नियोजन इन योजनाओं में कर रहे हैं, उस अनुपात से इन्वेस्टमेंट की रेट के अनुसार रिटर्न्स क्यों नहीं आ रहे हैं? हमारे पड़ौसी देश हैं, वहां सब जगह वे लोग आगे बढते जा रहे हैं पर हम लगातार रूस और अमेरिका के कर्ज लेने के बावजूद, जनता से इतने भारी टैक्सेज लेने के बावजूद हम आगे नहीं बढ रहे हैं, हमारी आमदनी घटती जा रही है, एक बरसात ठीक हुई तो थोड़ी आमदनी बढ गई पर एक बरसात नहीं हुई तो हमारे देश की आमदनी बिलकुल नीचे चली गई? इसका क्या कारण है? इसका जवाब दें।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस सम्बन्ध में एक दो बातें और कहनी हैं। आपके मेले लगते हैं, आपने कभी हिसाब देखा है, यह विभाग आपके पास अभी आया है आपसे पहले शोभारामजी के पास था, उनसे पहले परसरामजी के पास था। इन मेलों की आमदनी का दस पन्द्रह तो परसेंट फोटोज में खर्च हो जाता है। मैं फोटुओं के विरुद्ध नहीं हूं कि फोटोज नहीं खिचवाए जायं, जो मंत्री अच्छे हैं, जिनकी शक्ल चमकदार है, उनके फोटो जरूर खिचवाए जायं, जिनकी खराब शक्ल है, उनकी भी फोटो खींची जानी चाहिये ताकि राजस्थान की भावी पीढ़ी याद करे कि

(श्री रामकिशन)
ऐसे ऐसे हमारे यहां मिनिस्टर्स थे, पर आखिर खर्च का भी हिसाब होना चाहिये । कभी डायरेक्टर साहब के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं कभी मंत्री के लड़के लड़की हैं तो उनको गोद में ले कर फोटो खिंचवा रहे हैं। उनसे आखिर आप क्या लाभ प्राप्त करना चाहते हैं इन खर्चों को बढा कर ? मंत्रि-मंडल में एक मंत्री ऐसे हैं जिनको बहुत शौक है फोटो खिचाने का । जवानी में शौक होता तो समझ में आता लेकिन बुढापे में कैसे शौक बढा रहे हैं यह समझ में नहीं आता ।

इन मेलों के खर्चों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं । राज्य के पांच बड़े बड़े मेले हैं । मंत्री लोग क्या करते रहते हैं ? आखिर नये लोग हैं, सोचना चाहिये कि क्यों गड़बड़ी होती है । मुझे इसके दो कारण समझ में आये हैं । जो जिसकी सोबत में रहता है वह भी वैसा ही हो जाता है । शिवचरणजी माथुर ने स्तीफा दिया । जबकि हजारों बीघा मंत्रियों ने जमीनें हड़प ली हैं तो तुम भी हड़प जाओ । इन सारे खर्चों पर उन्हें ख्याल ही नहीं रहता है । माननीय मनफूलसिंह जी आप से पूछना चाहता हूं पशुपालन विभाग आपने सम्हाला, मैं आपकी बात को मान लूंगा आप असत्य नहीं कहेंगे । आपने मेलों की आमदनी और खर्च को देखा है ? (विराम) आपने नहीं देखा होगा । आपके पास दो ही तो जरिये हैं आमदनी के । मछली-पालन और पशुपालन । दस लाख का बीज और 13 लाख की आमदनी मछली से । किसानों की आमदनी बढ रही है लेकिन पशुओं से आपकी आमदनी का जिक्र करूंगा जहां आप रहते हैं । नागौर का मेला । उपाध्यक्ष महोदय, आप भी इससे परिचित होंगे । सन् 62-63 में 1,48,029 रु० और 67-68 में 1.23 लाख रुपया । पशुओं की संख्या बढ गयी लेकिन मेले की आमदनी कैसे घट गयी ? इस ओर आपने नहीं देखा होगा और देखने की चेष्टा भी नहीं की है।करते क्या हैं ? तिलवाड़ा का मेला देख लीजिये । मवेशियों की संख्या बढ रही है, ज्यादा बिकती हैं, उनकी सुविधा के लिए 62 में 8 करोड़ मिला और अभी 8 करोड़ मिला । तिलवाड़ा के मेले की आमदनी देखिये । 63-64 : 1,16 हजार, 64-65 : 1,27 हजार 66-67 : 1,84 हजार और 67.-68 में कोई हिसाब नहीं । पुष्कर का मेला देख लीजिये । 62-63 में 82 हजार, 64-65 में 1,21 हजार और 65-66 में 1,21 062 । आप यह भी देखिये कि 64-65 में और 65-66 में 1,21,062 । कोई फर्क नहीं । ऐसा लगता है विभाग ने वैसा का वैसा ही हिसाब कर दिया । आना पाई का कोई फर्क नहीं पड़ा । दो चार आना का भी फर्क पड़ता तो समझ में आता । मेलों में पशु आते हैं । राजकीय आमदनी होनी चाहिये । जो आमदनी बचे वह पशुपालन के लिये, उनके घास चारे के लिये , पशु धन की संवृद्धि के लिये काम में आनी चाहिये । कृषि के बाद पशु-धन राज्य की आमदनी का सबसे बड़ा स्रोत है ।

परबतसर का खर्चा बताता हूं । सारा खर्चा नहीं देते हैं । तरह तरह से दिखाते हैं । स्वागत समारोह में 300 रुपया । कई खर्चे उसी प्रकार के चल रहे हैं । 284) रु० के फोटो । पशुओं के मेले में मंत्री के फोटो, उनके बच्चों के फोटो । इसी प्रकार आप तरह तरह के खर्चे देखेंगे । न पशुओं को पानी पिलाने की व्यवस्था, काश्तकार जाते हैं तो न उनके लिये कोई व्यवस्था । 340) रु०

(श्री रामकिशन)

बहुत कम हैं। लेकिन दूसरे मामलों पर खर्चे चलते जा रहे हैं। कभी विभाग के लोगों को बुला कर भी आपने पूछा है? परबतसर का मेला आपके इलाके का नहीं है। लोग इस मेले में चलते हैं उत्तर प्रदेश, इटावा से। भरतपुर से लोग इसमें आते हैं। वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है उनके लिये। न चारे की और न ही पानी की। पुलिस की व्यवस्था भी देखिये कि एक आदमी की 7 हजार की थैली लेकर कोई भाग गया। एक आदमी वहां खड़ा था, दूसरा आदमी थैली लेकर भाग गया। पुलिस में रिपोर्ट की। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हम वहां पर ठहरे हुए थे। हमने उनको कहा कि आपको भरतपुर में जाकर रिपोर्ट करना चाहिये। आज तक कोई पता नहीं चला। तो पुलिस की भी कोई व्यवस्था नहीं। कोई दिन खाली नहीं जाता कि मंत्री वहां न पहुंच जाते हों, एक नहीं तीन-तीन मंत्री। कोई उद्घाटन करने चला आ रहा है तो कोई बीवी को मेला दिखाने के लिए चला आ रहा है। पुलिस को जहां चोरों से लोगों के धन माल की रक्षा करनी चाहिये वह उनकी सेवा में लग जाती है। मजिस्ट्रेट उनकी सेवा में लग जाते हैं। मैं किसी मंत्री के दर्जे को कम नहीं करना चाहता। उनकी प्रतिष्ठा बढ़े जो इसके लायक हैं। आपने ऐसे मंत्री बना रखे हैं जो भूंगड़ों के ठेले को ठेलते फिरते हैं। मेरे पास भी दौरे की सूचना आती है। एक दिन में तीन मंत्रियों का क्या काम? यदि कोई आदमी कांग्रेस में नहीं रहेगा तो मंत्री नहीं रहेंगे। मैं मूर्ति भंजन नहीं करना चाहता। जब होगा जब हमारा राज आयेगा। आपकी गतिविधियां आपकी प्रतिष्ठा को गिराती जा रही हैं। आप अपनी व्यवस्था के बारे में सोचें। उदाहरण स्वरूप मैंने आपको पांचों मेलों की आमदनी के विषय में बताया। 63 से लेकर 68 तक आप हजार दो हजार के आस पास तक ही घूमते रहे हैं। क्या कारण है?

कुछ मेले राज्य सरकार विभाग के द्वारा लगवाती है और कुछ मेले पंचायत और पंचायत समितियों को दे रखे हैं। उनका मालिक कौन है? उनकी बड़ी बुरी स्थिति है। जिन मेलों को पंचायत समितियां लगाती हैं, मुझे गंगानगर की पंचायत समिति के मेलों की जानकारी नहीं, न ही मुझे बाड़मेर और जैसलमेर के मेलों की जानकारी है, भरतपुर के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। कुम्हेर और नगर पंचायत समितियां मेला लगवाती हैं। राजनीति कितनी नीचे पहुंच गयी है। पंचायत समिति मेला लगाती है, राज्य सरकार ने निश्चय किया है कि उसकी आमदनी का विभाजन पंचायत समिति और राज्य सरकार के बीच होगा। सिद्धान्त ही तय नहीं होने दिया। भरतपुर जिले की जो स्थिति है उसको वहां के लोग पसन्द नहीं करते। भरतपुर में कांग्रेस ने जब आजादी की लड़ाई लड़ी वहां पर ऐसी कांग्रेस नहीं थी जैसी आपके यहां वेतन भोगी थे। वहां पर आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेने वाले लोग थे। धीरे धीरे वे लोग चले गये। वहां अब जो कांग्रेस में लोग रह रहे हैं वे वैसे ही लोग हैं जैसे आपके यहां रह रहे हैं। कांग्रेस में कुछ लोग इसलिए रह गये हैं कि किसी का ट्रान्सफर कराना है, कुछ पर गबन के मामले चल रहे हैं उनसे वे बच जायं। कुछ पंचायत समितियों म, ग्राम पंचायतों में जिला परिषदों म थोपे चले जा रहे हैं। जहां जनता चुनाव करती है वहां कांग्रेस पराजित होती है। पंचायत समितियों की प्रणाली दूसरी

(श्री रामकिशन)

है। पकड़ कर पंच और सरपंच को ले जाते हैं। कुछ पैसा शान्ति प्रसाद ने भेज दिया और कुछ सेठ मोहनलाल सुखाड़िया ने भेज दिया। दोनों का पैसा भरतपुर में पहुंचता है। पंचायत समितियों पर कब्जा कर लिया। स्पष्ट आदेश है कि पंचायत और पंचायत समितियों में मेलों की आमदनी का विभाजन होगा। जिला परिषद् ने चिट्ठी लिखी। कुम्हेर पंचायत समिति लगातार मेला लगाती चली जा रही है। उस पंचायत समिति की निश्चित आय नहीं है। लगभग 30 हजार की आमदनी और 16 हजार का खर्चा। भोजन का खर्चा। पंचायत समितियों का मेला होगा तो सारे सरपंच वहां भोजन करेंगे। हल नहीं जोतेंगे। पास होंगे तो हल भी जोत आवेंगे लेकिन भोजन शाम को जरूर वहां आकर करेंगे। तीन तरह के कांग्रेस के लोग हैं। एक तो शान्ति प्रसाद और बिड़ला के और सेठ सुखाड़िया के पैसों पर चल रहे हैं, कुछ कांग्रेस में ऐसे जाते हैं कि भोजन मिल जाय और कुछ पैसा मिल जाय।

(1.50 म. प.)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति पदासीन)

तो ऐसे लोग भरतपुर में घुस आये। सभापति जी, वहां जो खर्चा होता है, उस खर्चे को आप देखें, जानकारी करेंगे कि खर्चा क्यों बढ़ा ? इसके बाद राज्य सरकार के आदेश गये कि आमदनी बढ़ाई जाय। अभी तक कुम्हेर पंचायत के मेले पंचायत समिति लगाती है। कुम्हेर पंचायत को एक पैसा भी नहीं दिया है। सरपंच चुना जाता है जनता के द्वारा वह होता है समाजवादी दल का और प्रधान होता है कांग्रेस का। इसलिए पंचायत समिति पंचायतों को पैसा नहीं देती है। यही स्थिति नगर की है। वहां का प्रधान भी कांग्रेसी है। पंचायत की आमदनी कैसे बढ़ाई जाय ? इस बारे में मैं सुझाव देना चाहता हूं। मैंने इसके लिए बहुत एजीटेट किया है। लड़ाई लड़ी है। सरकार ने फैसला कर दिया। पंचायत समिति पंचायतों को मेले की आमदनी का हिस्सा देगी। अभी तक एक पैसा नहीं दिया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आखिर राजनीति का कोई आधार है ? कांग्रेस के लोग आपके पास आयें, आप उन्हें ज्यादा प्राथमिकता दें परन्तु हमारा कोई सार्वजनिक मामला हो, उसे लेकर हम आपके पास आयें तो उसे एक्सेप्ट करें। आप हिम्मतवर बनें। नहीं तो आज लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो स्थिति सरकारों की अन्य प्रान्तों में हो रही है, वही आप की भी होगी। मनफूलसिहजी आपने सुखाड़ियाजी की सेवा करने की चेष्टा की और करें। राज्य मन्त्री से मन्त्री बन जावें। इससे मेरा कोई लेना नहीं है। आप इस सेवा के तौर तरीके को थोड़ा बदलें। अपनी निजी हैसियत बनावें। स्वतन्त्र हैसियत बनाकर चलें। आप मन्त्रियों के पास दो दो एम०एल०ए० भी नहीं हैं। फिर क्या हैसियत है ? आपकी हैसियत से आप निर्णय करें। आप इस पर अपना निर्णय दे दीजिये। जब फैसला होगा लोग दौड़ेंगे और सेठ सुखाड़ियाजी से सीधे मिलेंगे। सेठ साहब से मिलने के बाद टेलीफोन आयेगा। चुप रहो। यह तो सब ऐसा ही मामला है। ये दो टेस्ट केस मैंने आपको दिये हैं। इन पर फौरन एक्शन ले लीजिये। पशुपालन विभाग के आप मन्त्री हैं और आशा है इस मामले में आप फैसला करेंगे। मैं आपको कुछ सुझाव दूंगा। मेरी आदत सुझाव देने की है। आलोचना करने की मेरी आदत नहीं है।

(श्री रामकिशन)

पशुपालन विभाग जो मेला लगाता है, उसमें जब भरतपुर स्टेट थी, किसान आता था, मेले में पशु बेचता था, कई तरह के आमोद-प्रमोद का इन्तजाम होता था। मेरे कहने का यह मतलब नहीं कि आप नाइट क्लब वहां लगा दें। ग्रामीण खेल-कूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सजावट, कुश्तियां वगैरह आप करावें। तब वहां होती थीं। इससे लोगों में आकर्षण होता है। 2½, 3 लाख लोग इकट्ठे होते थे। आकर्षक नुमाइश रखी जाती थी। लोगों में 6-6 माह से चर्चा चल पड़ती थी। आज पशुपालन विभाग जो मेला लगाता है जिस दिन से पशु मेला लगता है, तो बहु-संख्यक लोग नुमाइश में नहीं जाते। बाहर चले जाते हैं। क्योंकि अब वहां पर आकषण नहीं है। व्यवस्थाएं उतनी नहीं हैं। पानी होगा तो बिजली नहीं होगी। यह स्थिति है। स्टेट के समय में, सभापति महोदय, अगर किसान का बैल चोरी चला जाता तो यह राजस्व विभाग की जिम्मेदारी थी। उसको कम्पेन्सेट किया जाता था। इस तरह के आडर्स थे। ये सुविधाएं वहां मिलनी चाहिये। आमदनी कैसे बढ़े? मैदान कम होता जा रहा है। वहां ईंट के भट्टे लगते जा रहे हैं। ईंट के भट्टे लगाने वाले व्यापारियों के खिलाफ बात नहीं है। विधान सभा में सवाल उठाया? भट्टे कैसे लगाये गये? यहां उनको रेगु-लराइज कराया जा रहा है। राजस्व विभाग में मामला पड़ा हुआ है। भट्टे लगाने वाले बड़े बड़े व्यापारी हैं। जब आप उधर जाते हैं, आपका स्वागत करते हैं। समारोह करते हैं। माला पहनाते हैं। गुलाबजामुन खिलाते हैं। आपके इधर आते ही रात को भट्टे को लगाने का कार्यक्रम बनाते हैं। और मन्त्री महोदय के जयपुर आते ही उसे रेगुलराइज करने की कार्यवाही होती है। सभापति महोदय यह हालत है। इस तरह भरतपुर में मेले के मैदान का एरिया समाप्त करते जा रहे हैं। ये खराबियां हैं।

पशु-पालन विभाग की आलोचना नहीं करूंगा। एक एडवरटाइजमेन्ट की बात है। भरतपुर के कुछ लोकल अखबार हैं। वे ब्लेक-मेलर हैं। उनका धन्धा ही ब्लेकमेल का है। लड़कों से पैसे ले लिए, रिश्वत ले लेते हैं और छाप देते हैं। मन्त्रियों के फोटो छाप दिया और पैसे लेते हैं। पशुपालन विभाग से उनको एडवरटाइजमेन्ट नहीं दिया गया। विज्ञापन नहीं दिया गया था, लेकिन डायरेक्टर एनीमल हस्बेन्डरी ने जबरदस्ती पेमेन्ट करा दिया, 300, 400 रुपयों का। इसका कारण केवल यह था कि मन्त्रीजी की फोटो छपी थी। एनीमल हस्बेन्डरी ऑफिसर पेमेन्ट नहीं करने की कहता है। परन्तु डाइरेक्टर सोचता है मेरे खिलाफ लिख देगा। मन्त्रीजी की फोटो छप गई। उनके मन में एक संस्कार बैठ जाता है। इसलिए आप अपने फोटो को सीमित करें। राजस्थान में आपकी फोटो काफी छपी हैं। आपके खुद के संस्कारों का, वृद्धि का काफी प्रचार हो चुका है। फोटो के मामले में इतना तय कर दीजिये कि प्रतिष्ठा वाले अखबारों में ही आपके फोटो छपें। इस प्रकार का दुरुपयोग होता है। क्या आप डायरेक्टर को पूछेंगे कि पेमेन्ट कैसे हुआ? यह आपके विभाग की आलोचना नहीं है। अपने विभाग को कुछ तो खींचो। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेले के मैदान को बढ़ावें। इसकी वजह से आमदनी घट रही है। मैं इन्हीं सुझावों के साथ समाप्त करता हूं। इसकी अच्छी तरह से सूचना देते और तब विधेयक को पारित किया जाता अन्यथा वह समय तो व्यर्थ गया।

श्री सभापति : श्री दौलतराम सारण··

श्री दौलतराम सारण (डूंगरपुर) : सभापति जी, इस बिल से जाहिर हो गया है कि सरकार बिना सोचे समझे काम करती है। सरकार अपने दायित्व को गंभीरता के साथ नहीं लेती। पहले सदन के सामने एक ऐसा प्रावधान रखा गया जो हाई कोर्ट में रद्द हो गया। रद्द हो गया वह तो ठीक है लेकिन हाई कोर्ट के फैसले के बाद भी 4 साल तक इसकी उपेक्षा की गई और इस सदन से आज्ञा प्राप्त करके जो कानून बनाया था, उस कानून के मुताबिक मेलों से वसूली नहीं की गई और उस वसूली का हाई कोर्ट का आदेश स्थगित रखा गया। ऐसी मुझे जानकारी मिली है। परन्तु वसूली नहीं करके भी इस सदन के सामने पुनः चार साल में आने का क्या कारण है ? यह हम जानना चाहेंगे। उसके बाद कई बार यह सदन मिल चुका है लेकिन उन प्रत्येक अवसर पर इस संशोधन को क्यों नहीं लिया गया, यह हम जानना चाहते हैं।

(2 म० प०)

इस अवसर पर विभाग के सम्बन्ध में, मेलों की व्यवस्था के सम्बन्ध में, पशु-नस्ल के सुधारने के सम्बन्ध में राज्य में पशुओं की जो स्थिति है उसके सम्बन्ध में अगर हम विचार करें तो हमें मालूम होगा कि इनकी दशा कितनी शोचनीय है। आज हमारे प्रान्त की आबादी का दो तिहाई हिस्सा ऐसा है जो पशुओं से प्राप्त आमदनी पर निर्भर है। इस दो तिहाई हिस्से में पशुओं की तरक्की के बारे में कोई ध्यान नहीं। यहां न पीने के पानी की व्यवस्था है, न चिकित्सा की व्यवस्था है और न पशुओं के लिये चरागाह की ठीक व्यवस्था है। पशुओं के लिये चरागाह की मांग करते हैं, ग्रामीण पशुपालन हेतु मांग करते हैं तो सरकार ध्यान नहीं देती। आज राजकीय पड़त भूमि जो पड़ी है वह भी कृषि के लिये एलॉट की जा रही है। बिना सोचे समझे इस रेगिस्तानी क्षेत्र में जिसका दो-तिहाई हिस्सा पशुपालकों का है यही जिनकी मुख्य पैदावार है उसकी उपेक्षा का क्या परिणाम आयेगा इसका ख्याल राज्य सरकार को नहीं है ? यह नहीं सोचा जाता कि काश्त के लिये अगर रेगिस्तान की भूमि को एलॉट किया गया चरागाह के अभाव में विन्ड इरोजन के कटाव से भयंकर रेगिस्तान बन जायगा। इससे अकाल की स्थिति और भयंकर हो जायगी।

आज पशुओं की चिकित्सा, उनके लिये पानी आदि की व्यवस्था मेलों में ठीक नहीं होती। जो व्यापारी बाहर से आते हैं उनकी कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं। सेल्स टैक्स जो लिया जाता है लोगों को सेल्स टक्स के लिये इतना परेशान किया जाता है कि लोगों को चाहे जहां पकड़ लेते हैं उनसे कहा जाता है कि राजस्थान के हो या बाहर के प्रमाण-पत्र दो। आपको इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिये ताकि लोगों को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं किया जा सके।

मेलों में न पानी की व्यवस्था होती है और न चारे की। सभापति महोदय, गोगामेड़ी का मेला एक महीने चलता है जो मेला काफी प्रसिद्ध है वहां पर भी पीने के पानी की व्यवस्था नहीं। पानी की थोड़े दिन पहले इतनी हालत खराब थी लोगों को और पशुओं को पानी तक नहीं मिलता था। चारे की मुकम्मिल व्यवस्था नहीं रहती। मेले में तीन विभाग आपस में जुड़े हुए हैं—देवस्थान, पशु-पालन व सेल्स टैक्स विभाग इसके अलावा चौथा होगा तो मालूम नहीं। हरेक कहता है

(श्री दौलतराम सारण)
कि मेरे अधिकार क्षेत्र में हैं इन तीनों के आपस के झगड़े से मेले में आये हुए लोगों का फजीता होता है। मेले की व्यवस्था किसी एक विभाग के अन्तर्गत कर दी जाय तो उसके लिये पशुपालन विभाग ही उपयक्त है। दूसरे विभागों को आमदनी भी दी जाय तो यह विभाग दे।

इसके अलावा मैं निवेदन करना चाहता हूं जो पशु-पालक अपने पशु लेकर आते हैं उनके लिये पशु बिक्री के रवाना रसीद काटते हैं उन जगहों पर कोई देखरेख का इन्तजाम नहीं। किस प्रकार की बदतमीजी से वहां के कर्मचारी व्यवहार करते हैं यह बड़ा दुःखद है। यदि जनता के साथ इसी प्रकार कर्मचारियों का व्यवहार रहता है वे कद्र क्या करेंगे आप लोगों की ? वे बेचारे धूप में बैठे रहते हैं कर्मचारी चाय, बीड़ी, सिगरेट पीने लग जाते हैं घंटों भर धूप में बैठे रहना पड़ता है। जनतंत्र मे जनता हमारी मालिक है, हम जनता के प्रति उत्तरदायी हैं ऐसी हालत में जनता को हम जनार्दन भले ही न मानें कम से कम जनता मानकर उनके साथ यथोचित व्यवहार करें। उनके साथ यदि अशिष्ट व्यवहार होता है तो जनता का राज कहां रहा ? सरकार को यह आदेश देना चाहिये अपने कर्मचारियों को जो मेले की व्यवस्था के लिये जायं वे ग्रामीणों के साथ शिष्टता से पेश आयें उनकी मुसीबतों को समझने की चेष्टा करें।

मेलों में न रोशनी की व्यवस्था है न पानी की। गन्दे से गन्दा पानी पीने को मिलता है, लेकिन जो मेले की व्यवस्था के लिये जाते ह उनके लिये पानी की सब से पहले व्यवस्था होती है। मैंने यहां तक भी देखा है कि जो अधिकारी मेले में जाते हैं वहां पर वे शिकार भी खेलते हैं। रात्रि के अन्धेरे में शिकार खेल लें तो हमें कोई ऐतराज नहीं लेकिन ग्रामीण पशुपालक आते हैं उनके लिये भी ठीक से व्यवस्था हो इसकी तरफ अवश्य ध्यान रखना चाहिये।

आपने गलत तरीके से चुंगी कर लगाया इस पर यह मामला हाई कोर्ट में गया वहां से यह रद्द हुआ। उसके चार वर्ष बाद अब आप इसको डिलीट करने जा रहे हो। पहले यदि आप सोचते तो यह नौबत नहीं आती। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं पशुपालन के बारे में कि हम को दूसरे लोगों की नकल नहीं करनी चाहिये। स्थानीय आवश्यकता के अनुसार स्थानीय नस्ल के अनुसार सुधार करना चाहिये। हरियाना, नागौरी सांचोरी हैं, गिर है या साइवाल नस्ल है, यह हमने जान लिया है, देख लिया है यह आधार मानकर नहीं चलना चाहिये। ग्रामीणों का इस बारे में जो अनुभव है उसका ख्याल रखना चाहिये। पशुओं की बीमारी के लिये ग्रामीण लोगों का ज्ञान है उसका भी उपयोग करना चाहिये। वैज्ञानिक आधार सही हो सकता है लेकिन उसमें परेशानियां हैं। इसलिये ग्रामीणों के जो इलाज हैं उनको उपेक्षा की दृष्टि से न देखें।

पशु नस्ल-सुधार और चिकित्सा के मामले में यह निवेदन करना चाहता हूं। आजकल हर विभाग का यह दृष्टिकोण बन गया है कि जो कोई सुझाव विभाग के अच्छे के लिये दिये जाते हैं उसके लिये यह माना जाता है कि दुर्भावना से दिया जाता है और तब उसको डिफेन्ड करने की बात आती है। इसलिये पशुपालन विभाग के मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं,

(श्री दौलतराम सारण)
आप मूक पशु की हिफाजत के लिये बैठे हैं जो बोल नहीं सकता जो केवल आपके व्यवहार को आंसू ढालकर बता सकता है ऐसे पशु के प्रति आपका दयायुक्त दृष्टिकोण होना चाहिये, उसके साथ हमदर्दी होनी चाहिये। आप उनके लिये हमदर्दी के साथ व्यवस्था करेंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान की आमदनी बढ़ेगी और बहुत बड़ा हिस्सा जो पशुपालन पर अपनी आजीविका चलाता है उसका भी हित-साधन होगा, उनका धन्धा बढ़ेगा और राज कोष को भी आमदनी बढ़ेगी।

राजस्थान में जो कृषि का उत्पादन है उसमें पशुओं का बड़ा स्थान है इसलिये पशु की तरक्की के लिये मेलों का आयोजन करना चाहिये जो सरकारी मेले 13 कर रखे हैं वह पर्याप्त नहीं हैं।

मेले आपके होने चाहिये और पंचायत समिति करे तो उसे भी प्रोत्साहन देना चाहिये। विभाग को सहयोग करना चाहिये। पंचायत समिति पंचायत, और नगरपालिका की तरफ से जो मेले आयोजित किये जाते हैं विभाग का सहयोग उनको इतना नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिये। इससे पशुओं से आमदनी बढ़ेगी और पशु शक्तिशाली हो सकेंगे।

श्री पृथ्वीसिंह : एक व्यवस्था का प्रश्न है। हाउस में कोरम नहीं है।

श्री सभापति : कोरम है। आप प्रारम्भ रखिये।

श्री दौलतराम सारण : तो मैं यह कह रहा था कि इस अवसर पर मैं यह कामना करता हूं कि राज्य सरकार पशुओं की नस्ल सुधारने पर उनकी चिकित्सा के सम्बन्ध में उनका बिक्री का बाजार आसानी से उपलब्ध कराने के लिये मेलों की व्यवस्था को और अधिक सुविधाजनक बनावें। मेले अधिक लगाये जावें। इसका स्कोप बढ़ाया जावे। ये सब एक दूसरे से सम्बन्धित होने चाहिये। एक मेला समाप्त हो तो दूसरे में वह चला जावे, उसे बराबर चान्स मिलता रहे, इस तरह से तारतम्य सम्बन्ध एक दूसरे से रहना चाहिये ताकि वहां के पशु और व्यापारी सुविधा से एक जगह से दूसरी जगह जा सकें। इस दृष्टि से आप मेलों का आयोजन करेंगे और इसे प्रोत्साहन देंगे, ऐसी आशा है।

पशु पालकों के भी आप छोटे मोटे आयोजन करते हैं और पशुओं की प्रतियोगिताएं रखते हैं। इसमें आजकल आप केवल फॉर्मेलिटीज निभाते हैं। इसका व्यापक तरीके से प्रचार नहीं करते। सही पशुपालकों को इनाम नहीं देते। इसके लिये अगर आपको कुछ अधिक पैसा खर्च करना पड़े तो करें और इसे सही तौर से प्रोत्साहन देने की ओर ध्यान देना चाहिये। इस ओर विशेष रूप से आकर्षित करना चाहिये लोगों को। उद्घाटन इनाम वितरण आदि के लिये किसी विशिष्ट व्यक्ति को भी बुलाने की जरूरत नहीं। अच्छे पशुपालक से ही इनाम दिलवाइये। आज यह परम्परा चल पड़ी है कि अधिक खर्चा करने के लिये बड़े आदमी को बुलाया जावे और उसी से उद्घाटन कराया जावे पारितोषिक या शिलान्यास कराया जावे। यह एक सस्ती परम्परा पड़ गई है जो अच्छी नहीं है। इसके लिये स्थानीय लोगों का सम्मान बढ़ना चाहिये ताकि उनमें भी आत्म विश्वास और स्वाभिमान पैदा हो। पशुपालन विभाग इस ओर ध्यान दे।

(श्री दौलतराम सारण)

चरागाह की भी समस्या है। चिकित्सा की भी समस्या है। इसे भी इस विभाग को देखना चाहिये, सड़कों, आवागमन के साधनों और व्यापारियों के निवास वगैरह की भी समस्याएं हैं, इनको हल करना चाहिये। इससे प्रगति होगी। पशुपालन को प्रोत्साहन मिलेगा, यह अत्यावश्यक है।

पशुपालन विभाग एक टेकनिकल विभाग है। एक रूटीन का काम करने वाला विभाग नहीं है। केवल कागज सरकाऊ और दबाऊ विभाग इसे नहीं होना चाहिये। शिकायत हो तो तुरन्त उसी वक्त कार्यवाही और फैसला होना चाहिये क्योंकि इस में देर के परिणाम इस विभाग के लिये खासकर बड़े भयंकर हो सकते हैं और तुरन्त फैसलों से दूरगामी लाभदायक परिणाम सामने आवेंगे। इसलिये इस विभाग की कार्य प्रणाली अन्य विभागों से अलग तरीके से होनी चाहिये।

पर खेद है कि इस विभाग में भी निराशा का वातावरण आ गया है। राज्य सरकार ने इस विभाग के डॉक्टरों का ग्रेड दूसरों की अपेक्षा कम कर दिया है। इसलिये वे निराश हैं। पर यह मसला तो सदन में जिस दिन आवेगा उस दिन देखेंगे। मैं इस समय तो इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि इस विभाग को सुन्दर सुव्यवस्थित, आकर्षक और उपयोगी बनाइये और तुरन्त निर्णय लें और उसी समय उसी स्थान पर फैसला दें ताकि इसका लाभ पशु-वृद्धि को मिल सके।

श्री सभापति : श्री कृष्णकुमार गोयल !

श्री कृष्णकुमार गोयल : सभापतिजी, राजस्थान राज्य पशु मेला संशोधन विधेयक, 68 जो प्रस्तुत किया गया है मैं इसका स्वागत करता हूं। परन्तु साथ ही मैं यह कहना चाहूंगा कि जो यह विधेयक और मूल धारा जिसको कि इस विधेयक द्वारा हटाई जा रही है और हाई कोर्ट के निर्णय के कारण हटाई जा रही है उस पर कुछ निवेदन करूंगा।

कई बार यह प्रश्न सदन में आया और कई बार प्रताड़ना भी की गई कि छोटी छोटी खामियों के कारण राज्य सरकार को न्यायालयों में जाकर नीचा देखने का अवसर नहीं आने देना चाहिये।

जब सरकार अपने विभागों पर हजारों लाखों खर्च करती है, एक्सपर्ट रखती है, एडवाइजर रखती है, लॉ विभाग रख रखा है, पूरे का पूरा तो वे सब फिर करते क्या हैं? ये छोटी सी खामियां उनके ध्यान में नहीं आतीं? राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति नहीं ली जा सकती थी उनसे? इसके लिये सदन में भी सरकार को आगाह किया गया था पर सरकार ने इसकी भी उपेक्षा की। यह मनोवृत्ति भी सरकार की ठीक नहीं है। सदन में पशु विक्री कर के लिये काफी आलोचना की गई थी। फिर भी जो यह विधेयक लाया गया है उसमें ऑब्जेक्ट्स में केवल यही बताया है कि उच्च न्यायालय के निर्णय के कारण उत्पन्न स्थिति को सुधारने के लिये यह विधेयक लाया गया है। जब कि विधान सभा की प्रारम्भ से यह इच्छा थी कि इस प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगना चाहिये तो इन उद्देश्यों में यह भी उल्लेख होना चाहिये था कि इस

(श्री कृष्णकुमार गोयल)
प्रकार की विधान सभा की इच्छा थी। सभापतिजी, पशु मेलों के बारे में विचार प्रकट किये गये। अब सरकार ने जो यह निर्णय लिया है, मेलों का संचालन वह स्वयं करे, पंचायतें या नगरपालिकाएं जो करती थीं, वे न करें। मैं इसका विरोध करता हूं।

जब आज जनता द्वारा चुनी हुई संस्थाएं विद्यमान हैं, पंचायतें हैं, पंचायत समितियां हैं, जिला परिषद् हैं, नगरपालिकाएं हैं और जो मेलों को आयोजित करते आ रहे हैं क्या कारण है कि विभाग ने अपने हाथों में अब सब ले लिया है? हो सकता है कुछ पंचायतों और नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति कमजोर हो और ऐसे मेलों का संचालन सुन्दर ढंग से न कर पाती हों तो क्या सरकार और पशुपालन विभाग अपने स्तर पर उनको एड नहीं दे सकती थी?

यह मेले अनन्तकाल से इन संस्थाओं द्वारा लगाये जा रहे हैं और वह कहती हैं कि यह मेले हमें ही मिलने चाहिएं और इसमें हमें कोई दिक्कतें नहीं होतीं मेले लगाने में। लेकिन सरकार ने और उसके विभाग ने यह मेले अपने हाथों में ले लिये हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि झालावाड़ में झालरापाटन एक स्थान है जहां दो मेले लगते हैं। वहां की नगरपालिका ने कई बार विरोध किया कि सरकार या विभाग अपने हाथ में इन मेलों को न ले बल्कि नगरपालिका का कहना है कि इन मेलों को उनको ही दे दिया जाये और ऐसा नगरपालिका ने प्रस्ताव भी पास किया लेकिन उनके प्रस्ताव के विपरीत विभाग ने मेले अपने हाथ में ले लिए। स्थिति केवल इतनी ही पैदा हुई ऐसी बात नहीं है बल्कि एक ओर तो नगरपालिकाओं को दुकानों से किराये की आमदनी प्राप्त होती थी उससे उनको हाथ धोना पड़ा और दूसरी ओर विभाग ने उसको अपने हाथ में लिया और झालरापाटन में खास तौर से आप आश्चर्य करेंगे कि जो दुकानें और थड़ियों का किराया था वह विभाग ने दुगना कर दिया और उसकी मार व्यापारियों पर पड़ी। दूसरी तरफ विभाग ने इसका फायदा उठाया और विभाग को आमदनी हुई। उस आमदनी से भी उस नगरपालिका को हाथ धोना पड़ा। मैं इस सम्बंध में सभापति महोदय, यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में जहां जहां यह पशु मेले लगाये जा रहे हैं वह मेले पंचायतों के द्वारा या वहां की नगरपालिकाओं के द्वारा ही लगाये जायें ऐसी विचार धारा चल रही है और उनकी जो आय होती है वह आय उन्हीं निकायों को दी जाये ताकि उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ हो। आखिर आप स्वयं सोचिये पंचायतों के पास आमदनी क्या है? उनके पास आमदनी के श्रोत क्या ह? केवल साल में एक मेला लगता था और उसमें जो आय होती थी वह उनको मिल जाती थी और वह भी अब पशुपालन विभाग ने छीन ली और विभाग उन दुकानों के किराये बढ़ाकर अपनी आय को बढा रहा है। यह सम्भव है कि पशुपालन विभाग कह सकता है कि मेलों को जो हमने हाथ में लिया है उसके पीछे एक कारण है कि हम चाहते हैं कि उस इलाके में पशुओं की ब्रीड को सुधारा जाये और अच्छे पशु किस प्रकार से बनाये जा सकते हैं। मैं, सभापति महोदय, राज्य सरकार से कहना चाहूंगा कि अगर सरकार का मन्तव्य यही

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

है कि मेलों को विभाग अपने हाथ में लेकर पशुधन की नस्ल को सुधारे और उसका प्रचार करे तो फिर सरकार उस क्षेत्र में जहां पशु मेले लगते हैं अपने विभाग की तरफ से प्रदर्शनी लगा सकती है, और उसके माध्यम से इसका प्रचार कर सकती है, और इसके अलावा भी जो कुछ करना है वह कर सकती है। लेकिन यह किसी प्रकार से उचित नहीं ठहराया जा सकता कि जिस मेले का संचालन वहां की पंचायत या नगरपालिका करती थी उन मेलों को स्वयं विभाग अपने हाथ में ले ले। क्योंकि, सभापतिजी, मेलों का सम्बन्ध पशुओं से है, पशुओं की बिक्री से है वहां मेलों का सम्बंध ग्रामीण जीवन से भी जुड़ा हुआ है। राजस्थान के अन्दर जिन जिन क्षेत्रों में मेले लगते हैं हमेशा इन मेलों का सम्बन्ध या तो किसी त्यौहार से जुड़ा हुआ है या फिर किसी तीर्थ स्थान से जुड़ा हुआ है। एक आकर्षण पैदा किया हुआ है और मेले भी ऐसे समय पर तय किये जाते हैं जब कि उस क्षेत्र का किसान अपनी खेती से आजाद होकर इन मेलों में विचरण करता है। गावों में खाती हैं, लुहार हैं, कुम्हार हैं वह अपनी साल भर की जीविका का सामान तैयार कर कर के इन मेलों में बेचकर चलाते हैं। साल भर की आमदनी वह इस प्रकार से करते हैं। मैं समझता हूं कि जो पशु मेले हैं वहां उनके पीछे हमारी मन्शा है कि हम पशुओं की नस्ल को सुधारें वहां दूसरी ओर मेलों से गावों का आर्थिक तंत्र भी जुड़ा हुआ है और मैं समझता हूं कि मेरे क्षेत्र का खाती, मेरे क्षेत्र का लुहार, मेरे क्षेत्र का बढई, मेरे क्षेत्र का कुम्हार या छोटे छोटे धन्धा करने वाले लोग जो कि औद्योगीकरण के कारण बेकार हो गये हैं, बेरोजगार हो गये हैं। आज के इस युग में औद्योगीकरण के कारण और मशीनों के सामने कम्पीटीशन में वे नहीं टिकते और वे केवल छोटे-छोटे मेलों में अपनी चीजों को बेचते हैं और साल भर की अपनी जीविका कमाते हैं तो उनके बारे में जितनी देखभाल और विचार हमारी चुनी हुई संस्थायें करती हैं वह चाहे नगरपालिकायें हों या पंचायतें हों यह विचार विभाग नहीं कर सकता, विभाग के सोचने का ढंग नया होता है इसलिए जो चुने हुए संस्थान हैं उनके द्वारा ही यह मेलों का आयोजन किया जाय।

दूसरे सभापति महोदय, मैं कहता हूं कि परबतसर का मेला सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है और पशु पालन विभाग उसका संचालन करता है लेकिन वर्षों से झगडा चल रहा है जमीन का कि किस स्थान पर यह मेला लगाया जाये, और, सभापतिजी, आज तक यह सरकार निश्चय नहीं कर पाई कि अमुक स्थान पर यह मेला लगेगा और उसका परिणाम यह होता है कि वहां पर झगड़े होते हैं। लोग वहां पर खेती करते हैं और उनकी खेती वरबाद होती है, मुकदमे चलते हैं। मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि परबतसर के मेले के सम्बंध में सरकार निर्णय ले और उसका अवलोकन करके निश्चित करे कि अमुक स्थान पर यह मेला लगाया जाये और निर्णय लेने के बाद यदि भूमि अवाप्त करनी पडती है तो उनको मुआवजा देकर सरकार मेले कि व्यवस्था करे। लेकिन आज तक परबतसर के अन्दर सरकार कोई निश्चित व्यवस्था नहीं कर पाई। एक ओर पशुपालन विभाग कहता है कि इसके पीछे हम चाहते हैं कि पशुओं की नस्ल बढायें और उसकी बढोत्तरी करें। लेकिन आज राजस्थान में स्थिति क्या है? क्या मेले अपने हाथ में लेने मात्र से राजस्थान

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

में पशुधन में किसी प्रकार से बढ़ोत्तरी कर-पायेंगे ? पहले मेले जो नगरपालिकायें और पंचायतें करती थीं उनको आपने केवल इस घोषणामात्र से अपने हाथ में ले लिया कि राजस्थान की सरकार पशुधन को किसी प्रकार से बचाना चाहती है। आज राजस्थान में कितना पशुधन है। अकाल के कारण राजस्थान की सीमा से बाहर निकलकर गाड़िये लुहारों की तरह गांव गांव में लोग घूमते फिरते हैं। कितनी विकट समस्या है अकाल के कारण हमारे कितने पशुधन की कमी होती जा रही है और इससे भी ज्यादा जो विकट स्थिति है वह यह है कि जंगलात के नियम हैं उनसे परेशान होकर आपने भ्रष्टाचार को कितना प्रोत्साहन दिया है। इस पर आज तक पशुपालन विभाग ने विचार नहीं किया होगा।

आज तक पशुपालन विभाग ने पत्र-व्यवहार नहीं किया होगा वन विभाग से कि जो पशुधन है जो कि आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए एक इकाई है उसको बढ़ोत्तरी देने के लिए कार्यवाही करनी चाहिए। आज राजस्थान के अन्दर ऊंट का मामला है। ऊंट रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है लेकिन आज उनकी चराई के सवाल को लेकर जो ऊंट को पालने वाले लोग हैं। आज राजस्थान की राजधानी में घूमते फिरते हैं। उनकी चराई के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। मैं समझता हूं कि राजस्थान ही ऐसा प्रदेश है जहां ऊंट की बिक्री से सबसे ज्यादा आमदनी होती है लेकिन आज तक पशुपालन विभाग ने ऊंट को प्रोत्साहन दिया जाये, ऊंट के चराने के लिए जमीन दी जाये - इस तरफ आज तक ध्यान नहीं दिया गया है। तो इस समय मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि विभाग मेलें अपने हाथ में नहीं ले और यह समझकर चले कि राजस्थान का पशुधन कोई इनको हाथ में लेने से बढ़ जायेगा नहीं। राजस्थान से आज कितनी गायें राजस्थान की सीमाओं से बाहर जाती हैं, कभी आपने इस पर विचार किया है ? वह दूसरे हाथों में नहीं पड़े इस पर विचार किया है ? राजस्थान का पशुधन धीरे-धीरे समाप्त होता जा रहा है लेकिन पशुपालन विभाग ने किसी प्रकार से इसमें उन्नति नहीं की है। और अंत में आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप सोच सकते हैं कि पशु मेले अपने हाथ से निकाल कर पंचायतों को दे देंगे तो यह अच्छा रहेगा। तो मंत्री महोदय, आपसे कहना चाहूंगा कि पशुपालन विभाग के अन्दर जितना भ्रष्टाचार है, जितना गबन है अगर उसी पर आपने कन्ट्रोल किया तो मैं सोचता हूं कि आपको दूसरे सोर्सेज को ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी। मुझे याद है, बूंदी के अन्दर 22 हजार रुपये का गबन हुआ है और 22 हजार के गबन के अन्दर, सभापति महोदय, गबन करने वाला कैशियर था, गिरफ्तारी के समय ही जहर खाकर उसने आत्मघात कर ली, सुसाइड कर लिया और आप इन तीन डाक्टरोंको पकड़ कर बैठे हैं। उनको सस्पेंड कर रखा है। जो व्यक्ति 22 हजार का जिम्मेदार है, जिसने जहर खाकर आत्मघात कर लिया है, आज तक सरकार ने उसके खिलाफ क्या किया है ? उसके पास जितनी जायदाद थी सरकार की लापरवाही के कारण उसके बच्चों ने सारी जायदाद बेच दी है। उससे 22 हजार वसूल करने वाले थे लेकिन उसकी सम्पत्ति धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। अगर आपने

(श्री कृष्णकुमार गोयल)
अपने विभाग की समितियों को पकड़ा। गबन को रोका तो दूसरे विभाग पर कोई आपत्ति आने वाली नहीं हैं।

श्री सभापति: श्री रामानन्द अग्रवाल! (अनुपस्थित)

श्री (रामकिशन अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द डागा!

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : मैंने हाई कोर्ट जजमेंट जो 1964 में दिया गया था, पढा। उसमें सबसे बड़ी मांग यह थी– "The State of Rajasthan has a unique place in the country in cattle breeding including the livestock. It surpasses all other State in this respect." मैं समझता हूं कि आज पशुओं के मेले के बारे में चर्चा हैं, असेम्बली में ज्यादा वे लोग हैं जो पशुओं को नहीं पालते हैं। इसीलिए वह लोग गैर हाजिर हैं। लेकिन सवाल इसमें पैदा होता है कि आप मेला किसका लगाना चाहते हैं? इन दुबले पतले पशुओं का जिनको खाने को दाना और चारे की व्यवस्था नहीं हैं। टेनेन्सी एक्ट फोर्स में आया। आपने यह किया कि जो पथरीली कंकरीली जमीन थी उसको गौचर भूमि में अलाट कर दिया। उस जमीन पर लोगों ने काश्त शुरू कर दी। आप ने अपने कानून के आधार पर उनको रेगुलराइज कर दिया। आप के ऐसे कानून निकले सर्क्यूलर निकले। जिनके आधार पर जो चरागाह थी, सेटिलमेंट वालों ने उन लोगों को जिन शक्तिशाली लोगों ने काश्त शुरू कर दी थी उनको रेगुलराइज घोषित कर दिया। ऐसे में पशुओं को चराने की कोई व्यवस्था या प्रबन्ध नहीं हैं। मैंने एक बार दो बाहर के एक्सपर्ट जो कि पशुओं के विशेषज्ञ हैं, उनसे बात की तो उन्होंने यह स्पष्ट किया था कि एक पशु के लिए एक एकड़ जमीन चाहिए। जिसके अन्दर एक पशु गुजर कर सकता है। आप ने अपने टेनेंसी एक्ट में आधा बीघा जमीन छोड़ी है। जबकि आप के विशेषज्ञ कहते हैं कि एक पशु के लिए कम से कम एक एकड़ जमीन होनी चाहिए। वह जमीन उपजाऊ होनी चाहिए। दूसरी ओर हमने राजस्थान के अन्दर कैटिल में शीप-भेड़ नहीं ली है। राजस्थान में जो हजारों की तादाद में गडरिये हैं, और उनकी बकरियों भेड़ों के लिए आपने कोई जमीन छोड़ने की कोशिश नहीं की है। आपका निर्णय क्या है? एक तरफ तो आप कहते हैं कि राजस्थान में भेड़ों की ऊन से काफी आमदनी हो सकती है। दूसरी तरफ आप भेड़ों को जमीन नहीं छोड़ते हैं। भेड़ों के बारे में जो गडरिये हैं, शेफर्ड, हैं, उनके लिए जमीन नहीं देते हैं। वह बार-बार कहते हैं एक जमाना था जब काश्तकार लोग अपनी फसल काट लेते थे तो मवेशी चरने जाते थे। आज काश्तकार वहां डंडा लेकर खड़ा होता है। यह हमारी खातेदारी का खेत है, हम नहीं आने देंगे। मैं चाहता हूं आप पशुओं के लिए जगह मुकर्रर करें। जहां सारे शेफर्ड को बसा दो। जो शेफर्ड हैं उनमें घोर असन्तोष है कि हमारा पशुपालन विभाग हमारी सही मांग को सुनता नहीं है। मैं नहीं चाहता हूं पशुपालक आपस में लड़ें। आपने पंचायतों को एलॉटमेंट के बारे में घोषित किया कि उनको अपने क्षेत्र में जमीन में 15 बीघा जमीन जंगल लगाने के लिये दी जाएगी। राजस्थान में

(श्री मूलचन्द डागा)

ऐसी कितनी पंचायतें हैं जिन्होंने फॉरेस्ट लगा लिया है ? मैं तो यह जानता हूं, कि फॉरेस्ट ओरण नष्ट किये जाते हैं । मुझे तो डर है कि आप पशुओं को कोई जमीन छोड़ने को तैयार नहीं । अगर आप ऐसी व्यवस्था करते हैं तो यह जो पशुओं का मेला लगाना चाहते हैं और इनमें जो पचासों काश्तकार जो पैदल आते हैं जानवर लेकर । आपका जब मेला लगाने का परपज है, आप चाहते हैं कि राजस्थान में पशुधन का विकास हो लेकिन आप राजस्थान के चरागाहों की हालत देखिये । क्या आप पशुओं के बारे में कुछ सोचते हैं ? अगर हम चरागाहों को सींच दें तो चरागाह सरसब्ज हो सकते हैं । क्योंकि एक दो, तीन महीने ही चरागाह काम कर सकते हैं । बरसात होती है जब हरी जमीन होती है । मैं सरकार का ध्यान पहले इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं । आप जो यह ऐलान करते हैं कि हम आस्ट्रेलिया घूम कर आये हैं । बड़ बड़े विशेषज्ञ हैं । बड़ी बड़ी भेड़ें लेकर आये हैं । यह आस्ट्रेलिया की भेड़ है । हमारी राजस्थान की भेड़ों को खाने को दाना नहीं । शर्त यह है कि राजस्थान की भेड़ों को चराने को जगह दें । राजस्थान की भेड़ भी अच्छी बन सकती है । आप एक बात सोचिये ,आप के घोड़े हैं । जयपुर म्युनिसिपेलिटी के कई घोड़े आपने देखे होंगे, अगर एक मोटे वजन का आदमी बैठ जाय तो घोड़ा खुद इन्कार कर दे । पशुपालन विभाग किसी जानवर के बारे में नहीं सोचता । कोई एक आदमी कितना बोझ उठाता है । आपने कानून बना दिया है, कैटल के प्रति कोई हिंसा का व्यवहार करेंगे तो कानूनन जुर्म होगा, लेकिन यह आपका कानून केवल किताब में है, उसको रस्मी तौर पर कदापि अमल में नहीं लाया जाता है । इसी तरह से यह पशु पालन विभाग है ।

इससे मुझे एक चराई की बात कहनी है । कहीं पर क्या चराई लेते हैं और कहीं पर क्या चराई लेते हैं । इसके जो नियम हैं, चराई के लिए जो नियम हैं उनमें अनआक्युपाइड लैंड पर चराई की व्यवस्था की है, आप ताज्जुब करेंगे, जहां पर पत्थर हैं, पथरीली जमीन है, वहां पर क्या जानवर चराई करेगा ? जो अन-आक्युपाइड लैंड आपके पटवारी ने दी है उस पर चराई कैसे कर सकते हैं ? माननीय सभापति महोदय, मैं पशु पालन विभाग का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि अगर आप राजस्थान में पशु धन को बढ़ाना चाहते हैं तो जो पशु पालक हैं उनको जमीन एलॉट की जाय । लैंड एलॉटमेंट रूल्स में इस तरह का प्रावधान होना चाहिए, इस तरह के नियम होने चाहिए कि जो पशु पालक हैं उनको भी जमीन एलॉट की जायगी । जिस प्रकार आप शिड्यूल्ड कास्ट्स को लैंड देते हैं, जिस प्रकार से आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज को लैंड देते हैं, जिस प्रकार आप स्कूल के लिए लैंड देते हैं वैसे ही जो पशु-पालक हैं उनको भी अच्छी जमीन एलॉट करें । यह भी प्रावधान होना चाहिये, इस प्रकार का नियम होना चाहिए । जब तक यह नियम नहीं होता है तब तक मैं समझता हूं कि जो आप पशुओं के हित की बात करते हैं, वह मेरे ख्याल से सही नहीं होगी ।

दूसरे यह जो कानून आपने रखा है, उसके संबंध में निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोकतांत्रिक इकाइयां हैं-पंचायत समिति और म्युनिसिपेलिटी-उनमें विश्वास कीजिये । अगर आप उनमें विश्वास नहीं करते हैं और जो कैटल फेयर म्युनिसिपेलिटी आर्गेनाइज कर सकती थीं उनसे लेकर उनकी आमदनी

(श्री मूलचन्द डागा)

को खत्म करते हैं । इसलिए जो कैटल फेयर जिस म्युनिसिपल एरिया में हैं, या जिस पंचायत समिति एरिया में हैं, मैं समझता हूं कि इन सारी लोकतांत्रिक इकाइयों को इसकी व्यवस्था करने के लिए इन्हें देना चाहिए। आप कहते हैं कि राजस्थान गवर्नमेंट का केन्द्र जयपुर है, यहां पर सारे ऑफिसर बैठते हैं । तो वैसे ही सारे ऑफिसर पंचायत में मौजूद हैं और वह पंचायत समिति के ऑफिसर उसकी व्यवस्था कर सकते हैं । लेकिन यह गवर्नमेंट को क्यों सुविधाजनक नहीं है ? जो लोकतांत्रिक इकाई के आधार पर राज्य कायम करना चाहते हैं, उसका यह क्या उसूल है? क्या सिद्धान्त है ? वह एक तरफ चाहती है कि लोकतांत्रिक इकाइयों का विकास हो, उनकी वृद्धि हो और दूसरी तरफ पशु मेले की व्यवस्था उनको नहीं सौंपना चाहती है । म्युनीसिपैलिटी एक लोकतांत्रिक इकाई होती है, उस म्युनीसि-पैलिटी को ऑक्ट्रॉय के नाम पर हजारों की आमदनी हो जाती है, वह आमदनी अगर नगरपालिका को होगी तो सब चीजों की अच्छी व्यवस्था और इन्तजाम कर सकती है। मैं विश्वास दिलाता हूं, आपने कई मेलों में देखा होगा, आप मेलों में गन्दगी पायेंगे । इसके अलावा जो जानवर लेकर आते हैं मेलों में उनके लिए रास्ते में घास की व्यवस्था नहीं होती है । मेरा निवेदन है कि जो दूर से जानवर लेकर पशु मेलों में आते हैं उनके लिए रास्ते में घास की व्यवस्था की जाय । क्योंकि रास्तों में घास की व्यवस्था नहीं होती है इसलिए कई लोग जानवर नहीं ला पाते हैं । इसलिए मेरा निवेदन है कि यदि आप पशुपालकों के लिए पशु मेले का आयो-जन करते हैं तो उसमें आप कोई नई बात पैदा कीजिये । यह नहीं कि जो पुरानी बात है, जो पुराना ढर्रा है वह ही चलता चला जाय । एक नए दिमाग, एक नई सूझ से आपको काम लेना चाहिए । तो एक तो पशुओं की चराई के लिए मेरी जमीन की मांग है । दूसरे हम यह समझते हैं कि पहले जो मेले लगाये जाते थे उनसे अच्छी व्यवस्था अब पशु मेलों में होनी चाहिए । वहां पर पशुओं के रहने की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए । पशुपालकों के रहने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए । जो पशु मेलों के लिए कमेटी मुकर्रर होनी चाहिए वह कमेटी भी मुकर्रर हुई या नहीं, उनके लिए नियम बने या नहीं बने । आप पशु मेलों की कमेटी में किन किन लोगों को रखते हैं । मैंने पहले भी अर्ज किया था कि आप पशुओं को बढ़ाने की ओर ध्यान दें और पशु मेलों के काम को लोकतांत्रिक इकाई के हाथ में सौंप दें और राज्य सरकार उनको मदद दे ।

श्री सभापति : श्री दुर्गालाल बाढ़दार !

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : माननीय सभापति महोदय, इस विधेयक के संदर्भ में आपके माध्यम के द्वारा माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस विधेयक को लाने के लिए आधार-निहित भावना आपकी क्या है ? इस विधेयक के प्रिएम्बल का, माननीय सभापति महोदय, यदि अवलोकन किया जाय तो स्पष्ट रूप से विदित हो जायगा कि माननीय मंत्री महोदय और राजस्थान की राज्य सरकार के द्वारा, जो निर्णय, हाई कोर्ट से ऑक्ट्रॉय को निरस्त किया गया, अवैधानिक करार दिया गया-उस हाई कोर्ट के निर्णय को निरस्त किये जाने के लिए यह विधेयक लाग

(श्री दुर्गालाल वाढ़दार)

गया है। आप किसी कानून का, नये कानून का निर्माण करें और उसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को रद्द करने का निर्णय करें तो अपेक्षा करता हूं राज्य सरकार से और विशेष रूप से माननीय मंत्रीजी से, जो एक उत्साही व्यक्ति हैं, उनसे मैं यह आशा करके चलता हूं कि आपकी भावना जनता के हित की तरफ जानी चाहिए। जहां तक पशु मेलों का संबंध है। आपके सामने मेलों के संबंध में वर्ती जाने वाली अव्यवस्था आई। मैं आपको इस संबंध में दो चार बातें बताना चाहता हूं, जहां कहीं पर आप मेलों को ऑर्गेनाइज करते हैं उन मेलों में राज्य सरकार की ओर से डाक की व्यवस्था हो, अस्थाई तौर पर डाक खाना और पुलिस चौकी खोली जाय। इसके साथ ही वहां पर पेय जल की व्यवस्था भी होनी चाहिए। जो लोग अपने मवेशियों को लेकर वहां आते हैं उनके लिए फॉडर की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त जो सबसे अधिक सुव्यवस्था मेलों में देखने को मिले वह यह है कि वहां पर खाद्यान्न की, खाने की चीजें और अनाज मिलने की व्यवस्था होनी चाहिए। इस प्रकार यह सामग्री सुव्यवस्थित रूप से, और आसानी के साथ में उपलब्ध की जानी चाहिए। आज इस सबकी व्यवस्था नहीं की जाती है। इसके संबंध में अभी माननीय रामकिशन जी ने आप लोगों को चित्रण खींचते हुए बताया था, उसी संदर्भ, उसी रेफरेन्स में निवेदन है कि उससे सम्पर्क रखने वाले, और डाइरेक्ट कन्सर्न रखने वाले मंत्री महोदय उसका निरीक्षण करने जायें तो उचित बात हो सकती है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि राजस्थान के मंत्री महोदय, मंत्री महोदयों की फौज वहां बड़ी संख्या में चली जाती है तो राज्य के कर्मचारी उनकी परिचर्या में और देखभाल में लग जाते हैं और यहां तक होता है कि जो लोग पशु खरीदने की धारणा से वहां जाते हैं, जो पशु खरीदने आते हैं उनकी व्यवस्था की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। आपको यह भी सोचना चाहिए कि इन मेलों में चोरी किये जाने की, जेब कट जाने की, मवेशियों को फरार किये जाने की रिपोर्ट आती हैं, क्या कभी उन रिपोर्टों पर विचार किया गया? मेरा निवेदन है कि आपके इस प्रशासन पर, इस विभाग पर और पशुपालन विभाग पर जितना व्यय निरन्तर बढ़ता जा रहा है, उस व्यय के साथ एक दृष्टिकोण आपका यह भी हो कि इन मेलों के द्वारा आय हो उससे विभाग के काम में वृद्धि की जाय, थोड़ी उन्नति की जाय। उस ओर आप ध्यान नहीं देते हैं। मैं दो तीन बातें, दो तीन ऐसे मुद्दे आपके सामने रखना चाहता हूं। माननीय मंत्रीजी, जहां तक इन मेलों, इन पशु मेलों का प्रश्न है, आप यह मान कर चलिए कि आपके पशु पालन विभाग ने राजस्थान राज्य में पशुओं की नस्ल को अच्छी तरह सुधारने के दृष्टिकोण से अब तक कितने स्टेप्स लिये हैं? जितना व्यय बजट में केवल पशुओं की नस्ल सुधारने के लिए रखते हैं उसके आधार पर कितने प्रकार के पशुओं की नस्ल सुधारी गई? मैं तो यहां तक कहूंगा, राजस्थान में गाय और बैलों की नस्ल हिन्दुस्तान में ख्याति प्राप्त नस्ल थी। उसको सुधारने की चेष्टा आपने की, उसके लिए मैं नहीं कह सकता। इस विभाग की एक आश्चर्यजनक बात है, जिसको देख कर मुझे हंसी आती है। कोई मंत्री महोदय गांव में जाते हैं और नस्ल सुधारने का प्रचार सुव्यवस्थित तरीके से करना चाहिये उस तरह न करके वह बड़ी बेहूदा बात कह देते हैं। एक मंत्री महोदय ने

(श्री दुर्गालाल बादृदार)

कहा, तुम्हारी गाय के बछड़े बछड़ियों की अच्छी नस्ल होती जा रही है वह इसलिए कि तुम्हारी गायों के लिए बाहर से अच्छी नस्ल के बैल लाते हैं। इस पर लोग आश्चर्य करते हैं क्योंकि उनकी इस तरह की भावना नहीं होती है। एक प्रत्यक्षदर्शी ने उन मंत्री महोदय को जवाब दिया कि हमें शर्म आती है कि ऐसे मंत्री आये जो हमारी गाय की नस्ल सुधारने के लिए बाहर से बैल लायें, औरतों की नस्ल सुधारने के लिये बाहर से मर्द लायें। तो इस तरह से नस्ल सुधारने का प्रयास आपका राज्य और मन्त्रि-मण्डल नहीं कर सकता है।

आपको योजनाबद्ध कार्य लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं पूछना चाहता हूं कि कितना रुपया खर्च करने के बाद दूध उत्पादन की आपकी क्षमता, चर्म उत्पादन की क्षमता जो आज से 10 वर्ष पहले क्षमता थी, उसके अनुपात में कितना रुपया खर्च करके इस विभाग ने कितना कदम आगे बढ़ाया है? मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि यदि वे इस तथ्य का अवलोकन करेंगे तो उनको मालूम होगा कि जितना पैसा खर्च किया गया है, उस सारे पैसे का अपव्यय कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप केवल इसी कार्य में अपनी सारी शक्ति नहीं लगायें कि आपके द्वारा बनाये गये कानून की किसी धारा को हाई कोर्ट ने अवैध करार दे दिया है तो दूसरी धारा बनायेंगे, आप लोक कल्याण की भावना से काम करें। प्रजा तान्त्रिक प्रणाली है, इसमें लोक-कल्याण की भावना से बने हुए कानून का जनता सम्मान करती है। जितनी कानून में यह भावना होगी कि न्याय की व्यवस्था का भी प्रतिकार करने लगेंगे तो ऐसे कानूनों की जनता कोई प्रतिष्ठा करने वाली नहीं है। इस संशोधन के द्वारा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो भ्रष्टाचार, जो अनियमितताएं जो निष्क्रियता आपके विभाग में फैली हुई हैं, उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। मेलों में पशुओं के लिए स्वच्छ पेय जल की, पशुओं के लिये चारे की, चिकित्सा की, पुलिस की व्यवस्था करेंगे, मेलों में बैंक की, पोस्ट आफिस की व्यवस्था करेंगे। एक किसान एक अच्छा बैल खरीदना चाहे तो डेढ़ दो हजार रुपयों की जरूरत पड़ती है और अगर उसको चार अच्छे बैल खरीदने की आवश्यकता हो तो कम से कम छः सात हजार रुपये हो जाते हैं, पर मेलों में कहीं डाक घर की, बैंक की व्यवस्था नहीं है, उसकी जानमाल की सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, तो इससे उन लोगों को बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेलों में इस तरह के सुधारों की व्यवस्था करें, स्वच्छ पेय जल की व्यवस्था करें, डाकखाने बैंक की व्यवस्था करें, पशुओं के लिये चारे की व्यवस्था करें जिससे सारे हिन्दुस्तान के लिये ये पशु मेले आकर्षण बन सकें। इन पशु मेलों से सरकार आमदनी करे पर इसके साथ ही साथ सद्भावना होनी चाहिये, आमदनी बढ़ाते हैं तो अपने आमोद प्रमोद में खर्च न करें, जो मेलों में बुरी चीजें नजर आती हैं, जो खामियां नजर आती हैं, उनको दूर करना चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे तो विभिन्न राज्यों से अच्छे अच्छे पशु आयेंगे और इन मेलों से हमारी आमदनी का जरिया बढ़ेगा। हिन्दुस्तान पशुप्रधान देश है, हमारा राजस्थान भी उसका एक अंग है, हमारे यहां अच्छी नस्ल के पशु बढ़ें, हमारे यहां अच्छी ऊन का उत्पादन बढ़े तो इससे हमारी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। पर इसके लिए आपको इन सारी बातों पर ध्यान

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)
देना होगा। मैं मन्त्री महोदय से आशा करता हूं कि वे इस ओर ध्यान दे कर इस प्रकार की समुचित व्यवस्था करेंगे ।

श्री सभापति : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चंडावत !

(अनुपस्थित)

श्री परशराम गंगाराम !

(अनुपस्थित)

श्री रघुनाथ विश्नोई !

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : सभापति महोदय, राजस्थान कैटल फेअर (अमेंडमेंट) बिल, 1968 जो सदन में विचारार्थ प्रस्तुत है, इसके सम्बन्ध में राज्य सरकार की तरफ से जो संशोधन पेश हुआ है वह तो बहुत जरूरी था क्योंकि हाई कोर्ट ने मेले में लाये जाने वाले माल पर ओक्ट्रोय कर लगाया था, उसको अल्ट्रावायरस कर दिया, उस कारण इस प्रकार का संशोधन लाना आवश्यक था ।

जो छोटे मोटे अमेंडमेंट हमारे कानून में आते हैं, जो सालाना हर विधान सभा में यह अमेंडमेंट आते हैं, इसलिये, सभापति महोदय, मेरा आपके जरिये राजस्थान सरकार से निवेदन है कि हाई कोर्ट में कोई सेक्शन अल्ट्रावायरस हो, उसके बाद लॉ डिपार्टमेंट से उसको पूरी तरह से एग्जामिन कराने की व्यवस्था की जानी चाहिये क्योंकि एक छोटे से अमेंडमेंट के लिये विधान सभा में हजारों रुपया खर्च होता है । यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि बार बार इस प्रकार के अमेंडमेंट लाने पड़ते हैं ।

पशु मेला विधेयक है, इसमें भी मैं बहुत सी कमियां महसूस करता हूं । मेलों में पीने के पानी की, चिकित्सा की, पशुओं के लिये चारे की, जिस प्रकार की सुविधा होनी चाहिये आज वह नहीं है । जो पशुधन को बेचने आते हैं, उनके पशुओं की आज राजस्थान में क्या हालत है, उनकी चराई की क्या व्यवस्था है, आज जो मवेशी, ऊंट, घोड़े, बैल वगैरह मेलों में आते हैं, उन मवेशियों के लिये पशुपालक बराबर अपनी सभाओं के जरिये, अपने सम्मेलनों के जरिये प्रस्ताव पास कर के राज्य सरकार के पास भेजते रहे हैं पर राज्य सरकार का ध्यान आज तक इस ओर नहीं गया है । अच्छे पशु मेले में आयें और राजस्थान में उनकी चराई के लिये स्थान मुकर्रर किये जायें, जो पशु-पालक अपने पशुओं को ले कर हिन्दुस्तान में जगह जगह मारे मारे फिरते हैं, जिनको जगह जगह रोज बरोज लड़ाई झगड़ों का मुकाबला करना पड़ता है, ऐसे लोगों को उनके पशुओं की चराई के लिये जमीनें अलोट करने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है । लोग मेलों में अच्छे पशु लायें, उनको उनके पशुओं के अच्छे पैसे मिलें इसके लिये इस विभाग की तरफ से समुचित व्यवस्था करने की आवश्यकता है । तो इस प्रकार के समुचित सुधारों के लिये, इस प्रकार की समुचित व्यवस्था के लिये कम्प्रेहेन्सिव अमेंडमेंट लाकर इन सारी कमियों को दूर करने की आवश्यकता है, पशु मेलों की कमियों को दूर करने की आवश्यकता है, वह भी प्रश्न बहुत जरूरी है । यह अमेंडमेंट लायें, ओक्ट्राय के सम्बन्ध में यह भी करना बहुत जरूरी है, यह भी आवश्यक है क्योंकि ओक्ट्राय म्युनीसिपेलिटीज में लगा सकते हैं, तो यह तो पशुपालकों

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

के साथ सरकार ने न्याय किया है पर इस कानून में अनेक प्रकार की कमियां हैं उनको दूर करने की आवश्यकता है, आज राजस्थान में चराई की रेट्स समान नहीं हैं। कहीं ऊंट की चराई 10 रुपया है, कहीं 5 रुपया है, तो पशुओं की चराई की रेट्स में समानता लाने के बारे में पशुपालन विभाग को गम्भीरता से सोचने की आवश्यकता है। पशुओं की आज जो क्षति हो रही है, इसको रोकने के लिये, पशु मेलों का विकास हो, अच्छी ब्रीड्स के पशुओं के विकास के लिये राज्य सरकार योजनाएं बनाये, मेलों के विकास के लिये जो और संभावित अमेंडमेंट्स हैं, वे भी हो सकें इस दृष्टि से इस बिल को सलेक्ट कमेटी को रेफर करने का प्रस्ताव मैंने रखा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना प्रस्ताव रखता हूं।

श्री सभापति : श्री जयनारायण सालोदिया !

(अनुपस्थित)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन !

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, मैंने राजस्थान कैटल फेअर (अमेंडमेंट) बिल, 1968 को प्रवर समिति को पेश करने का प्रस्ताव रखा है। इसके लिये जो सेक्शन ओमिट की गई है, उस सम्बन्ध में मैं अपने विचार रखना चाहता हूं। यह सेक्शन ओमिट हुई है, उसके लिये 30 अप्रेल, 1964 को हाई कोर्ट ने निर्णय लिया और जब 30 अप्रेल, 1964 को हाई कोर्ट डिसिजन ले लेता है और यह तय कर देता है कि ओक्ट्राय का लेना कानून के विरुद्ध है, फिर भी उसके बारे में 4 साल के बाद में बिल पेश करते हैं, वह कभी उचित नहीं ठहराया जा सकता। इस सम्बन्ध में जिन्होंने ढील बरती है, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाना चाहिये। इसके लिये दोषी कौन है जो सोता रहा और हाई कोर्ट का जो डिसिजन है, जुडिशियरी को मान्यता देनी चाहिये, जो सेक्शन ओमिट करनी चाहिये, उसके बारे में इतनी देरी से बिल आया है····

(3 म० प०)

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत, सभानेत्री, पदासीन)

यह गवर्नमेंट की तरफ से, उसके आफिशियल्स की तरफ से देरी है।

जिन्होंने यह कार्य किया उनकी बड़ी भारी गलती है। उसके सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि इस प्रकार के गलत काम करने वालों के विरुद्ध सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिये। अगर इस प्रकार का सख्त कदम उठाया जाय, चाहे वह बड़े से बड़ा अफसर हो, जो गलती करता है, उसके खिलाफ सख्त कदम उठाना चाहिये। यह डेमोक्रेसी है, प्रजातन्त्र है, खिलवाड़ नहीं है।

मेलों के विषय में खास कर तिलवाड़ा मेले के विषय में निवेदन करना चाहता हूं। यह राजस्थान के सबसे बड़े मेलों में से एक है। जो इन्कम के फिगर्स बताये गये हैं वे बराबर बढ़ते जा रहे हैं। 62-63 : 1.16 हजार। 64-65 : 1.27 हजार, 65-66 : 1.21 हजार इसकी इन्कम लगातार बढ़ रही है। जब कि दूसरे मेलों की घट रही है। 13 हजार का प्रबन्ध जो कई साल पहले था वह का वही खर्च होता है। बजट में कोई प्रोवीजन 13 हजार से अधिक नहीं होता है। जब कि

(श्री वृद्धि चन्द्र जैन)

इससे इतनी इन्कम होती है इसकी व्यवस्था के लिये पन्द्रह साल पहले जो खर्च कर रहे थे वह का वही खर्च कर रहे हैं तो फिर किस प्रकार से अच्छी व्यवस्था की जा सकती है। अभी तक पानी की व्यवस्था नहीं की गयी है। लोग गड्ढे खोद कर पानी पीते हैं। गंदा पानी पीते हैं जो कि कभी स्वास्थ्य के लिये अच्छा नहीं हो सकता। पब्लिक भी उससे पानी पीती है और मवेशी भी पानी पीते हैं। मेलों से लौटने के बाद लोग बीमार हो जाते हैं, कोई न कोई डिजीज हो जाती है। इस मेले की जो इन्कम है उससे सेनेटरी वेल्स खोदे जा सकते हैं। कुछ वेल्स खोदे जायें। कम से कम जनता के लिये पीने को पानी तो हो। मनुष्य आते हैं उनके लिये तो शुद्ध जल की व्यवस्था कीजिये अगर मवेशी के लिये तो नहीं कर सकते।

आज का वैज्ञानिक युग है, अभी तक वहां पर आप बिजली की कोई व्यवस्था नहीं कर सके। पैट्रोमेक्स का ठेका दे दिया जाता है। अंधकार रहता है इसलिये चोरियां भी अधिक हुआ करती हैं। आज वैज्ञानिक युग से गुजर रहे हैं और मेलों से अधिक आमदनी होती है तो बिजली की व्यवस्था करें। गवर्नमेन्ट बहुत कम ध्यान दे रही है। मैं एडवाइजरी कमेटी का मेम्बर था तब भी मैंने अपने विचार रखे लेकिन इस ओर कोई कदम नहीं उठाया जाता। यह मेला बहुत महत्वपूर्ण है।

सड़कों की हालत का जहां तक सवाल है मैं निवेदन करूं कि बालोतरा से लेकर तिलवाड़ा तक ग्रेवल रोड है वह बहुत ही खराब हालत में है। इतनी महत्वपूर्ण सड़क को तो डामर रोड करना चाहिये। आपको पी० डब्ल्यू० डी० मिनिस्टर साहब को रेफर करना चाहिये और पी० डब्ल्यू० डी० मिनिस्टर साहब को भी ध्यान रखना चाहिये। करोड़ों रुपयों की इन्कम का सवाल है। एक खरीफ की फसल होती है लेकिन वहां के लिये दूसरी फसल यह तिलवाड़ा फेयर है। इसकी कोई व्यवस्था नहीं करते हैं तो यह बड़ा भारी अन्याय होता है।

इस अवसर पर सम्बन्धित मंत्रीजी से यह भी कहना चाहता हूं कि इस साल भयंकर अकाल की स्थिति है। जानवर मरते जा रहे हैं। क्या बैल, क्या सांड, क्या गायें, दिन ब दिन खबरें आ रही हैं कि वे मरती जा रही हैं और इसके लिये कोई व्यवस्था सरकार की ओर से नहीं हो रही है। पशु मंत्रीजी को चाहिये कि वे इस प्रश्न को फेमिन मिनिस्टर साहब के सामने रखें। 800 सांड पंचायत समितियों ने तैयार किये हैं जिन पर हजारों रुपये खर्च हुए हैं, बहुत कोशिश एनिमल हस्बैन्डरी विभाग ने की, वे सब समाप्त हो जावेंगे। इनको बचाने के लिये पहले कोशिश की जानी चाहिये। अब के जो तिलवाड़ा फेयर होगा, अभी वहां भयंकर अकाल की स्थिति है, किस प्रकार से जानवर रहेंगे जब कि बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे सांड हैं, अच्छी अच्छी गायें हैं, बैल हैं, किस प्रकार से वे मेले में आवेंगे, इससे पशुपालकों की इन्कम भी मारी जावेगी और गवर्नमेन्ट की इन्कम भी खत्म हो जावेगी।

एक बात ध्यान में लाना चाहता हूं। पशुपालकों की स्थिति बड़ी भयंकर है। मैं यह नहीं कहना चाहता कि जमीन का अलाटमेन्ट नहीं करना चाहिये, भूमि हीन हैं उनको आवश्यक अलाटमेन्ट करना चाहिये।

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)
जमीन, दरअसल मैंने देखा है कि भूमिहीनों को अलाट नहीं की जाती है। पिता के पास चार चार सौ बीघा जमीन है, जोइन्ट फेमिली के सदस्य पुत्रों को अलाटमेन्ट किया जाता है और पशुपालकों के लिये, शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के भी लोग हैं, उनके लिये कोई व्यवस्था नहीं करते। उनके लिये पूरी तरह की व्यवस्था करनी चाहिये।

चरागाह के लिये पूरी तरह की व्यवस्था की जानी चाहिये। यदि मवेशियों को नहीं बचायेंगे तो मनुष्य भी नहीं बच सकेंगे। मवेशियों के चरागाह पर अतिक्रमण हो रहा है। जहां पर चरागाह नहीं है एस० डी० ओ० को इन्स्ट्रक्शन्स देने चाहिये कि वहां पर चरागाह कायम करें। बकरियां और भेड़ों के लिये कतई प्रोविजन नहीं रखा गया है। उनके लिये 1/8 बीघा जमीन रखिये और यह भी नहीं रखते हैं तो कम से कम 1/16 बीघा तो रखिये ही। भेड़ों को जिन्दा रखने के लिये यह तो आवश्यक है ही। ऊन उद्योग कितना राजस्थान में विकसित हुआ है। बाड़मेर, जैसलमेर में ऊन बहुत निकलती है। उनके लिये कोई जमीन नहीं रखते हैं इससे भेड़ें मारी मारी फिरती हैं। उन के लिये गवर्नमेन्ट को पूरा ध्यान देना चाहिये। 1/8 या 1/16 बीघा ही उनके लिये प्रोविजन कर दें। रेबारी और राइका की स्थिति भी बड़ी दयनीय हो रही है।

एक बात और निवेदन करना चाहूंगा। तिलवाड़ा में पंजाब और गुजरात के व्यापारी आकर जानवर खरीद करते हैं। वहां पर उनके ठहरने के लिये कोई व्यवस्था नहीं है। रवाना होने के समय भी उनके लिये कोई व्यवस्था नहीं है। सख्त गर्मी पड़ती है, वहां पर कोई मकान वगैरह नहीं है जिससे रवाना के वक्त तो कम से कम उनको कोई सुविधा हो।

इन बातों के साथ गवर्नमेन्ट से निवेदन करूंगा कि इन बातों की ओर ध्यान रख कर कदम उठाये जिससे जनतन्त्र सफलता की ओर अग्रसर हो।

श्रीमती सभानेत्री : श्री देवीदत्त गाड़िया !

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां): माननीय सभापति महोदया, मैं मंत्री महोदय का इस सम्बन्ध में कुछ मदों की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। अभी यहां पर पशु मेला (संशोधन) विधेयक प्रस्तुत किया गया है। हमारे राजस्थान में सबसे बड़ा मेला परबतसर का मेला है और उस मेले के अंदर इस वर्ष करीब 2 लाख मवेशी आए हैं। मुझे अत्यंत खेद के साथ कहना पड़ता है कि ऐसे मेले का स्थान अभी भी यह राज्य सरकार निर्धारित नहीं कर सकी। इसका स्थान निर्धारित न किए जाने का मुख्य कारण, वहां मवेशियों के साथ और पशुपालकों के साथ और उस इलाके में रहने वाले काश्तकारों के साथ खिलवाड़ किया जाता है। खिलवाड़ का मुख्य कारण यह है कि वहां पर दो राजनैतिक ग्रुप एक ही पार्टी के हैं। एक ग्रुप के नेता श्री नाथूराम मिर्धा और दूसरे ग्रुप के नेता श्री मथुरादास माथुर हैं जिनका वरद हस्त वहां के प्रधान श्री चेलाराम पर है। राज्य सरकार ने एक स्थान नियुक्त किया नए ग्राऊंड पर, सरकार ने मेला लगाने के लिए तीन लाख का खर्च किया, सड़कें बनाईं पानी और बिजली के खम्भों की व्यवस्था की लेकिन उसके उपरान्त भी वहां पर आज

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

तक मेला कभी एक ग्राऊंड पर लगाया जाता है तो कभी दूसरे स्थान पर। वहां के किसानों और पशुपालकों ने अनेक बार मंत्रियों के पास आकर डेपुटेशन के रूप में मिलकर ज्ञापन दिया और उन्होंने मांग की कि एक स्थान निश्चित कर दिया जाय लेकिन दो ग्रुपों के कारण श्री नाथूराम जी कहते हैं कि मेरी बात रहेगी और श्री मथुरादास माथुर कहते हैं कि श्री खेलाराम की बात रहेगी और वहां का किसान और पशुपालक बरबाद हो रहा है। वहां खेती हो रही है, पुराना ग्राऊंड था, किसानों की लहलहाती खेती मंत्रियों के इशारों पर, नेताओं के इशारों पर, उनकी फसलों को ले लिया। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार ने जिन किसानों की फसल ली उनको आज तक मुआवजा क्यों नहीं दिया? दो गुट्टों की लड़ाई के कारण किसान बरबाद होते हैं। आज एशिया का यह सबसे बड़ा मेला है वहां आज तक सरकार व्यवस्था नहीं कर पाई है और आपस में संघर्ष होता है। यह जो नया ग्राऊंड बना है, जहां पर राज्य सरकार ने 3 लाख रुपए खर्च किये, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि वहां पर पशुपालक मवेशी बेचना क्यों नहीं चाहता है। इसका कारण यह है कि वह स्थान कान्क्रीट का बना हुआ है। वहां कंकर हैं जिससे मवेशी खड़ा नहीं रह पाता तो जो आदमी मवेशी बेचने आता है वह दूसरे स्थान पर ले जाता है। इस प्रकार आज वहां पर मेला ठीक प्रकार से भर नहीं पाता। पशुपालक जो मवेशी बेचने के लिए आता है, स्थान न मिलने के कारण दूसरे स्थान पर चला जाता है।

इतना ही नहीं, आपको सुनकर और सदन को सुनकर ताज्जुब होगा कि जो एशिया का सबसे बड़ा मेला है, वहां जो लोग आते हैं, उनकी सफाई के लिए केवल 130 का बजट रखा है। साथ ही साथ सरकार कहती है कि हम मेलें में मनोरंजन की व्यवस्था करते हैं। मनोरंजन के कार्यक्रमों के लिए सिर्फ 1500) रु० का बजट रखा और मनोरंजन कार्यक्रम किस प्रकार के थे? वहां एक कला मंडल है जिसको सारा रुपया दिया गया और सिर्फ कविता पाठ हुआ। क्या कविता पाठ सुनने ही वहां पशुपालक आते हैं? जिस मेले में लाखों की संख्या में किसान आते हैं क्या केवल कविताओं के द्वारा ही उनका मनोरंजन हो सकता है?

इतना ही नहीं, जिस स्थान पर मेला लगता है, वहां यातायात की व्यवस्था नहीं, सड़कों की व्यवस्था नहीं, पशुओं को बाजार में से होकर आना और जाना पड़ता है, वहां के नागरिकों ने इस सरकार को अनेक बार लिखकर दिया कि इस इलाके के अंदर सिर्फ एक फसल होती है, आप उस स्थान का निर्धारण करें जिससे उस इलाके का मेला लगने वाली जितनी जमीन है, उसके लिए किसान कहते हैं कि स्थान निर्धारण होने के बाद हम अपनी खेती कर सकते हैं। मुझे याद है जब तत्कालीन मंत्री श्री शोभाराम थे, उस समय परबतसर के कुछ किसान आए थे, मैं उन किसानों को लेकर मंत्री महोदय से मिला था। मैं मंत्री महोदय को दाद देता हूं कि उन्होंने सहानुभूति प्रकट की थी और आश्वासन भी दिया था कि स्थान का निर्धारण होगा लेकिन मंत्रीजी की इच्छा होते हुए भी, राजनैतिक प्रेशर जो था, एक तरफ से नाथूरामजी और दूसरी तरफ से श्री माथुर का, इन दोनों के दबाव में आकर मंत्री महोदय का गला दबा दिया गया, वह किसी को नाराज नहीं करना चाहते।

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

पोलिटिकल प्रेशर के आधार पर किसान खेती नहीं कर पाता। एक और सरकार कहती है कि अधिक उत्पादन करो, वह किसान अन्न उत्पादन करना चाहता है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि यह जो आप मेला करवाना चाहते हैं करवाइए लेकिन दूसरी फसल के लिए जो बिजली और पानी की व्यवस्था चाहे, राज्य सरकार उन लोगों को कर्जा दे लेकिन राज्य सरकार ने आज भी उन किसानों को अपनी फसल करने के लिए पानी के लिए, बिजली के लिए कोई व्यवस्था नहीं की।

मेरी समझ में नहीं आता कि जो एशिया का सबसे बड़ा मेला हो, उसके अंदर यदि धांधली चले, राज्य सरकार आज तक उसका निर्णय न ले, इससे बड़ी सरकार के लिए क्या कलंक की बात होगी ?

इतना ही नहीं आज मेले के अंदर पशुपालक अपने मवेशी बेचने के लिए लाते हैं उनकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं, चोरियां होती हैं, पुलिस वाले उनको परेशान करते है, सेल्सटैक्स वाले परेशान करते हैं, दूसरे विभागों के अधिकारी उनको परेशान करते हैं, पशुपालक गरीब हैं, गांवों के रहने वाले काश्तकार हैं, कानून कायदे नहीं जानते हैं। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि राज्य सरकार परिवार नियोजन के कार्यक्रमों और दूसरे कार्यक्रमों पर लाखों रुपए खर्च करती है, तो क्या सरकार उन पशुपालकों को, जो इन चीजों को समझते नहीं, सेल्स टैक्स वाले लूटते हैं, पूछते हैं क्या इस प्रकार की बिक्री की है? बैल खरीदे बेचे, क्या प्रमाण है, थाने पर चलो पुलिस थानेदार उनको पकड़कर ले जाते हैं, लूट मचाते हैं। हमारे शाहबाद इलाके में सीताबाड़ी का मेला लगता है, हजारों मवेशी आते हैं, वहां रहने वाले किसान आदिवासी हैं, अपने बल बेचना चाहते हैं लेकिन सेल्स टैक्स कर्मचारी जिस सड़क से होकर पशुपालक आते हैं, उनको नाना प्रकार की धमकियां देकर लूटते हैं। आज तक उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। वह किसान जो मवेशी बेचने के लिए आते हैं उनके सोने की व्यवस्था नहीं।

इसी प्रकार झालावाड़ के अंदर झालरापाटन का सबसे प्रसिद्ध मेला है। उसके अंदर किसान अपने मवेशियों को खरीदने और बेचने के लिए जाते हैं। उनके सोने और रहने की व्यवस्था तो दूर रही लेकिन आज तक मवेशी बेचने को लिए भूमि समतल नहीं हो पाई है जिसके कारण मवेशियों को नाना प्रकार की बीमारिया लग जाती हैं, कंकर चुभ जाते हैं, वे घायल हो जाते हैं जिसके कारण मवेशियों की कीमत घट जाती है।

राज्य सरकार ने यह तो कहा कि चरनोट की भूमि सुरक्षित रहेगी लेकिन मवेशियों की नसल सुधारने के लिए सरकार ने आज तक कोई सुदृढ़ कदम नहीं उठाया। चरनोट की भूमि नेता लोग अगुआ बनकर एलाट करवाते हैं, बूंदी जिले में बूंदी नगर से दो मील की दूरी पर एक हजार बीघा चरनोट जमीन थी उसे नेताओं ने मंत्रियों के इशारे पर नाजायज कब्जा करके ले ली। इसी प्रकार बारां में चरनोट भूमि नेताओं ने तहसीलदार और एस० डी० एम० पर दबाव डालकर एलॉट करवा दी। इस चरनोट की भूमि को उप-जिलाधीश और तहसीलदार को बदलने का क्या अधिकार है? क्या चरनोट

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

की भूमि को परिवर्तित किया जा सकता है? लेकिन आज जिलाधीश और उप-जिलाधीश राजनैतिक नेताओं को खुश करने के लिए, मंत्रियों को खुश करने के लिए चरनोट की जमीन की किस्म को बदल रहे हैं और भूमि का एलाटमेंट करते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। बारां के अंदर कांग्रेस के भूतपूर्व विधायक श्री धनालाल को तहसीलदार और एस० डी० ग्रो० बारां ने चरनोट भूमि किस्म को बदलकर एलाट की। इस प्रकार यदि चरनोट भूमि किस्म बदलकर चरनोट भूमि पर नाजायज कब्जा किया गया तो इसका क्या नतीजा निकलेगा ?

इतना ही नहीं आज हमारे राजस्थान में जहां चरनोट भूमि का प्रश्न है, उसके साथ साथ मवेशियों की पानी की जो तलाइयां थीं जिनके अंदर साल साल भर पानी भरा रहता था, मवेशी उनमें से पानी पीते थे वहां तहसीलदार और उप-जिलाधीश ने मिलकर किन व्यक्तियों से सांठगांठ कर उन तलाइयों को भी एलाट कर रहे हैं, जिसके कारण मवेशियों के पानी पीने की बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है और यदि ये तलाइयां इस प्रकार समाप्त होंगी और चरनोट भूमि समाप्त हो गई तो मवेशियों के चरने के लिए चारा नहीं मिलेगा। न पीने का पानी मिलेगा, तो राजस्थान में मवेशियों की नसल तो नहीं सुधरेगी लेकिन नसल में गिरावट आएगी, मवेशी भूखों मरेंगे प्यासे मरेंगे और मवेशी की सही कीमत किसान को नहीं मिलेगी।

इतना ही नहीं पशुपालन विभाग का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि राजस्थान में मवेशियों की नसल सुधारने के लिए सुंदर कार्य-क्रम अपने हाथ में ले। आज कई ऐसे मवेशी हैं जो मैला खाते हैं, गंदा कपड़ा खाते हैं, उस का एक मात्र कारण यह है कि उन को खाने के अंदर, नमक नहीं मिलता लेकिन राज्य सरकार किसान को जागृत करने के लिए कोई दवाइयां नहीं बताती मेलों के अंदर, मवेशी किस प्रकार सुधर सकते हैं, मवेशी मैला खाना, गंदा कपड़ा खाना किस प्रकार से छोड़ सकते हैं इस सम्बंध में राज्य सरकार ने कोई चलचित्र दिखाने की व्यवस्था नहीं की न हेन्डबिल्स वितरित किए जाते हैं। पशुपालकों को इस सम्बंध में कोई जानकारी नहीं दी जाती। इसलिए मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस समय राजस्थान का मवेशी कमजोर है, मवेशी स्थान स्थान पर मैला और गंदा कपड़ा खाते हैं। उनको सुधारने के लिए चल-चित्र द्वारा उनको शिक्षित करना चाहिए जैसे परिवार नियोजन के लिए दिखाए जाते हैं और दूसरे कार्यक्रमों के लिए दिखाये जाते हैं।

यह बात कही जाती है कि मवेशियों की नसल सुधारी जाय। कोटा जिले में छबड़ा तहसील में जबकि राज्य सरकार की रोक है कि पाडों को न काटा जाय लेकिन भैंसा की नसल क्यों गिर रही है? वहां पाड़ों को काटा जाता है और मांस का विक्रय होता है। राज्य सरकार, जिलाधीश और उप-जिलाधीश के पास सूचना गई है ...

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

लेकिन कुछ भी कार्यवाही नहीं की गई। मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले सभापति महोदया, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

निवेदन करूंगा कि राजस्थान में जितने भी चराई के स्थान हैं, शाहबाद तहसील के अंदर बंजारे लोग राजस्थान के विभिन्न स्थानों पर हजारों की संख्या में मवेशी लाते हैं जहां चराई के लिए चारा नहीं मिलता है। अभी भी जिस समय शाहबाद तहसील में बाढ़ आई तो बाहर से आने वाले बंजारों के मवेशी मर गए। जंगलात वाले जो बाहर से मवेशी आए, उनसे चराई का पैसा लेते हैं। ग्राम पंचायत और पंचायत टैक्स लेती है। इसी प्रकार अनेक वार जैसलमेर और पाली के लोग आते हैं, दूसरे जिलों के लोग हजारों की संख्या में शाहबाद तहसील में अपने मवेशी बेचने के लिए चराई के लिए लाते हैं लेकिन सरकार उनकी कोई व्यवस्था नहीं करती। मैं चाहूंगा कि जिलाधीश के माध्यम से उस इलाके में उप-जिलाधीश और तहसीलदार को सूचना दें कि जिस दिन बाहर से मवेशी और पशुपालक आएं सूची बनाई जाय, उनकी पूरी व्यवस्था की जाय। उनको पुलिस वाले परेशान करते हैं, ग्राम पंचायत टैक्स वसूल करती है, जंगलात वाले पकड़कर उनका चालान करते हैं, इस प्रकार वे बेचारे गरीब आदमी जिनको चराने के लिए चारा नहीं मिला······

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए और बाहर के जितने व्यक्ति जिस इलाके में जांय चराई के लिए जैसे जैसलमेर के अंदर भयंकर अकाल पड़ा है, वहां 10 लाख मवेशी रहते हैं, वहां चरने के लिए चारा नहीं, उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। जिन लोगों का पशुधन एक मात्र जीविका का साधन है, दूसरी जगह जाते हैं उनको सभी प्रकार की निशुल्क चराई मिलनी चाहिए, सुरक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। सर्दी और गर्मी में उनके पास रहने का स्थान न होने से उनके मासूम बच्चे उनके लिए जमीन और आसमान के बीच स्थान मिल जाता है, उनके स्वास्थ्य की रक्षा नहीं होती।

अन्त में यही कहूंगा कि पशुओं की बीमारी जो फैल रही है, सरकार उस ओर तब ध्यान देती है जब हजारों की संख्या में मवेशी मर जाते हैं, जब समाचार पत्रों में उनके मरने के समाचार आते हैं उसके बाद पशुपालन विभाग चेतता है। विभिन्न जिलों में पंचायत समिति केंद्रों में पशुपालन के डाक्टर रहते हैं, वे क्या करते हैं? शाहबाद इलाके में 5 हजार मवेशी बीमारी से मरे, बाकी 20 हजार मवेशी बाढ़ के कारण मरे। 5 हजार जो बीमारी से मरे, उनके लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की? मरने के बाद पशुपालन विभाग का डाक्टर गया। इसकी तो पहले से जांच की जानी चाहिए थी। पंचायत और पंचायत समिति द्वारा सूचना आते ही व्यवस्था करनी चाहिए मुझे विश्वास है कि मंत्रीजी परबतसर मेले पर जो धांधली चल रही है और स्थान का निर्णय नहीं हो पा रहा है उसकी, घोषणा आज ही करेंगे।

श्रीमती सभानेत्री : श्री मनोहरसिंह मेहता·····

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : सभापति जी, यह गोपालकों का देश है और सब लोग कहा करते हैं यहां घी, दूध की नदियां बहती थीं, लेकिन आज तो दूसरी बात कही जाती है–

खाण्ड वली घी भी गम्यो, यो कई आयो राज !
दुर्लभ होगी देश में, डली गोल की आज !!

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

देश में आज घी दुर्लभ हो गया और आज गुड़ की डली भी दुर्लभ हो गई। घी गया। केवल चाय के अन्दर थोड़ा मिलता है। जब तक आर्थिक दृष्टि से इसको उपयोगी नहीं बनायेंगे तब तक इसकी रक्षा नहीं होगी। गोमाता, गोमाता चिल्लाने से गोमाता की रक्षा नहीं होगी। जब हमारे माता पिता वृद्ध हो जाते हैं, बुड्ढे हो जाते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे माता पिता चले जायें। जब हम वृद्ध माता पिता के बारे में सोच सकते हैं तो किसान का भी गाय के बारे में सोचना स्वाभाविक है। हम लोगों ने अमेरिका का इतना अन्धानुकरण किया है, जिससे हमारी भारतीयता भी नहीं रही, और न हम भारत को अमरिका, इग्लैंड ही बना सके। कहते हैं ट्रेक्टर लायेंगे। क्या कोई सोच सकता है कि छोटे छोटे जमीन के टुकडों में सभी जगह ट्रेक्टर आ जायेंगे ? अमेरिका में यह हो सकता है। वहां के लोग बैल खाते हैं लेकिन हम तो नहीं खा सकते। इस तरह से गाय को मारने की एक विचित्र स्थिति चल रही है। हम चाहते हैं कि गाय की रक्षा करें। एक दृष्टिकोण से काम करें। हम लोगों ने एक थोड़े से एरिया में काम किया। एक गांव में एक सांड दिया। गांव में जो छोटे छोटे थे उन सबको बधिया कर दिया। 25, 25 घास के पूले गांव वालों ने इकट्ठे किये, एक एक रुपया इकट्ठा किया, बांटा, खाखला दिया। परिणाम यह हुआ कि सांड की रक्षा हो गई। किन्तु पंचायत समितियों ने हमारा इनीसियेटिव इतना मारा है, कहते हैं हम सब काम कर देंगे। सांड देते हैं गांव में। किन्तु उसकी कोई व्यवस्था नहीं करते। फिर वह एक दूसरे के खेत पर जाता है। वहां मार पड़ती है। इस तरह से वह मारा मारा फिरता है। यह सोचना होगा कि किस तरह से गांव वाले अपने पैरों पर खड़े हों। जो विभाग के अधिकारी हैं, उनका भी काम है। वे अपने पेन्ट, बुशर्ट की क्रीज की फिक्र छोड़ कर उनके साथ बैठें, बात करें और उनको समझावें तो वह नये प्रयोग शुरू करेगा। लेकिन पशुपालन अधिकारी जब मेलों में जाते हैं तो वे उनके पास नहीं जाते हैं। शराब ले जाते हैं। मजे उड़ाते हैं। बड़े अधिकारी हैं, वे शहर से अच्छी शराब ले जाते हैं और वहां गुलछर्रे उड़ाते हैं। इस तरह से मेले नहीं लग सकते। सोचता हूं हमारे बड़ों ने किस प्रकार मेले स्थापित किये होंगे। इनको लगाना इतना आसान नहीं है। कितनी मेहनत की होगी तब कहीं ये स्थापित हुए होंगे लेकिन आज जो ये बड़े बड़े मेले लग रहे हैं, उनकी रक्षा की भी हम चिन्ता नहीं करते हैं। वहां साधन, सुविधा नहीं देते हैं। मैं अपने क्षेत्र के लोगों को कहा करता हूं कि चारों तीर्थ करने जाओ तो नागौर में जाना मत भूलना। यह हमारा पांचवां तीर्थ है। यह किसान का बैल, उनकी धुरी है। इसके ऊपर भारतवर्ष टिका हुआ है। 5000 की जोड़ी देखकर आपके मन में आनन्द आयेगा। हमें भी इस तरह के बैल पैदा करना है। जितना बैल काम करता है, उतना कोई प्राणी नहीं करता किन्तु हम सब बैल की तरफ ध्यान नहीं देते। उनके चरने के लिए चरागाह नहीं हैं। आज चरागाहों की, चरणोट की जमीन की हालत क्या है ? मवेशियों के फिरने के लिए जगह नहीं है। जंगल भी खुले नहीं छोड़े हैं। जिन जंगलों पर फेन्सिग है, उनकी बात छोड़ दीजिये। उनके लिये मैं नहीं कहता ये जंगल वापस हरे भरे हो जायेंगे किन्तु जो बिलकुल कट गये हैं, वहां मवेशी को जाने दें। आज चारों तरफ से एक ही आवाज आ रही है, घास नहीं है। कहां से आयेगी ? जंगल बुरी तरह से कट

(श्री मनोहर सिंह मेहता)

रहे हैं। सब जगह कट रहे हैं। किसी सिस्टम से कटते हैं तो उनकी बात नहीं कहता। खुला जंगल बेकार हो जाता है और वह मर जाता है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां जहां जंगल खुले हैं, उन्हें बन्द कर दिया जाये। इससे चारे की समस्या हल हो सकेगी।

(3.35 म० प०)

(श्री पूनमचन्द्र विश्नोई, उपाध्यक्ष पदासीन)

पंचायतों को एक आदेश भेजा जाता है कि वे वह स्थिति पैदा करें कि किसान ट्रेक्टर ले। अधिकारी पेन्ट, बुशर्ट पहनकर जाते हैं। इससे किसान से नहीं मिल पाते। किसान को प्रत्यक्ष रूप में लाभ की बात बतावें तो वह तत्काल उसका प्रयोग करेगा। पंचायत समितियों में जो पशुपालन अधिकारी हैं, उनमें सबसे बड़ी बात निष्ठा देखने की है। उनके मन में निष्ठा भी है या नहीं ? यदि नहीं है तो काम नहीं होगा ?

अलॉटमेंट में देखता हूं, बड़े भारी घोटाले हैं। जमीन उनको मिलती है, जो खुद खेती नहीं करते हैं। खेती करने वालों को जमीन नहीं मिलती। राजस्व मन्त्रीजी बाला बाला ही जमीन अलॉट करके भेज देते हैं। न मालूम क्यों माण्डलगढ तहसील पर उनकी विशेष कोप दृष्टि है। किसी को 15 बीघा, किसी को 25 बीघा अलाट कर देते हैं। श्री गणपतलाल वर्मा, जो पहले एम. एल. ए. और हमारे श्री माणिक्यलाल जी वर्मा के साले हैं, उनके पास 35 बीघा जमीन कमाण्ड एरिया में पहले ही है, उनके नाम पर यहां से 25 बीघा जमीन और अलाट की गई है और इसके आदेश हुए ह लेकिन इस प्रकार का अलॉटमेंट गलत है। वहां का किसान जागरूक है उन्हें इस जमीन पर कब्जा नहीं करने देगा। 35 बीघा जमीन पर भी खेती वे दूसरों से करवाते हैं। राजनीतिक पीड़ित के नाम पर उनको जमीन दी जा रही है। यह समझ में नहीं आता। मेरा निवेदन है कि आप ऐसे लोगों को जमीन अलॉट करें जो हाथ से खेती करने वाले हैं। यदि जमीनें ऐसे लोगों को अलॉट होंगी और इससे चरागाह कम होंगे तो परवाह नहीं है। वे कोशिश करके घास पैदा करने की चेष्टा करेंगे। उनमें खेती करने का मिशन होगा। एक एक टुकड़े में बाजरा, मक्का पैदा करेंगे। चारे की समस्या ही मिट जायेगी। और तब जाकर गाय की रक्षा होगी। गाय के बिना भारत की रक्षा सम्भव नहीं होगी। कहते हैं खाद का काम फरटीलाइजर कर देगा। फरटीलाइजर खाद में उसी तरह है जिस तरह आटे में नमक। बिना नमक के रोटी होती है। वह अलूणी लगती है। इस कम्पोस्ट की जगह फरटीलाइजर क्या काम करेगा ? किसानों का गोबर का ही खाद है, जिसने हजारों वर्ष तक जमीन को उपजाऊ रखा है जिस दिन यह नहीं होगा, उस दिन भारत नष्ट हो जायेगा। कृष्ण भगवान जो गीता के रचने वाले थे, वे गो पालक कहलाते थे। वे स्वयं अपने घोड़े के खुर्रा करते थे। गाय के जितने उपकार हमारे ऊपर हैं उतने संसार का कोई भी प्राणी नहीं कर सकता। उसके अनंत उपकार हैं। इसके वंश में किस तरह से वृद्धि हो, इसकी नस्ल सुधरे, दूध बढे, आर्थिक दृष्टि से वह उपयोगी हो, अगर यह हम नहीं कर सके तो भारत को मरना है, इसमें कोई शंका नहीं है। कृषि और गो पालन एक सिक्के के दो पहलू हैं। इन दोनों पहलुओं में से एक भी पहलू खत्म हुआ कि मृत्यु निश्चित है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्रवणलाल·····

श्री श्रवणलाल (हिण्डौन सु.) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य पशु मेला संशोधन विधेयक, 1968 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाये जो अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर दे और इस समिति की रिपोर्ट पर विचार किया जाये। इस प्रकार का मेरा एक प्रस्ताव है। आज जितने भी राजस्थान के अन्दर पशु मेले लगते हैं, वे मेले हमारे सब पशुधन पर निर्भर करते हैं। हमारा पशुधन अच्छा है, सुन्दर है और अच्छा योग्य काम करने वाला है। तो इसके प्रचार के लिये और इसकी बिक्री के लिये इस राज्य सरकार द्वारा जो पशु मेले लगाये जाते हैं उनमें हमारे पशुओं की संख्या अधिक हो, वे वहां पर पहुंच पायें और उस संख्या के कारण हमें उनकी बिक्री से जो आय होती है उसमें वृद्धि हो यह देखना है। उपाध्यक्ष महोदय, आज जितने चरागाह ह उन चरागाहों का अलॉटमेंट किया जा रहा है। इस प्रकार की जमीनें किसानों के चारे के लिए थीं जिनमें पशु अच्छी तरह से घूम फिर लेते थे और जिन पर हमारा पशुधन निर्भर रहता था वे किसी न किसी प्रकार हजम की जा रही हैं। उनके पास घूमने करने के साधन नहीं रहे इसके अलावा और साधन नहीं रहे जिससे पशुओं की स्थिति सुधार सकें। आज हालत यह है कि दिन प्रतिदिन पशुओं की हालत गिरती जा रही है और उनकी संख्या भी कम होती जा रही है। इस संख्या पर ध्यान नहीं दिया गया तो हम देखेंगे आने वाले समय में पशुओं की भारी कमी हो जायगी और जो इनसे इन्कम है वह भी कम हो जायगी। यहां पर जो पशु मेले लगाये जाते हैं उन मेलों में कोई भी सुविधा नहीं होती। जहां पर पशु मेले लगाये जाते हैं वहां पर प्रदर्शनी करते हैं उसके लिये अनेक प्रकार साधन जुटाकर आने वाले पशुओं के लिये हमें पर्याप्त सुविधायें देनी चाहियें वह हम जुटा नहीं पाते। इसी बारे में मैंने गत सत्र में सवाल पूछा था पशु मेलों से राजस्थान सरकार को कितनी आय होती है उस प्रश्न के उत्तर में मुझे जो सूची मिली उसको देख कर ताज्जुब होता है। विभाग के कर्मचारी जो पशु मेले पर व्यवस्था करते हैं उन पर किस प्रकार अनाप शनाप खर्च किया जाता है यह उससे पता चलता है।

झालरापाटन में पशु मेला लगता है वहां हमने देखा है अधिकारी वर्ग मेला स्टार्ट होने के तीन दिन बाद पहुंचते हैं। पशुओं की बिक्री का सिस्टम पहले दिन ही चालू हो जाता है। आज जो विधेयक लाया गया है उसके लिये मेरा निवेदन है कि आपके विभाग के कर्मचारी तीन दिन तक मेले में नहीं पहुंच पाते। वहां पर किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं की जाती। अधिकारी तीन दिन बाद पहुंचते हैं उससे सरकार को हजारों का नुकसान होता है।

उपाध्यक्ष महोदय, परबतसर में पशु मेला लगता है जो राज्य का प्रमुख मेला माना जाता है। उस पर एक साल का खर्चा देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा उसका खर्चा दिन प्रतिदिन बढता जा रहा है लेकिन पशु लाने वालों को फेसीलिटी जो दी जानी चाहिये उसमें किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई है। व्यापारी आते हैं लेकिन उनकी फेसिलिटी में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की जाती। मुझे जो लिस्ट दी गई उसमें बताया गया है

Page No. 91

(श्री श्रवण लाल)

कि इस मेले पर 29 हजार रुपया खर्च आता है। यह व्यवस्था किस प्रकार की होती है इसका भी नमूना बता देना चाहता हूं। इसमें सफाई के ऊपर तीन साल में 1,18,722 रुपया खर्च हुआ है यह रुपया मैदान जुटाने के लिए उसकी सफाई के लिये यह खर्च तीन साल में किया गया है। विभाग मेले के संबंध में जो खर्च करता है वह 29 हजार 100 रुपया सफाई के लिये 1200 रुपया जितने अधिकारी जाते हैं उनको सब को टी०ए०, डी०ए० मिलता है फिर फर्राशखाना, क्यों उस पर ढाई हजार खर्च होता है ?

प्रचार के लिए 800 रुपया रखा है। प्रचार अधिक से अधिक होना चाहिये यह मैं भी मानता हूं। इसके साथ साथ टूंटियों के लिये 3,420 रुपया होता है, रोशनी पर 3,395 रुपया। सभी प्रकार की व्यवस्था वहां होते हुए भी लट्ठे मौजूद होते हुए भी रोशनी पर इतना खर्चा किस तरह से वाजिब है? इसके बावजूद वहां हण्ड भी लाये जाते हैं जब रोशनी का इन्तजाम है तो हण्डों की क्या जरूरत है? फिर भी इसके नाम पर 3,995 रुपया खर्च करते हैं। यह खर्चा हर साल बताया जाता है। इतना होने पर भी बकाया अलग बताया जाता है इसमें 930 रुपया पिछली साल का बकाया बताया गया है। फोटोग्राफी के लिए 300 रुपया खर्च बताया गया इस तरह से अनेक प्रकार के खर्चे बताये गये हैं। इसके बाद भी विविध और रह जाता है। जब सभी तरह के खर्चे शामिल कर लिये गये फिर यह विविध कहां से आगया। यह विविध इसलिये है कि माननीय मंत्री महोदय पधारे उनके स्वागत के लिये, अधिकारी वर्ग के स्वागत के लिये है। मुझे एक सज्जन मिले थे इसी मेला क्षेत्र के, मुझे कहा एम० एल० ए० साहब, कभी मेले में तो पधारो आपको मालूम हो जायगा कि किस प्रकार की व्यवस्था होती है। वहां देशी की पूछ नहीं इंग्लिश उड़ती है।

एक माननीय सदस्य: यह इंगलिश क्या होती है ?

श्री श्रवणलाल : माननीय सदस्य तो खूब अच्छी तरह जानते हैं इंगलिश क्या चीज है उन्होंने क्षीर सागर में खूब पी है 6 दिन तक वहां रहे उनको तो अनुभव होगा इंगलिश में क्या मजा आता है। इस प्रकार मंत्रियों के स्वागत के लिये इन मेलों में इन्तजाम होता है और अधिकारियों के काम करने का ढंग इस प्रकार का होता है।

मेलों में पशुओं के लिये किसी प्रकार की सुविधा हो इसका फिक्र किसी को नहीं ठेका भी वहां मनमाने तरीके से से दिया जाता है। घास का ठेका मनमाने तरीके से दिया जाता है। प्रधान का आदमी हो प्रमुख का आदमी हो घास का ठेका उसी को दिया जाता है। कम रेट के टेण्डर होते हुए भी उनको मन्जूर नहीं किया जाता हाई रेट के टेण्डर मन्जूर किये जाते हैं।

इसके अलावा वहां यह भी व्यवस्था होती है जिस पशु पालक के अच्छे पशु होंगे उनको इनाम दिया जाता है लेकिन देखा इसमें यह गया है कि चार साल से लगातार एक ही व्यक्ति को पुरस्कार दिया जाता है चाहे किसी अन्य के उससे भी अधिक दूध देने वाले पशु हों, अच्छे साण्ड हों अच्छे नारे हों तो भी पहले वाले को ही इनाम दिया जाता है। आखिर फिर इस प्रदर्शनी से क्या लाभ जब लोग इसी आशा पर कि उनके पशु अच्छ नस्ल के हैं अच्छा दूध देते हैं इसलिये वे लाते

(श्री श्रवण लाल)

हैं लेकिन जब पक्षपात पूर्ण निर्णय होता है तो उनको उत्साह मिलने के बजाय वे निरुत्साहित होते हैं और आयन्दा आने को उत्सुक नहीं रहते। हमने देखा है जो व्यक्ति गत चार सालों से इनाम लेता आ रहा है उसी को इनाम मिलता है। इस प्रकार की जो मोनोपोली होजाना दूसरे पशुपालकों के लिये उत्साहवर्द्धक नहीं है। मेले में जो प्रदर्शनी होती है उसमें भी ठेका एक ही आदमी को दिया जाता है....

एक माननीय सदस्य: वह आदमी कौन है ?

श्री श्रवणलाल: उसका नाम भी बता दूंगा। आज इसकी संख्या को बढ़ाने के लिये हमें नाना प्रकार के साधन जुटाने होंगे। दवाईयों पर खर्च करना पड़ेगा, चारे की और चरागाह की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। आज चरागाह जो आप लोगों को अलॉट करते जा रहे है उसे रोकना पड़ेगा जिससे पशु धन बढ़े और पशुधन बढ़ेगा तो उनका दूध मक्खन खाकर हमारे बच्चे पहलवान बनेंगे।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, जो पशु विभाग में बाहर से खरीदे जाते हैं नस्ल सुधारने के लिये उनकी कीमतों को देखते हैं तो लगता है कि या तो ये आंकडे गलत है या वास्तविक कीमतों से कहीं अधिक कीमतें देकर भ्रष्टाचार किया गया है। विभाग ने चार बछड़ियां खरीदीं, जिनकी कीमत चार की 6600) बताई है। इसके बाद 67 बछड़े खरीदे जिनकी कीमत 48,569) रुपये बताई है और पांच सांडों की कीमत 4,685) बताई है। तो इस तरह से एक बछड़े की कीमत जहां 725) पड़ती है और सांड की 832), वहां एक बछड़ी की कीमत 1,650) पर पहुंच गई है। तो इतना बड़ा अन्तर कैसे है।

श्री उपाध्यक्ष: भाषण समाप्त हुआ। आर्डर आर्डर माननीय सदस्य।

श्री रणजीतसिंह: माननीय उपाध्यक्ष।

श्री उपाध्यक्ष: काफी समय हो गया है। तीसरे वाचन में काफी समय मिलेगा बोलने का। श्री मन्त्री महोदय।

श्री मनफूलसिंह (राज्यमंत्री, पशु पालन विभाग): जो संशोधन मैं लाया हूं उसके संबंध में बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये। इसके लिये तो बधाई और धन्यवाद देता हूं उनको। मैं यह नहीं समझता था कि इस मामूली से संशोधन पर अपने विचार माननीय सदस्यगण इतने अधिक रूप में रखेंगे। उन्होंने अच्छे सुझाव इस विभाग के लिये दिये हैं हम उनका आदर करते हैं।

सबसे पहले माननीय रामकिशनजी ने कहा कि यह संशोधन इतनी देर से क्यों लाये। इसके लिये मेरा निवेदन है कि 64 में हाई कोर्ट में जब इसे चेलेन्ज किया गया एक भीलवाड़े के व्यक्ति द्वारा तो हाईकोर्ट ने मान लिया कि यह अवैधानिक है।

श्री कृष्णकुमार गोयल: किन कारणों से माना, यह तो बताओ।

श्री मनफूलसिंह: यह पब्लिक इन्टरेस्ट में नहीं है। विधेयक में धारा 7 उपधारा (2) के अन्तर्गत जो रखा है वह उचित नहीं है। इसको डिलीट कर दिया जावे। यह निर्णय है।

(ी मनफूलसिंह)

इसके बाद 16-6-64 को एडवोकेट जनरल ने अपील की और यह सूचना एडवोकेट जनरल ने दी। सके बाद राष्ट्रपति से सहमति लेने के लिये भी यह कहा कि राष्ट्रपति से सहमति नहीं लेनी चाहिये।

इसके बाद 7-7-64 को भी हमारे साथ कोरेस्पोण्डेन्स हुई। 29-8-64 को राज्य सरकार ने उचित समझा कि लॉ विभाग की राय ले। लॉ विभाग ने भी यह राय दी कि यह हाई कोर्ट ने जो राय दी है उससे हम सहमत नहीं हैं। इसके बाद में 9-10-64 को भी हमारी कोरेस्पोन्डेन्स हुई। इसके बाद हमने यह उचित समझा कि हम हैड आफ दी डिपार्टमेन्ट को भी लिखें कि उसकी क्या राय है। उसने राय दी कि हम उचित समझते हैं कि यह पब्लिक इन्टरेस्ट की चीज नहीं है। सेल्स टैक्स भी ज्यादा लगता है, आक्ट्राय भी लगावेंगे तो हानि होगी। इसलिये यह उचित समझा कि यह दुबारा फिर हम लॉ विभाग में पुर्नविचार को भेजें। लॉ विभाग ने फिर लिखा कि इसको उचित समझते हैं कि इस पर प्रेसीडेन्ट की स्वीकृति लेनी चाहिये। इसके बाद उचित समझा गया कि वास्तव में यह पब्लिक इन्टरेस्ट की चीज है। मेलों की क्षति होगी इसकी आमदनी का नुकसान होगा इसलिये उचित समझा और कैबिनेट में यह चीज आई। तो यह मामला बराबर कोरेस्पोन्डेन्स में चलता रहा। तो इसमें डिफरेन्स आफ ओपीनियन रह सकता है। तो किसी भी मामले में लॉ डिपार्टमेन्ट की राय और हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट की राय और है, तीन चीजें लॉ विभाग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की राय तीनों अलग अलग हो सकती हैं। पर इस तरह से हम यह नहीं कह सकते।

श्री दौलतराम सारण : लॉ डिपार्टमेन्ट का हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से कम्पेरीजन नहीं है कोई।

श्री नत्थीसिंह : वकीलों की राय और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बहुत अन्तर है।

श्री परसराम मदेरणा (खाद्य मंत्री): यह तो इन्टरप्रीटेशन का मामला है।

श्री मनफूलसिंह : तो इस तरह से यह मामला कोरेस्पोन्डेन्स में चलता रहा। इसमें सरकार की सुस्ती नहीं रही है। यह निवेदन करना चाहता हूं।

श्री दौलतराम सारण : इस कोरेस्पोन्डेन्स में चार साल लग गये। इससे बड़ी सुस्ती क्या होगी ?

श्री मनफूलसिंह : जो एक्ट बनाया था उसमें हम लॉ विभाग से राय लेकर इसके बाद लागू करना चाहते थे। पर इस बीच लोग हाई कोर्ट में पहुंच गये। उसने ठीक नहीं समझा। और डिलीट करना पड़ा हमें बाद में।

कुछ माननीय सदस्यों ने ऐसा भी कहा कि हो सकता है किसी मेले में इस आक्ट्राय को नहीं लगाया हो। पर आश्वासन देता हूं और मानता हूं और कहना चाहता हूं कि किसी भी मेले में यह आक्ट्राय नहीं लगी है अभी तक। जिस दिन यह हाई कोर्ट में फैसला दिया गया। उस वक्त हम इसके सम्बन्ध में रूल्स बना रहे थे।

(4 म० प०)

दूसरे मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत से माननीय सदस्यों ने इसके संबंध में बहुत सी खामियां बताई हैं

(श्री मनफूलसिंह)

और खास तौर से श्री रामकिशन जी ने कहा कि परबतसर के मेले के लिए अभी तक सरकार जगह निश्चित नहीं कर सकी है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि परबतसर के मेले के अंदर पांच-छ: सौ बीघा जमीन हमने एक्वायर की है और जो पहले मेला सन् 1960 और 61 में लगता था आज 67 और 68 में उस समय जितने पशु आते थे सन् 60 और 61 में उससे ज्यादा तिगुने पशु उस मेले में अब आते हैं और ज्यादा संख्या होने की वजह से जो 600 बीघा जमीन एक्वायर की है उसमें हमारा कोई झगड़ा नहीं है। उसमें वह परबतसर का मेला लग रहा है और वह भी इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि पुरानी जमीन थी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि परबतसर के स्थान के लिए कोई झगड़ा नहीं है। उसमें बहुत से माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि इसमें बहुत से पोलीटिकल झगड़े हैं। तो हो सकता है कि इसमें पालीटिकल झगड़े हों लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो जगह एक्वायर करनी चाहिए थी वह कर रहे हैं और उसमें आज मेला भी लग रहा है।····

श्री भैरोंसिंह : इस वर्ष का मेला आपके द्वारा निर्धारित स्थान पर लगा है या पुराने स्थान पर ?

श्री मनफूलसिंह : दोनों ही जगह लगा है। निर्धारित स्थान पर तो पहले से ही लग रहा है लेकिन 600 बीघा जो जमीन हम एक्वायर करना चाहते थे उसमें भी वह मेला लग रहा है। जो पहले जमीन थी जिसमें मेला लगता था वहां अब भी लगता है और नई जमीन पर भी लग रहा है····

श्री भैरोंसिंह : मुश्किल यह है कि आप दोनों स्थानों पर मेला लगवाते हैं। तो पुराने स्थान को जिसको आपने रिजेक्ट कर दिया उसके आसपास जो खेती होती है वह आज भी बरबाद होती है और नये स्थान पर खेती नहीं हो सकती और पुराने पर नहीं हो सकती। तो गवर्नमेन्ट ने डिसीजन ले लिया कि नये स्थान पर मेला लगेगा तो पुराने स्थान पर क्यों लगाते हैं। तो वहां मेला लगता है तो जो नुकसान होता है उसका क्या होगा ? आप पहले डिक्लेयर करते हैं कि नये स्थान पर मेला लगेगा और फिर काश्तकार उस पुराने मेले वाली जगह पर खेती करते हैं और मेले का समय आता है तो वही पुरानी जगह पर मेला लगाते हैं। तो उससे खेती बरबाद होती है तो खेती को नुकसान से बचाने के लिए आप किसी एक स्थान का निर्णय करें और अगर नये वाला स्थान खराब है तो पुरानी जगह पर लगना चाहिए और यदि पुरानी जगह खराब है तो नये स्थान पर लगना चाहिए और प्रति वर्ष जो नुकसान होता है उससे उनको बचाया जाये।

श्री मनफूलसिंह : मैं निवेदन कर चुका हूं कि जो मेला पहले लगता था और जितने पशु पहले आते थे उससे अब दुगने और तिगुने पशु आते हैं। तो जो पहले की जमीन है उस पर पूरे पशु नहीं आ सकते इसलिए हमें दूसरी जमीन एक्वायर करने की आवश्यकता पड़ी और उसके लिए हमने कोशिश की है और वह एक्वायर कर रहे हैं।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (वल्लभनगर): आपने जगह देखी है ?

श्री मनफूलसिंह : मैंने नहीं देखी है। आप खुद ही कहते हैं मंत्री लोग वहां जाते

(श्री मनफूलसिंह)
हैं, शराब पीते हैं, भ्रष्टाचार होता है, फोटो खिचती हैं। यह सब आप कहते हैं इसलिए हम तो जाते ही नहीं हैं। मैं यह चाहता हूं कि इसके संबंध में कई बार चर्चा आ चुकी है और मैं इसका निर्णय भी करना चाहता हूं मेला जहां लगता है वहां एस० पी० भी उस मेला कमेटी के सदस्य हैं, एम० एल० ए० भी हैं और वहां का प्रधान भी मेला कमेटी का सदस्य है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि जो संबंधित मेला है और जो उसके लिये ऐतराज रखते हैं उनको भी इस निर्णय में शामिल कर लिया जायेगा और उसको हम किसी राजनैतिक आधार पर नहीं करना चाहते हैं। मैं बिल्कुल निष्पक्ष रूप से उसका निर्णय करना चाहता हूं। ....

श्री भैरोंसिह : यह निष्पक्ष तो नहीं हुआ। आप तो यह बताइये कि पुरानी जगह पर जो मेला लगता है वह अब उस स्थान पर लगेगा या नहीं ? यह साफ साफ बताइये।

श्री मनफूलसिंह : मैं उसके लिए निवेदन कर चुका हूं कि मैं इस संबंध में कोई फाइनल निर्णय नहीं कर सका हूं लेकिन मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं इस पर बहुत जल्दी ही निर्णय कर लिया जावेगा और कुछ माननीय सदस्यों को इस निर्णय में शामिल करेंगे और उनसे राय लूंगा।

श्री भैरोंसिह : उपाध्यक्ष महोदय, फिर एक सवाल खड़ा होता है। आपने निर्णय नहीं किया लेकिन मेला लगाने से पूर्व मेला समिति के द्वारा या सरकारी अधिकारियों के द्वारा इस बात के पेम्फलेट और पर्चे बंटवाये जाते हैं कि मेला नये स्थान पर लगेगा ऐसा क्यों ? मैं पूछना चाहता हूं कि अधिकृत स्थान नये वाला है या पुराने वाला है ? जब निर्णय ही नहीं हुआ इस बात का कि अधिकृत स्थान कौन सा है तो फिर पर्चे क्यों बंटवाये जाते हैं ?

श्री मनफूलसिंह : मैं तो पहले ही निवेदन कर चुका हूं। हमारे पास जगह थोड़ी थी और दूसरी जगह भी करना चाहिए था। इसलिए कोई पशु लाने वाला यह न समझ ले कि वह उसी जगह पर पशु ले आये....

श्री दौलतराम सारण : यह फैक्ट नहीं है। मेहरबानी कर के देख लें फैक्ट्स। जगह थोड़ी थी यह फैक्ट नहीं है। आप निष्पक्षता से फैसला करें यह ठीक है लेकिन आप कह रहे हैं कि जगह थोड़ी थी और ज्यादा ली गई यह फैक्ट नहीं है।....

श्री मनफूलसिंह : जगह तो निश्चित रूप से थोड़ी है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : और जो आपने अब 600 बीघा जमीन एक्वायर की है वह काफी है ?

श्री मनफूलसिंह : हां....

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आपको मालूम भी है कि इस मेले के लिए कितनी जमीन होनी चाहिए इस मेले के लिए कम से कम 7,500 बीघा जमीन चाहिए। पहले वाली जगह थोड़ी थी ?

श्री मनफूलसिंह : हां।

दूसरे बहुत से माननीय सदस्यों ने इस बात के लिए बहुत जोर दिया है कि चरागाहों को नष्ट किया जा रहा है जगह जगह और इस बात को मैं भी मानता हूं

(श्री मनफूलसिंह)

कि चरागाह जहां जहां भी पहले रखे हुए हैं और उन चरागाहों को किसी भी जगह जाकर देखें मैं इसको स्वीकार करता हूं कि उनको नष्ट किया जा रहा है और मुझे अभी अभी जयपुर के पास भी एक जगह ऐसी थी कि जहां ट्रेक्टर्स चल रहे थे और उन ट्रेक्टरों की शिकायत मेरे पास आई कि वहां पर चरागाह हैं और ट्रेक्टर चल रहे हैं। मैंने उसी समय रेवेन्यू सेक्रेटरी को टेलीफोन किया क्योंकि वह विभाग भी उसी सेक्रेटरी के पास है जिनके पास कि कोलोनाइजेशन है। इसलिये मैंने उनको कहा और फौरन उसी समय ट्रेक्टर बन्द करके पुलिस को केस भेजा गया। इसके अलावा जहां और भी चरागाह हैं जैसे शहरों के पास हैं और जैसे कस्बों के पास हैं और पशुओं के चरने के लिए जगह छोड़ी गई है उसको कोई काश्त करता या कोई भी उसका अलाटमेन्ट करता है। और उसके लिए कोई शिकायत आती है तो उसमें मैं आपकी मदद करूंगा। क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट तो मेरे पास नहीं है लेकिन मैं आपका पूरा ध्यान करके उस चरागाह को छुड़ाने की कोशिश करूंगा।

दूसरे कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा है कि पशु मेलों के अन्दर व्यवस्था ठीक नहीं है। माननीय विरधीचन्द्रजी ने यह कहा, गोयलजी ने भी यह कहा है कि पशु मेलों में बिजली की व्यवस्था नहीं है। पानी की व्यवस्था नहीं है। सड़क की व्यवस्था नहीं है। फोडर की व्यवस्था नहीं है। मैं यह चाहता हूं कि पशपालन विभाग जितने भी मेले लगाता है राजस्थान में, उनका अच्छे से अच्छा इन्तजाम हो। मेरे पास अभी अभी यह डिपार्टमेंट आया है। डिपार्टमेंट के आते ही मैंने मीटिंग की है। अधिकारियों को मैंने चेतावनी दी है। जहां जहां पशुपालक हैं, उनको किसी प्रकार की दिक्कत न हो। चारे और चिकित्सा की दिक्कत न हो। इसी तरह से बहुत से मेले हैं जहां आदमियों के डाक्टर नहीं भेजे जाते थे। पशुओं के डाक्टर तो होते ही हैं। आदमियों के डाक्टर नहीं भेजे जाते थे। पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। मैं स्वयं कोशिश कर रहा हूं। अच्छी से अच्छी व्यवस्था इसका मैं आश्वासन देता हूं। जो रामकिशनजी ने यह फरमाया है कि जितने पशुओं की वृद्धि हुई है उतने मेलों की व्यवस्था नहीं हुई है। उन्होंने आंकड़े भी दिये हैं। लेकिन वह आंकड़े ठीक नहीं हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कि उन सालों में 25 हजार ज्यादा, 15 हजार और 30 हजार ज्यादा आमदनी हुई है। 60-61 तक आमदनी बढी है। फिर भी इस आमदनी से हमें पूरा सन्तोष नहीं हुआ है। मैं कोशिश कर रहा हूं जैसे मछली विभाग के लिए गोयल सा० ने फरमाया, मछली विभाग की जो बचत है, जो आमदनी हो रही है। मैंने डायरेक्टर को बुलाकर कह दिया है कि 12 हजार की आमदनी हुई है लेकिन हम 25 लाख की आमदनी इस विभाग से चाहते हैं। श्रवणलालजी ने कहा है कि 1 लाख 50 हजार की मछलियां खरीदी गई हैं, अगर यह जांच से साबित हो जाएगा तो मैं पूरा आश्वासन देता हूं कि उस पर कार्यवाही की जाएगी।

श्री भैरोंसिंह : मैं तो आपके आश्वासन पर एक बात का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जयसमन्द के ठेके की जो फायल मन्त्रि-मंडल और सेक्रेटेरियेट में घूम रही है, उसका एलाटमेंट मत कर देना।

श्री मनफूलसिंह : आश्वासन देने का राज्य सरकार को कोई घाटा नहीं है ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह निश्चित घाटा होगा । इसको देने में किस प्रकार का कार्य किया जा रहा है । फिर यह न हो कि चीफ मिनिस्टर के दबाव में आकर कर दिया ।

श्री मनफूलसिंह : यह तो ज्योतिष आप ज्यादा जानते होंगे । लेकिन मैं सरकार की आमदनी करने में कोई कसर नहीं रखूंगा । सरकार को कोई कमी नहीं आयेगी ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उसको पांच साल से ठेका दिया जा रहा था । कहीं ऐसा न हो कि पांच साल को फिर ठेका दे दो ।

श्री मनफूल सिंह : वह केस अगर चल रहा है....

श्री उपाध्यक्ष : इस केस का इस बिल से क्या सम्बन्ध है?

श्री रामकिशन : पशुपालन विभाग के साथ मछली विभाग कैसे आ गया है ?

श्री भैरोंसिह : मछलियों के ठेके में भरतपुर भी आता है । भरतपुर में भी बहुत मछलियां हैं ।

श्री मनफूलसिंह : दूसरे माननीय सदस्यों ने यह भी कहा है कि सेल्स टैक्स और पुलिस की व्यवस्था मेलों में अच्छी नहीं होती है । वह विभाग हमारे नहीं हैं । फिर भी मैं पूरा इन्तजाम करने की कोशिश करूंगा । यही मैं कह सकता हूं । इसके साथ साथ बहुत से हमारे साथियों ने यह भी कहा है कि जितने भी मेले हैं, यह माननीय गोयल सा० ने कहा है कि पंचायत समितियों, पंचायतों और नगरपालिकाओं को दे देना चाहिए । मैं आप को यह कहना चाहता हूं कि इतने बड़े बड़े मेले हैं कि जिनमें 5-5 करोड़ की बिक्री होती है । परबतसर का मेला है, 5 करोड़ की बिक्री का काम और व्यवस्था है । मैं आप को स्वयं बताता हूं कि इतना नगरपालिका नहीं कर सकती है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैंने झालरापाटन का उदाहरण दिया था । सदैव से नगरपालिका करती आयी है । सरकार ने पशु मेला ले लिया है । जब नगरपालिका करती आई है ।

श्री मनफूलसिंह : सरकार की नीति यह नहीं है कि नगरपालिकाओं और पंचायत समितियों को मेले नहीं दिये जायें । सरकार यह चाहती है कि मेलों को डवलप किया जाये । उनकी तरक्की की जाये । वह भी पैसा नगरपालिका का है । पंचायत और नगरपालिकाओं को सरकार पैसा देती है । इसलिए उनके पास पैसा रहे या हमारे पास पैसा रहे कोई अन्तर की बात नहीं है । लेकिन मैं चाहता हूं कि इन मेलों का डवलपमेंट हो । बहुत कमियां हैं । जैसा कि मैंने कहा, बहुत पुराने ढर्रे से चलते थे । मैं चाहता हूं कि इन मेलों की बहुत ज्यादा तरक्की हो । इन मेलों में गोगामंडी का मेला है । हमारे इलाके का मेला है । वहां पर हमारे साथियों ने कहा कि वहां पर कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होते हैं । कोई प्रोग्राम नहीं होता है । खेलों का कोई काम नहीं होता है । मनोरंजन का कोई कार्य होना चाहिए । पुराने जमाने में फुटबाल के मैचेंज होते थे । बाहर से पहलवानों को भी बुलाया जाता था । हम चाहते हैं कि मेलों में इसी तरह की एक्टीविटीज रखें । जिससे

(श्री मनफूलसिंह)
लोग आयें लोग पशु बेचते हैं, थक जाते हैं। उनको देखने के लिए कोई चीज नहीं है। मैं चाहता हूं ऐसी चीजें हों। ज्यादा से ज्यादा लोग मेलों में आयें। इसके साथ साथ साथियों ने यह भी कहा है कि भेड़ों की तरक्की के लिए उनकी नस्ल सुधारने के लिए कोई तरक्की नहीं की जा रही है। इसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि यहां पर जो हमारा नस्ल सुधार सेंटर है वहां 100 रैम्स हमने रूस से मंगवाये हैं। इस बारे में हम काफी काम कर रहे हैं। दूसरे में यह भी कहना चाहता हूं कि जो नस्ल सुधार का काम हो रहा है, कैटिल ब्रीडिंग का काम हो रहा है, उसको अगर माननीय सदस्य हमारे साथ चलकर देखें तो वह स्वयं स्वीकार करेंगे कि पशुपालन का काम राजस्थान में काफी तरक्की पर है। हो सकता है कि विभाग में बहुत सी गलतियां हों, लेकिन उनको सुधारने के लिए आप हमें सुझाव दें। जैसे कि आपने अभी सुझाव दिये हैं। मैं आपका बहुत आभारी होऊंगा कि इस प्रकार से आप सुझाव दें। आप उन स्थानों में जायें जहां कैटिल फार्म हैं। उनको देखें। और सरकार को अपने सुझाव दें।

और इसमें आपका सहयोग बहुत जरूरी है क्योंकि हर घर के अंदर कैटिल होता है, हर घर के अंदर, मैं समझता हूं, लोग कैटिल में दिलचस्पी रखते हैं, इसका हित भी चाहते हैं, इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो सुझाव आज दिये हैं इस अमेंडमेंट के बिल पर, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं यह चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर पशु धन बहुत अधिक है और किसानों का जो बेस है, जो जड़ है, वह मैं समझता हूं, वह पशु धन है। पशु धन की तरक्की नहीं होगी राजस्थान में तो किसान की भी तरक्की नहीं होगी। गांवों के अन्दर पहले बैल काम में आते हैं, उसके बाद में गोबर काम में आता है, उसके बाद में दूध काम में आता है। हमारे किसानों का बेस पशु धन है। पशु धन अगर तरक्की नहीं करेगा, तो मैं समझता हूं कि राजस्थान तरक्की नहीं कर सकता है। मैं चाहता हूं कि आप लोगों का पूरा सहयोग मिले, इस प्रकार पशु धन की हम जितनी तरक्की और उन्नति कर सकते हैं उसमें मैं आपसे पीछे नहीं रहूंगा। उसमें जो सुझाव आप देंगे उनके ऊपर मैं विचार करूंगा। आज बहुत सी चीजें इस संशोधन के सम्बन्ध में आई हैं, इसके साथ साथ बहुत सी राजनैतिक बातें भी कही गई हैं, उनका मैं समझता हूं कि न तो मुझे जवाब देना चाहिए और न जवाब देने की आवश्यकता है। मैं उनका जवाब नहीं देना चाहता····

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह तो मानते हैं कि वह बातें सही हैं ?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (बीकानेर) : कोई सही नहीं है।

श्री मनफूलसिंह : इसके लिए मैं नहीं कहना चाहता कि सही हैं या गलत हैं। जो बात गलत है वह गलत है और गलती करने में मैं भी हूं तो मैं भी उसका दण्ड भुगतूंगा।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि पशु-पालकों के बारे में जो विचार रखे हैं, जो सुझाव दिये हैं उनका मैं आदर करता हूं और उनको जिस तरह भी एक्जीक्यूट किया जा सकेगा उस तरह एक्जीक्यूट करने की कोशिश करूंगा।

श्री श्रवणलाल : उपाध्यक्ष महोदय····

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! कृपया स्थान ग्रहण करें। काफी चर्चा हो चुकी है। तृतीय वाचन पर और चर्चा होगी।

श्री श्रवणलाल : मंत्री महोदय ने बछड़ियों की कीमत के लिए कहा। उन्होंने कहा, आप लिख कर दे दें तो उसके खिलाफ में जांच करूंगा। मंत्री महोदय, यह आपके विभाग के द्वारा दी हुई लिस्ट है, मैं आपके सामने बताऊं कि इसमें तीन बछड़ियों की कीमत 6,100 रुपये की है और एक की 500 रुपये है। इस प्रकार······

श्री रायनारायण चौधरी : मछड़ी नहीं बछड़ी !

श्री श्रवणलाल : तीन तो 6,100 की हैं और एक 500 की है। यह सब एक प्रकार की हैं, एक जगह की हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, रोहतक, हिसार, वहीं से मंगाई है।

श्री मनफूलसिंह : माफ करना। आपको मालूम नहीं है कि नस्ल की चीज क्या होती है। मैं खुद जानता हूं क्योंकि मैं पशुपालक हूं। मैं खुद पशुओं के बारे में अच्छी तरह जानता हूं, नस्ल के बारे में जानता हूं। आप किसी डाक्टर से तजुर्बा करवा लीजिये, मुआयना करवा लीजिये, जांच करवा लीजिये जो नस्ल की चीज होगी उसको आप नहीं पहचान सकेंगे। एक बछड़ी की कीमत एक हजार हो सकती है और एक बछड़ी की कीमत पचास रुपये हो सकती है। मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि एक की कीमत ज्यादा है और एक की कम है एक बैल की जोड़ी की कीमत, एक पशु की कीमत पांच हजार हो सकती है और एक बैल की कीमत सौ रुपये हो सकती है। मैं इसके लिए जांच करवा सकता हूं कि कहां से लाये हैं, किस से लिये हैं, इसके बेकग्राउन्ड की जांच करवा सकता हूं और अगर गलत कार्यवाही होगी तो उसके लिए कार्यवाही कर सकता हूं।

श्री श्रवणलाल : मैं उसके लिए, उपाध्यक्ष महोदय····

श्री उपाध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें काफी चर्चा हो गई है।

श्री श्रवणलाल : इसमें मैं यह कहना चाहता हूं····

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री श्रवणलाल : मंत्री महोदय ने बताया कि अलग नस्ल····

श्री उपाध्यक्ष : इस विषय से सम्बन्ध नहीं है। आर्डर आर्डर !

श्री श्रवणलाल : तीन खरीदी हैं वह एक नस्ल की हैं और एक जगह से खरीदी हैं।

श्री उपाध्यक्ष : इस विवाद का फैसला नहीं हो सकता।

श्री आलम अली : एक बात मैं पूछना चाहता हूं····

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! आसन अपने पैरों पर है। आर्डर प्लीज !

प्रश्न यह है कि इस विधेयक को जनमत जानने के लिए परिचालित करने का जो प्रस्ताव श्री रामकिशन जी ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय।

(श्री उपाध्यक्ष)

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया ।

श्री रामकिशन : यह तो हमने जीतने की इजाजत देदी है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि इस विधेयक को प्रवर समिति को सौपने का जो प्रस्ताव श्री मूलचन्दजी ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

श्री गिरधारी लाल व्यास : विथड्रा कर रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य प्रस्ताव रख कर सदन का समय बरबाद करते हैं। पहले वह रख देते हैं और फिर वापिस ले लेते हैं ।

श्री गिरधारी लाल व्यास : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री रामकिशन : व्यवस्था का प्रश्न है। इसमें जनता का पैसा खर्च होता है ।

श्री मूलचन्द डागा : जो मुद्दे की बात है वह हम जल्दी समझ जाते हैं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आपका प्रस्ताव तो गिरेगा और हमेशा गिरेगा।

श्री रामकिशन : यह मूलचन्द जी की साल भर से यही प्रेक्टिस है। इन रण-छोड़दासजी को कह दीजिये कि इस प्रकार का प्रस्ताव न रखें।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मूलचन्द-जी को अपना प्रस्ताव विथड्रा करने की अनुमति प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई ।

श्री मूलचन्द डागा : मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री रामकिशन : ऐसे वापिस लेते जायेंगे तो वापिस चले जायेंगे सदन से।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

प्रश्न यह है कि विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।

श्री मनफूलसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इसको पास करने का प्रस्ताव मैं प्रस्तावित करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रणजीत सिंह ।

श्री मूलचन्द डागा : यह गाय भैंस रखते हैं ।

श्री रामकिशन : यह पशुपालक बोलेंगे साहब ।

श्री रणजीत सिंह (ओसियां): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल को आज पारित करने का प्रस्ताव किया गया है, एक इसमें कमी रही है, वह यह है कि कितने अर्से के बाद, चार साल के बाद आज नौबत आई है कि यह संशोधन इसमें लाया जाय । अब यह किस कारण से हुआ, इसकी

(श्री रणजीत सिंह)

जब तक जड़ तक नहीं पहुंचें तब तक इस बात का पता नहीं लग सकता कि क्या वजह थी, अब कौनसी आफत आ गई थी पशु धन को, क्या वजह है-इस पर विचार किया जाय तो एक बात मानने के लिए तैयार हूं कि पशुओं का मामला था इसलिए चार साल तक यह फाइल सेक्रेटेरियेट के बीच में घमती रही और इस पर ध्यान नहीं दिया गया। अगर कोई आदमी इसमें होता तो एक साल में निकलवाने की कोशिश करता। इसमें जो संशोधन लाकर चाहा गया है वह पशु मेलों पर संशोधन नहीं लाया गया है क्योंकि आज जब हम पशु का नाम लेते हैं तो वह पशु किन किन जानवरों को माना गया है- उसमें काफी भिन्नता है। आज पशु धन है, जो पशु हैं और उनकी क्या हालत है- यह गांवों में जाकर देखने से मालूम होता है, गांवों में घूमने से मालूम होता है और पशुओं को रखने से मालूम होता है। ऐसी क्यों हालत है ? आज मेले पंचायत समिति लगाती है, पहले चार पांच मेले लगते थे, वह क्यों लगाये जाते थ। वह इसलिए लगाये जाते थे कि पशुपालकों को नजदीक से नजदीक ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिल सके। इस कारण से मेले लगते थे और इस कारण से आज काफी जगह जगह पंचायत समिति मेलें लगाती है। मेलें लगाने का अर्थ यह है कि पशुपालकों को ज्यादा महत्व दिया जाय और उनकी ज्यादा बढ़ोत्तरी की जाय। आज जो मेलों का प्रश्न है, जो मेले लगाते हैं उनके लिए मंत्री महोदय ने फर्माया कि जैसे जैसे मेले तरक्की करते जायेंगे हम पंचायतों को देते जायेंगे। वास्तव में स्थिति यह नहीं है, स्थिति दूसरी ह। जैसे जैसे मेले तरक्की करते जायेंगे, जो पंचायत समिति मेले लगाती है वह तरक्की करेगी, उनकी अगर पच्चीस हजार से ज्यादा आमदनी होगी तो राज्य सरकार उसको हाथ में ले लेगी और उसकी निगरानी राज्य सरकार करेगी, पंचायत समिति नहीं करेगी। इस कारण मेले जो तरक्की कर सकते हैं, उनके तरक्की करने में यह रुकावट है। इससे यह होगा कि पशु मेले लगते हैं, उनके लिए पच्चीस हजार की आमदनी का प्रावधान है, उनकी यदि पच्चीस हजार से पचास हजार आमदनी होगी तो भी वह पंचायत समिति में रहेंगे- यह व्यवस्था नहीं है। इस विधेयक में व्यवस्था यह है कि, इसमें संशोधन यह कर दिया गया है कि हाई कोर्ट ने जो निर्णय से लिया इसको रफा दफा कैसे किया जाय। यह इसके द्वारा इन्तजाम किया जा रहा है। आज पशु कौन हैं, इसके बारे में अलग अलग राय है। पशुपालन विभाग है वह विभाग अलग धारणा रखता है और रेवेन्यू विभाग अलग धारणा रखता है। पशुपालन विभाग सबको पशु मानता है, गाय, बकरी, भैंस, ऊट सबको मानता है। रेवेन्यू विभाग गाय और भैंस के अलावा, बैल और भैंस के अलावा किसी को नहीं मानता है। ऊंट को भी वह पशु नहीं मानता। इतना बड़ा जानवर उनको दिखता नहीं है। और जो पशु हैं, भेड़ हैं उसको पशु नहीं मानता है।

ऊंट, भेड़, बकरी इनको पशु नहीं मानने से पशु धन का और पशुपालकों का कितना नुकसान हुआ है, इसका अन्दाज, इस के असली ब्यौरे का पता तो यदि आप गांवों में जा कर लगायें तो लग सकता है कि इनको पशु नहीं मानने से कितना नुकसान हुआ है। सरकार ने जो कानून बनाया है, जो चरागाह निर्धारित किये हैं, एक मवेशी पर आधा बीघा चरागाह छोड़ा जायगा, इस प्रकार की कानन में जो व्यवस्था है, उसके अनुसार

(श्री रणजीत सिंह)

आज जहां चरागाह का सवाल चलता है तो गाय भैंस को पशु मान कर भेड़, बकरी, ऊंट आदि को इग्नोर कर दिया जाता है कि हमारे यहां ये पशु की डेफिनेशन में नहीं हैं, ऊंट भेड़ बकरी ये पशु में हैं या नहीं, यह हमारे यहां निश्चित नहीं है, हमारे यहां इनको पशु नहीं माना गया है । इस आधार पर भेड़ बकरी आदि के लिए चरागाह मुकर्रर करने से इन्कार कर दिया जाता है । यह अन्तर जब तक नहीं मिटेगा तब तक पशुओं और पशुपालकों का भला नहीं हो सकेगा । जहां तक पशुपालन का सवाल है, हमारे यहां राजस्थान में क्या हालत है, कुछ इलाके ऐसे हैं कि जहां गाय की कीमत, बैल की कीमत अगर पहले 60 रुपया थी तो आज भी उनकी कीमत वही रहेगी जब कि दूसरे इलाकों में बैल की कीमत 5,000) रु० हो सकती है और एक अच्छी गाय की कीमत 500) से 1,000) रुपया तक हो सकती है । तो यह दोष किसका है, यह सरकार का दोष है, विभाग पर इतना खर्चा कर के पशुपालकों के हितों को देखने का सारा जिम्मा विभाग को सौंपा हुआ है ।

पशुपालक का कोई मवेशी बीमार हो जाता है तो वह उसके इलाज के लिए कृषि प्रसार अधिकारी के पास जाता है, कृषि प्रसार अधिकारी हर पंचायत समिति में लगे हुए हैं, कोई ऐसी पंचायत समिति नहीं है, जहां कृषि प्रसार अधिकारी नहीं हो, पर उनके द्वारा किस प्रकार की पशु चिकित्सा की जाती है, इसका एक ताजा उदाहरण मैं आपके सम्मुख रखूं । एक गांव में कुछ बकरियां बीमार हो गई, तो कृषि प्रसार अधिकारी के पास, पंचायत समिति के पास शिकायत की गई, पंचायत समिति ने कृषि प्रसार अधिकारी को उस गांव में भेजा । उसने क्या किया कि उस गांव में जितनी बकरियां थीं, उन सबके इन्जेक्शन लगाया और वे सब की सब बकरियां मर गई । एक गांव में इस तरह से उसने एक साथ 600 से ज्यादा बकरियों को मार दिया । इस पर इन्क्वायरी बैठी कि इसका कारण क्या था तो एन्क्वायरी का नतीजा यह निकला कि इन्जेक्शन दूसरा लग गया । गांव वाले तो आपके इन्जेक्शनों के बारे में समझते नहीं, आपकी जरा सी लापरवाही ने गांव वालों की 600 बकरियों को मार दिया, उस गांव में एक भी बकरी नहीं रखी, तो गांव वालों को क्या आस्था इनके प्रति होगी ।

मेरा तो यह निवेदन है कि यदि वास्तव में आप पशुपालकों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं, हमारे प्रान्त में पशु धन की वृद्धि कर के प्रान्त की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले पशुओं के लिए चरागाहों की तरफ ध्यान दीजिये, इनके लिये चरागाहों का समुचित इन्तजाम कीजिये । चरागाहों का इन्तजाम तभी होगा जब कि भेड़, बकरी आदि को भी पशु माना जायगा। जो पशु मेले भरते हैं, उनमें क्या भेड़ और बकरी नहीं बिकती हैं, पशु मेलों में भेड़ और बकरियां भी बिकती हैं और उनको पशु माना जाता है तो फिर चरागाहों के मामले में आप इनको पशु क्यों नहीं मानते हैं ? यह आपके दो विभागों का झगड़ा है, यदि वास्तव में आप राजस्थान में पशु धन की वृद्धि करना चाहते हैं तो इस अन्तर को सबसे पहले मिटाइये । इस विभाग के मंत्री हैं, वे स्वयं किसान हैं और उन्होंने भी पशु रखे हैं, आज भी वे पशु रखते हैं पर जब तक आप पशुओं के लिये इस अन्तर को मिटा कर पशुओं के लिये

(श्री रणजीत सिंह)

चरागाहों की समुचित व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक न तो पशुपालकों का ही भला हो सकता है और न हमारे यहां पशु धन की तरक्की ही हो सकती। इसी प्रकार से पशुओं के लिए दवाइयों का अच्छा प्रबन्ध जब तक नहीं किया जाता है तब तक पशुओं की तरक्की नहीं हो सकती, ऊंट सबसे बड़ा पशु है, पहले के समय में यदि किसी का ऊंट बीमार हो जाता था तो रेबारी लोग उनके गुल लगाते थे, डाम लगाते थे, उनकी धारणा थी कि इस प्रकार से बीमारी दूर हो जाती है पर आज कल लोगों में यह धारणा है कि यदि कोई पशु बीमार हो जाय तो शफाखाने पहुंच कर उसका इलाज करवाया जाय। आज किसी व्यक्ति का एक ऊंट बीमार हो जाता है तो उसको उसके इलाज के लिए इन्जेक्शन की बहुत बढ़ी चढ़ी कीमत चुकानी पड़ती है, एक इन्जेक्शन जिसकी कीमत डेढ़ रुपया है, वही इन्जेक्शन बाजार में 18 रुपयों में मिलता है। डाक्टर के पास जाते हैं तो डाक्टर तो लिख कर दे देता है कि यह इन्जेक्शन बाजार से ले आओ, मजबूर होकर ऊंट के मालिक को अपने कीमती ऊंट की जान बचाने के लिये उस इन्जेक्शन की कीमत 18 रुपये देनी पड़ती है, जब कि उसकी कीमत वास्तव में डेढ़ रुपया ही है। इसलिये मेरा निवेदन है कि पशुओं के लिये समुचित दवाइयों का प्रबन्ध यदि सरकार करे तो पशुओं की वृद्धि और तरक्की हो सकती है। हमारे यहां का राजस्थान का जो पश्चिमी इलाका है, वहां पर जब तक पशु धन नहीं हो एक आदमी अपना गुजारा नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति अपने कुटुम्ब का निर्वाह नहीं कर सकता। क्योंकि वहां पर एक सावणू की ी फसल होती है, वह भी जब बरसात हो जाती है तो होती है, अगर वहां बरसात नहीं होती है तो वहां के लोगों के लिये जीविका का दूसरा साधन केवल पशु ही हैं, इसके अलावा उनके पास और कोई जीविका का साधन नहीं है। और आज राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में पशुओं की यह हालत है कि उनके लिये चरागाह नहीं, उनके लिये घास का कोई इन्तजाम नहीं। आज हमारे वहां अकाल है पर कई इलाके ऐसे हैं जहां छः छः, सात सात साल से लगातार अकाल पड़ रहा है, उन क्षेत्रों में रोजाना हजारों मवेशी मर रहे हैं, विभाग उन क्षेत्रों में उन पशुओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर रहा है। अकाल की वजह से वहां पशु इतने कमजोर हो गये हैं कि उनको यदि कहीं दूसरी जगह चराने के लिये ले जाना चाहें तो नहीं ले जा सकते, कमजोरी के कारण वे चल नहीं सकते, उनके लिये कोई चारे का इन्तजाम नहीं है, और न उनके लिये कोई दवाई का इन्तजाम है और आप यहां गाथा गाते जायं कि पशुओं को बढ़ाओ, पशु धन की तरक्की करो, इससे किसी प्रकार की भी पशु धन की तरक्की होने वाली नहीं है।

अच्छी नस्ल की छोटी गायें यहां रशिया या आस्ट्रेलिया से मंगवाई गई हैं, उनका एक ही जगह सेंटर रखने से काम नहीं चलेगा, जो हमारे राजस्थान के पशुपालक इलाके हैं, उन इलाकों में इनके सेन्टर्स बनाये जायं ताकि यह पता चल सके कि किस प्रकार की जलवायु में इन अच्छी नस्ल की गायों की तरक्की हो सकती है, आपके विभाग को यह पता चल सके कि किन किन क्षेत्रों में इन अच्छी नस्ल की गायों को किसान रख सकते हैं, इन पर किसान खर्चा कर सकते हैं और इस अच्छी नस्ल के गौधन की वृद्धि और तरक्की कर

(श्री रणजीत सिंह)

सकते हैं और कहां नहीं कर सकते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि पशुपालन के सम्बन्ध में जब तक आप विभिन्न इलाकों का, आबोहवा का निश्चित ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेते कि किन किन इलाकों में इस पशुधन की तरक्की करना संभव है और किन किन इलाकों में इसकी तरक्की करना संभव नहीं है, तब तक पशुओं की तरक्की नहीं हो सकती चाहे आप यह गाथा गाते ही जायं कि हमें पशुओं की तरक्की करनी है, पशुपालकों को लाभ पहुंचाना है ।

अगर आप पशु धन की तरक्की करना चाहते हैं तो इसके लिये सबसे पहले चरागाहों की, चारे की, पशुओं के लिये दवाई की व्यवस्था करना परमावश्यक है । पशु पालक स्वयं बहुत होशियार हैं, उनको किसी प्रकार की अकल देने की आवश्यकता नहीं है, वे पशुओं की तरक्की करना जानते हैं पर पशुओं की तरक्की के जो मूल भूत आधार हैं, मूलभूत साधन हैं, चरागाह, चारा और दवाई, यह साधन आप उनको उपलब्ध करा दीजिये, वे अपने आप पशुधन की तरक्की कर लेंगे । हमारे यहां नागौर और चैत्री के मशहूर पशु मेले हैं, वहां पर पिछले सालों में एक एक बैलों की जोड़ी की कीमत पांच पांच हजार तक पहुंची है, पांच हजार की कीमत वैसे ही नहीं हो जाती है, मवेशी को खूब अच्छी खुराक खिलानी पड़ती है । तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आज पशुपालक अपने पशुधन की तरक्की करना अच्छी तरह से जानता है, उनके पास अच्छे अच्छे साधन उपलब्ध हों तो वे अच्छी से अच्छी नस्ल के पशुओं को पाल सकते हैं, अच्छी से अच्छी नस्ल की तरक्की कर सकते हैं, पर आज उनके पास साधन नहीं हैं । इसलिए मेरा आपसे यही निवेदन है कि पशुओं के लिए घास, चरागाह और दवाई की समुचित व्यवस्था हो जाय तो आगे पशुपालक अपने आप ही सब कुछ कर लेंगे, इसलिए इसमें सुधार किया जाय ।

दूसरा मैंने निवेदन किया कि यह जो दो विभागों के बीच अन्तर है, उस अन्तर को निकाल दें, सरकार भेड़,बकरी को पशु मानती है तो यह अन्तर निकल सकता है । आज पशुपालक अच्छी मात्रा में आये थे, उनका डेपुटेशन चीफ मिनिस्टर साहब से मिला था, आप भी साथ में थे । यह अन्तर नहीं निकालेंगे तब तक न तो पशुपालकों की तरक्की हो सकती है और न पशु धन की ही वृद्धि हो सकती है, इसलिये यह आवश्यक है कि सबसे पहले इस अन्तर को मिटाया जाय । दवाइयां गांवों में उपलब्ध कराई जायं तो पशु धन की तरक्की हो सकती है । आज यदि एक ऊंट बीमार हो गया तो उस ऊंट के मालिक को अपने एक हजार के ऊंट की जान बचाने के लिये मजबूर हो कर डेढ़ रुपये की कीमत वाले इन्जेक्शन की कीमत 18 रुपया चुका कर भी इन्जेक्शन लाना पड़ता है । इस प्रकार की जो मजबूरियां हैं पशुपालकों की, उनको दूर करने की तरफ इस विभाग को ध्यान देना चाहिये ।

पशु धन के लिये इस प्रकार की समुचित व्यवस्थाएं यदि आप कर देंगे तो पशु धन की तरक्की और वृद्धि के लिये और सब काम तो पशुपालक अपने आप ही कर लेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण !

श्री रामनारायण (मंडावा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान में सरकार

(श्री रामनारायण)

द्वारा भराये जाने वाले पशु मेलों के बारे में और दूसरी स्थानीय संस्थाओं द्वारा भराये जाने वाले मेले हैं, उनके बारे में और क्या क्या सुधार किये जा सकते हैं, इसके बारे में अपने विचार रखूंगा ।

राजस्थान सरकार जो पशुओं के मेले भराती है, उनकी दशा अत्यन्त सोचनीय है । उन मेलों के अन्दर किसी भी प्रकार की व्यवस्था अनुकूल व्यवस्था नहीं होने के कारण पशु ले जाने वाले लोगों और पशु खरीदने वाले लोगों को बड़ी भारी तकलीफ होती है । मेले में पानी, दवा, रोशनी आदि की दुर्व्यवस्था है । यह मेलों का दुर्भाग्य है । राजस्थान सरकार इन मेलों के लिए लाखों करोड़ों रुपये स्वीकार करती है और उन लाखों रुपयों का कोई उपयोग नहीं होता है और वे दुरुपयोग में लाये जाते हैं । आप किसी भी उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं जैसा अभी माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि परबतसर में पांच करोड़ के पशु बिकते हैं । उस व्यवस्था को ले लीजिये, न पानी का प्रबन्ध है, न दवा का प्रबन्ध है और न उचित रोशनी का प्रबन्ध है । तमाम व्यवस्थाओं का अभाव रहता है और पशु ले जाने वाले और पशु खरीदने वालों दोनों को दिक्कत होती है । उपाध्यक्ष महोदय, में आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार जो पशु मेला कानून बनाती है उसके अन्दर इस प्रकार की व्यवस्था करें कि पंचायतों, नगरपालिकाओं और राजस्थान सरकार द्वारा भराये जाने वाले मेलों की अलग अलग परिभाषा दी जाय । बहुत बड़े मेले हों उनको सरकार ले और छोटे मेलों को पंचायतों को लेना चाहिए । आज जगह जगह एक एक पंचायत में 10–10 मेले लगते हैं जिसका परिणाम यह होता है कि मेले की आमदनी कम्पीटीशन की वजह से गिर जाती है । छोटे मेलों की व्यवस्था पंचायत समिति द्वारा कराई जानी चाहिये । बड़े मेलों की सरकार की व्यवस्था होनी चाहिये । ग्राम में मेले पंचायत समिति को देना चाहिये ताकि वे सुदृढ़ रूप से भराये जा सकें । यह मेरा आपके माध्यम से सुझाव है । उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के अन्दर हमारे पशुओं की व्यवस्था के बारे में विचार प्रकट किये हैं । हमारी सरकार की तरफ से करोड़ों रुपयों का बजट है । पशु धन के लिये और उसकी नस्ल की तरक्की के लिए । लाखों रुपयों की दवा हमारा विभाग खरीदता है । अभी अभी पंचायत समिति, झुन्झुनू के अन्दर इस समय 50 हजार भेड़ें दवा के अभाव में मर गई डेढ़ लाख भेड़ें थीं जिनमें से 50 हजार भेड़ ऐपेडेमिक बीमारी से मर गईं ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या बीमारी थी साहब ?

श्री रामनारायण : ऐपेडेमिक बीमारी से । एक लाख 50 हजार भेड़ें थीं जिनमें से 50 हजार खत्म हो चुकी हैं । एक पंचायत समिति के ये आंकड़े हैं । उपाध्यक्ष महोदय, कई बार विकास अधिकारी द्वारा लिखा गया है लेकिन उसकी कोई व्यवस्था नहीं हो सकी है । पशुओं को कोई दवा नहीं पिलाई गई । सरकारी अधिकारियों को जो दवा पशुओं को पिलाने के लिये दी गई वह बाजार में बेच दी गई और उसकी जगह पानी में लाल दवा डालकर पिला दी गई इससे पशु मर गये । पंचायत समिति के मारफत (समय समाप्ति-सूचक-घंटी) सम्बन्धित अधिकारी

(श्री रामनारायण)

को दी गई थी। उपाध्यक्ष महोदय, पशु पालन की एक कठिनाई है और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैं जिस जिले से आ रहा हूं वहां पर पशु धन की बहुतायत है और मेरे क्षेत्र में पशु धन ही है जिसके जरिये वहां के लोग कमाते हैं। हमारे यहां अच्छी किस्म की भेड़ें हैं और चौमासे के दिनों में वर्षा ऋतु में हमें ये भेड़ें दूसरे प्रोविन्स में ले जानी पड़ती हैं। पंजाब में ले जानी पड़ती हैं और उसके लिये परमिट लेना पड़ता है। भेड़ें परमिट से जाती हैं और परमिट से ही आती हैं मेरे निर्वाचन क्षेत्र भाग्यसर में भेड़ें पंजाब में गईं। वहां भेड़ें बीमारी की वजह से मर गईं। हजारों भेड़ें खत्म हो जाने के बाद वापिस आईं तो सीमा पर उनसे सेल्स टैक्स मांगा। उपाध्यक्ष महोदय चराने के लिये नजदीक की रियासत में ले जायं और वहां पर बीमारी से मर जायं तो उनका सेल्स टक्स नहीं लिया जाना चाहिये इस बारे में कुछ व्यवस्था होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री आलम अली !

श्री आलम अली खां (फतेहपुर): ईह हाऊस में कोई इसी व्यवस्था दी जाय तो मेरो भी मन दूखे। ऊंटां से ज्यादा काम ले राजस्थान में गरीब आदमी ऊंटां की कीमत गरीब आदमी जाणे है। शायद मंत्री जी सही बात को मने जितो वैरो है उतनो थाने नहीं है। ये तो एक ही फिक्स बात करोला। आकी बात है यो कानून बतायो मगर कोई डिपार्टमेंट कानून नहीं मान। कदै तो रेवेन्यू हाला ने कहवे कदै वन विभाग है जिको नहीं मांने। उपाध्यक्ष महोदय, ऊंट की बात उठाई, ऊंट राजस्था को जहाज है। लड़ाई के काम आवै। लड़ाई के मैदान में काम दे जठे मोटर गाड़ी फैल होवे वठे ऊंट काम देवे। उपाध्यक्ष जी, बहुत ज्यादा शरम की बात है के ऊंट ने पशु नहीं माने। मैं देख्यों हूं कि अंग्रेजां का राज्य काल में ऊंट था वाने वे नहीं जांण्या पर थांने तो आज 21 बरस हो गया राज करता—थाने राजस्थान में राज करता 21 साल हो गई, यांने यो वैरो नहीं पड्यो ऊंट भी अठे है और भेड़ां भी अठे है, बकरी भी है याने यो वैरो नहीं। याने आमदनी की बात जरूर याद आ जाय है खर्चने की बात से दूर रेवे। पशु के पीने के पाणी की बात आवे तो यांने याद नहीं आवे। मैं आज बहुत खुला दिल हूं। चाहे कोई बात मंत्री जी ने कहवे तो वे उल्टी बात करे न की सुल्टी। 21 साल में यांने या बात भी नहीं आवै। थारे बात सुल्टी नहीं लागै।

उपाध्यक्ष जी, मैं कई ऊंट्या का व्यापारी है जिता न जानूं वे ऊंट पालन को काम करे। ये तो मौजां उड़ावे है कदै याने होस्टल में जाता देख्या कदै कठै जाता देख्या। मने आज तक यों वैरो नहीं पड्यों कि वे पूछै क्यों नहीं कि थांरे काई तकलीफ है। गरीब की बात कहवे तो थारे सेक्रेटेरियेट का सब पर्दा बन्द हो जाय और कोई मील की बात करें तो थारे सब पर्दा उठ जाय। भेड़ों का पालक आये तो पर्दा की जंजीर खिंच जाय।

चाहे मायने कुछ भी करें। वीं ने तो जगह दी। बड़ी शर्म की बात है। बकरी का पालन वाला ने जगह नहीं। ऊंट का पालन-वाला ने जगह नहीं। एक भेड़ जकी ऊंचो नाम कर रख्यो है आस्ट्रेलिया में, मुख्य मंत्रीजी कहे कि राजस्थान की भेड़। कई बार देखी। वे पालन समझ गया।

(समय समाप्ति-सूचक-घंटी)

मंत्रीजी ने कहयों चाहूं तड़के चौबीस घंटा में हो जावेगा, नीं तो फिर परसू।

एक बात और याद आगयी। ऊंट का पालनिया तो मां। उपाध्यक्षजी, आप सही बात जाणो हो। वे कतई गलत बात नहीं कहेगा। थें कह सको क्योंकि न्याय की कुर्सी पर बैठया हो। पंचायत समिति में और जगह जाकर देख लो झर लागयो है। न दवाई दी न सूई दी। बाजार में खुली बेंचे है। मंत्रीजी कहे जांच कर सूं। थांरे साथ हो जाऊंगा। नहीं मिल जावे तो मैं फांसी पर चढ़ जासूं। नहीं तो थां चढ़ जासौ। मंत्रीजी वां के वास्ते दवाई दो। ऊंट राजस्थान रे वास्ते मान्योड़ो है, काम देवा वालो है, दवाई दो। ऊंट के वास्त चार वीघा जमीन छोड़ो। आधा वीघा में भैंस। थाने भैंस चाहिजे। भैंस और गाय के वास्ते जमीन बढ़ायी जाय सीकर जिला में चरागाह की जमीन दो। मंत्रीजी किसान का बेटा है। थांरे में कणूंको कै है। ये ही शब्द कह बैठू हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजोरिया।

श्री डूंगाराम राजोरिया (जमवा रामगढ) : उपाध्यक्ष महोदय,

श्री विजयसिंह (मकराना) : उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस में भेड़ां मिल गयीं इसलिये भेड़ें कम हो गई।

श्री डूंगाराम राजोरिया: उपाध्यक्ष महोदय, विधेयक का तीसरा वाचन इस सदन में हो रहा है उस पर निवेदन करना चाहता हूं। मैं निवेदन यह करना चाहता था कि सरकार ने यह एक ऐसा डिपार्टमेन्ट खोल रखा है जिसको पशुओं की बीमारियों और नस्ल सुधारने के बारे में सही बातों पर विचार करना चाहिये और जितने भी जानवर हैं उनको सुरक्षित करने की जिम्मेदारी को सम्हालना चाहिये। अभी थोड़ी देर पहले रामनारायणजी बोल रहे थे। तो उन्होंने कहा था कि मेरे क्षेत्र में एक लाख भेड़ थी उसमें से पचास हजार भेड़ें मर गयीं। मैं कृषि मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि गये सैशन में यह कहा था इससे पहले मंत्रीजी थे वे भी यही कहते थे भारत भर में 60 प्रतिशत भेड़ें राजस्थान में हैं और यह भेड़ों का मुल्क है, हमारे यहां भेड़ें अच्छी होती हैं और ऊन को ठीक करने के लिये आस्ट्रेलिया से भेड़ें भी लाये उससे ऊन भी अधिक होगी। उन भेड़ों को बचाने के लिये आपके डिपार्टमेन्ट ने इन 19 सालों में कोई भी उपाय नहीं किया जिससे कि उनको बचाया जा सके। हर साल ऐसी बीमारियां भेड़ों में होती हैं कि विभाग उनका अध्ययन ही नहीं कर पाया कि बीमारी क्या होती है और उसको रोकने के लिये क्या उपाय करना चाहिये। जो लोग भेड़ों से कमा कर खाते थे जैसलमेर, बाड़मेर साइड में जहां लोग भेड़ों पर ही निर्भर हैं, वे लोग 9 महीने राजस्थान से बाहर रहते हैं और उनको पालने के लिये सारा जीवन उन्हीं के पीछे नष्ट कर देते हैं। आज सरकार उन भेड़ों को बीमारी से बचाने के लिये कुछ नहीं कर रही है? उसने क्या किया उनके लिये? एक भेड़ पालक पांच सो भेड़ें लेकर पालता है लेकिन कभी ऐसी बीमारी आती है कि वे पांच सौ ही भेड़ें खत्म हो जाती हैं। उन भेड़ों को बचाने के लिये और उन भेड़ों के पालकों के लिये सरकार को विचार करना चाहिये। उन्हीं से रोजी कमा कर खाते हैं और वे लोग उन्हीं पर आश्रित हैं।

(श्री डूंगाराम राजोरिया)
पचास प्रतिशत भेडें राजस्थान में इस वर्ष खत्म हो गयीं । पचास प्रतिशत बची हुई हैं । राजस्थान को छोड़ कर और किसी राज्य में ऐसा बवाल नहीं आया । हो सकता है दूसरे राज्यों के पशुपालन विभाग ने कोई ऐसा प्रबन्ध कर रखा हो । वहां कहीं भेडों के ऐसी बीमारी नहीं आयी । तो मंत्रीजी बतावें भेडों को बचाने के लिये आप आगे क्या कार्यवाही करेंगे ? कौन कौन सी बीमारी इनमें आती हैं और कौन कौन सी बीमारी से वे मरती हैं और उनको आगे कैसे बचाया जा सकता है ? मंत्रीजी अपने जवाब में बतावें ।

दूसरी बात यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो शिड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं, मैं भी उसमें आता हूं, उन लोगों के पास बिल्कुल भूमि ही नहीं है । उनमें से कुछ लोग जानवरों पर निर्भर हैं, उनकी दशा ऐसी हो गयी है कि उन जानवरों के चरने के लिये बिल्कुल ही भूमि नहीं है ।

आप कहीं भी जाकर देख लीजिये । मेरे ख्याल में एक जानवर के लिये एक एकड़ भूमि चाहिये·······

श्री उपाध्यक्ष : सदन की अनुमति से समय 5 मिनिट के लिये और बढ़ाया जाता है ।

एक माननीय सदस्य : जब तक यह पूरा न हो जाय तब तक के लिये बढ़ाने की कृपा करें ।

श्री उपाध्यक्ष : इस विधेयक पर काफी चर्चा हो चुकी है । मैं समझता हूं कि इसको आज पास कर दें ।

एक माननीय सदस्य : माननीय मंत्री महोदय इसका उत्तर देंगें·····

श्री उपाध्यक्षः : इसमें कोई खास मसला नहीं है·····

एक माननीय सदस्य : हमने सुझाव दिये हैं । उन सुझावों को राज्य सरकार मानती है या नहीं, यह हम जानना चाहते हैं······

एक अन्य माननीय सदस्य : यह विधेयक जब तक पारित न हो तब तक के लिये समय बढ़ाने का कष्ट करें ।

श्री उपाध्यक्षः : सदन की कार्यवाही कल प्रातः 11-00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 5 बजकर 1 मिनिट पर दिनांक 30-8-68 के प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 59 की सूची)

50 पंचायत समितियों की सूची

जिला अलवर

1 किशनगढ़ बास
2 तिजारा
3 कोटकासिम
4 गोविन्दगढ़
5 खतूमर
6 मंडावर
7 रामगढ़
8 उमरेन
9 राजगढ़
10 रेनी
11 बहरोड़
12 निमराना
13 बान्सूर
14 थानागाजी

जिला भरतपुर

1 डीग
2 वेर
3 कामा
4 बयाना
5 रूपावास
6 धौलपुर
7 कुम्हेर
8 सेवर

जिला सवाई माधोपुर

1 महुवा
2 हिन्डौन
3 गंगापुर
4 करौली
5 सपोटरा
6 टोडाभीम
7 सवाई माधोपुर
8 खंडार
9 बौली
10 नादोती

जिला चित्तौड़गढ़

1 बेगूं
2 चित्तौड़गढ़
3 राशमी
4 कपासन
5 प्रतापगढ़
6 निम्बाहेड़ा
7 भदेसर
8 डूगला
9 छोटी सादड़ी
10 अछनेरा
11 भैंसरोडगढ़
12 भोपालसागर

जिला झालावाड़

1 झालरापाटन
2 खानपुर
3 डग
4 पिरवा
5 बकानी
6 मनोहरथाना

परिशिष्ट 2

(समयाभाव के कारण समय पर न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

मंत्रियों के दौरों पर व्यय

74. **श्री नत्थीसिंह** (भरतपुर): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) 1 अप्रेल, 1968 से अब तक भरतपुर जिले में मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, उप-मंत्रियों एवं संसद सचिवों के कितने दौरे कब कब, कहां कहां और किस किस प्रयोजन से हुए? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) उपरोक्त दौरों पर कितना कितना व्यय राज्य सरकार का हुआ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) उपरोक्त दौरों में से कितने दौरे केवल पंचायत समिति कुम्हेर व नगर द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के लिये किये गये और पंचायत समिति कुम्हेर व नगर को उपरोक्त आयोजनों पर कितना कितना व्यय करना पड़ा?

(दिनांक 12-9-68 के लिये स्थगित किया गया)

सिवाना से समदड़ी ग्रेवल रोड

75. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या सिवाना से समदड़ी ग्रेवल रोड जिला (बाड़मेर) निर्माण की योजना तृतीय पंचवर्षीय योजना में ली गई थी?

(2) यदि हां, तो उसके लिए कितनी राशि किस किस वर्ष में स्वीकृत की गई?

(3) विभाग द्वारा कितने मील सड़क तैयार हुई और कितने भाग में सड़क बनाने का कार्य बाकी है?

(4) क्या विभाग उक्त सड़क निर्माण का कार्य इस साल हाथ में लेगा?

(5) यदि हां, तो कब तक उक्त सड़क का निर्माण हो सकेगा?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) गत चार वर्षों में निम्न बजट प्रावधान था

1965-66	26,629
1966-67	942
1967-68	—
1968-69	—

(3) 8 मील सड़क बन चुकी है। 12 मील बनना शेष है।

(4) जी नहीं।

(5) प्रश्न नहीं उठता।

श्री तेजाजी के मन्दिर के सामने कूड़ा मैला डालने का स्थान

76. **श्री परसराम गंगाराम**(परवतसर-सु.): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि परवतसर के नगरपालिका क्षेत्र में श्री तेजाजी के मंदिर के सामने व पुलिस थाना, परबतसर

(श्री परसराम गंगाराम)
व रेगरों के कुएं व धर्मशाला के सामने सवेरे शहर का कूड़ा व मैला इकट्ठा किया जाता है ?

(2) क्या यह सही है कि नगरपालिका को कई बार शिकायत किये जाने के बावजूद भी इस कूड़े-कचरे को वहां से नहीं हटाया गया है ?

(3) क्या सरकार नगरपालिका को निर्देश देकर इस गंदगी को पवित्र मंदिर के सामने से हटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो यह कार्यवाही कब तक कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(3) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

पुलिस थाना, नौहर में दर्ज मुकदमे का चालान

77. **श्री कदारनाथ** (श्री गंगानगर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि श्री हनुमानसिंह आर्य, गांव जसाना, तहसील नौहर के विरुद्ध थाना पुलिस, नौहर में काफी अरसे से 10,000 रु० (दस हजार) के गबन में 409 का मुकदमा दर्ज है ? यदि हां, तो इनका चालान क्यों नहीं किया जाता और यह मुकदमा कब दर्ज हुआ ?

उत्तर

सब रजिस्ट्रार, सहकारी समिति, गंगानगर की रिपोर्ट पर अभियोग संख्या 9, दिनांक 29-1-67, धारा 406।468 भा० द० सं० थाना नौहर विरुद्ध सर्व श्री हनुमानसिंह व बलवन्तसिंह के दर्ज किया जाकर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। दौराने तफतीश यह अभियोग खयानत का नहीं पाया गया। अतः तफतीश समाप्त करदी गई है।

माउन्ट आबू पर लिकर परमिट

78. **श्री दिग्विजयसिंह** (उनियारा): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) माउन्ट आबू स्थित लिकर परमिट आथोरिटी द्वारा वर्ष 1967-68 व इस वर्ष 1968-69 में अब तक कुल कितने लिकर परमिट जारी किये गये हैं ? कृपया आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

(2) जो परमिट जारी किये गये हैं, उनमें से राजस्थान वासियों व गुजरात वासियों को कितने कितने दिये गये ? कृपया अलग अलग आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि गुजरात में पूर्ण शराबबन्दी होने के कारण वहां परमिट नहीं दिये जाने चाहियें।

उत्तर

(1) माउन्ट आबू स्थित लिकर परमिट आथोरिटी (पर्यटक अधिकारी) द्वारा 1967-68 (1 अप्रेल से 31 मार्च) में 6,483 एवं 1968-69 (1 अप्रेल से 31 जुलाई) में 2 897 लिकर परमिट जारी किये गये हैं।

(2) जो परमिट पर्यटक अधिकारी द्वारा माउन्ट आबू में जारी किये जाते हैं उस रिकार्ड में अभी तक प्रान्तीय वर्गीकर

(पर्यटन मंत्री)

नहीं रक्खा गया है, अतः राजस्थान व गुजरात वासियों के अलग अलग आंकड़े दिया जाना संभव नहीं है।

(3) जी नहीं।

नोहर से सिरसा सड़क

79. **श्री रामचन्द्र आर्य** (नोहर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः–

(1) क्या यह सही है कि तहसील नोहर में लिंक-रोड बनाने की योजना बनाई गई है? यदि हां तो कौन से स्थान से कहां तक व किस गांव को किस रोड से जोडा जावेगा? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि नोहर से सिरसा जाने वाली रोड अधूरी पड़ी है? यदि हां, तो क्यों और कितने मील बाकी है? और वह कब तक पूरी करदी जावेगी?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) नौहर से फेफाना को सड़क पूरी हो गई है शेष कार्य के लिए हरियाना सरकार से पत्र व्यवहार हो रहा है तथा भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की जा रही है।

मंत्रियों क काम करने का समय

80. **श्री विजयसिंह** (मकराना) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) मंत्रियों के लिये काम करने के क्या कोई आधार या सिद्धांत बनाये गये हैं?

(2) प्रत्येक मंत्री को प्रति दिन कितने घण्टे कार्य करना चाहिये?

उत्तर

(1) लिखित आधार बनाना आवश्यक नहीं है।

(2) समय की सीमा नहीं है, अधिक से अधिक काम करना चाहिए।

ब्यावर में पुलिस चौकी के पास शिवमन्दिर का निर्माण

81. **श्री फतेहसिंह** (ब्यावर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः–

(1) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ब्यावर में पुलिस चौकी रेल के पास हाल ही में एक नये शिव मन्दिर का निर्माण किया गया है?

(2) क्या यह मन्दिर राष्ट्रीय मार्ग के सेन्टर से केवल 30 फीट की दूरी पर है?

(3) क्या इस मन्दिर के निर्माण के लिए सरकारी स्वीकृति प्राप्त की गई थी?

(4) क्या यह बात सही है कि इस मन्दिर का निर्माण रेल चौकी के हैड कान्सटेबिल ने राष्ट्रीय मार्ग से गुजरने वाले लोडिंग ट्रक्स के मालिकों अथवा ड्राइवरों से धन प्राप्त करके किया है?

उत्तर

1 जी हां।

2 जी हां।

3 जी नहीं।

4 जी नहीं।

मंत्रिमंडल के सदस्यों की सम्पत्ति

82. **श्री रामकिशन** (वैर) : **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान के मंत्रिमण्डल के सभी सदस्यों ने राज्य के मुख्य मंत्री के पास अपनी अचल व चल सम्पत्ति का पूरा ब्यौरा दे दिया है ? अगर हां, तो कृपया उसे सदन की मेज़ पर रखा जाय ।

(2) मुख्य मंत्री स्वयं की चल व अचल सम्पत्ति 1950 में क्या थी और आज क्या है ? पूर्ण विवरण सदन की मेज़ पर रखने की कृपा करें ।

(3) क्या राज्य सरकार को अम्बूड्समेन के आधार पर भ्रष्टाचार विरोधी आयोग के गठन में कोई आपत्ति है ? अगर हां, तो क्या ?

(4) माह अप्रेल, 1967 में दिल्ली में आयोजित मुख्य मंत्री सम्मेलन में राजस्थान सरकार की ओर से भ्रष्टाचार निरोधक आयोग के सिलसिले में क्या विचार रखे गये थे ? कृपया सदन को उनसे अवगत कराया जावे ।

उत्तर

(1) जी हां, कुछ सदस्यों से प्राप्त नहीं हुए हैं जो मंगवाये जा रहे हैं, लेकिन उनको सदन की मेज़ पर रखना आवश्यक नहीं है ।

(2) सदन में इस विवरण को रखना आवश्यक नहीं है ।

(3) इस प्रश्न पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

(4) दिल्ली में मुख्य मंत्री सम्मेलन 9 अप्रेल 1967 को हुआ था । उस समय राजस्थान में राष्ट्रपति शासन था । इस सम्मेलन में इस सम्बंध में कोई मत व्यक्त नहीं किया गया ।

थाना पाटन द्वारा पकड़ी गई जीप व ट्रक

83. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 23 व 24 अप्रेल, 1967 के बीच की रात को थाना पाटन, जिला सीकर ने एक भरा ट्रक ज्वार और एक जीप को राजस्थान से बाहर ले जाने की गर्ज से जाते हुए पकड़ा ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त जीप से श्री मालीराम मास्टर नामक एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया ?

(3) क्या यह सही है कि दूसरे दिन सुबह डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, थानेदार, थाना नीमकाथाना पाटन के पुलिस थाने में गए और उक्त मालीराम मास्टर को छुड़ा दिया ? यदि हां, तो उक्त श्री मालीराम को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने कैसे छोड़ा ?

(4) क्या यह सही है कि स्थानीय डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस के बारे में सरकार के सामने यह तथ्य आये हैं कि उक्त अफसर तस्करियों के बड़े गिरोह से मिला हुआ है और उसने 32 ट्रक अनाज के इसी प्रकार भरे हुए राजस्थान से बाहर निकलवाये हैं ?

(5) क्या सरकार ने इस सम्बंध में कोई जांच की है ? यदि हां, तो जांच का परिणाम क्या निकला ?

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

(6) क्या सरकार ने इस तस्कर व्यापार के सम्बंध में किन्हीं पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कोई एक्शन लिया है ? यदि हां, तो किस किसके खिलाफ और क्या क्या एक्शन लिया है ?

उत्तर

1. दिनांक 24 व 25 अप्रेल 67 के बीच की रात को (न कि दि० 23 व 24-4-68 की रात को) थाना पाटन जिला सीकर ने एक जीप (आर. जे. पी०891) व एक ट्रक (आर० जे० पी० 785) जिसमें 50 बोरी ज्वार की लदी हुई थी को राजस्थान से बाहर ले जाने की गरज से जाते हुए पकड़ा था ।

2. मालीराम मास्टर का जीप में होना पाया जाता है किन्तु उसे गिरफ्तार करना नहीं पाया जाता ।

3. दिनांक 25-4-67 को पुलिस उप-अधीक्षक का लगभग 11 बजे प्रातः एस० एच०ओ० नीम-का थाना के साथ थाना पाटन पर जाना पाया गया । मालीराम को छुड़ाने का प्रश्न पैदा नहीं होता, क्योंकि वह गिरफ्तार नहीं किया गया था ।

4. यह सही नहीं है ।

5. जी हां, शिकायत प्राप्त होने पर जांच से उक्त अभियोग में थानेदार पुलिस थाना पाटन व नीम-का-थाना व डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस नीम का थाना द्वारा अनुसंधान में अनियमितताएं करने व असली मुलजिमान के विरुद्ध कार्यवाही न करने का हाथ पाया गया ।

6. श्री गोपीलाल अचारज, पुलिस अधीक्षक नीम-का-थाना, श्री मानचन्द्र भारसाधक अधिकारी नीम-का-थाना व श्री बालूराम भारसाधक अधिकारी पाटन के विरुद्ध विभागीय जांच करने का प्रश्न विचाराधीन है । इस प्रश्न पर अन्तिम निर्णय मुलजिमान के खिलाफ चल रहे कोर्ट केस में फैसला होने पर लिया जा सकेगा ।

शीतला माता के मेले पर बसों का किराया

84. **श्री जय नारायण सालोदिया** (निवाई): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 21-3-68 से दिनांक 22-3-68 तक चाकसू में शीतला माता के मेले पर पथ परिवहन निगम की बसों के द्वारा जयपुर से निवाई तक चालीस मील यात्रा करने पर 2 रु. 50 पैसे के स्थान पर 3 रु० 50 पैसे लिये गये हैं ? यदि हां, तो एक रुपया प्रति सवारी ज्यादा लेने का कारण क्या है ?

(2) उक्त बसों द्वारा कितनी सवारियों को मेले में पहुंचाया गया था और कितनी अतिरिक्त (एक्स्ट्रा) बसों की व्यवस्था की गई थी ?

उत्तर

(1) शीतला माता के मेले में जो बसें चलाई गई थीं वे द्रुतगामी बसें (एक्सप्रेस) थीं । इसलिए सरकार के आदेशानुसार द्रुतगामी बसों का किराया ही वसूल किया गया । यह व्यवस्था मेले आदि अवसरों के लिये है । जहां आते जाते दोनों ओर से सवारियां नहीं मिलतीं ।

(यातायातमंत्री)

(2) जो गाडियां मेले के लिये लगाई गई थीं उनके द्वारा 27,070 यात्री लाये एवं ले जाये गयें । इन अतिरिक्त बसों की संख्या 70 थीं।

नगरपालिका सेवाओं का एकीकरण

85. **श्री गंगासहाय** (कठूमर-सु.) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान म्यूनिसिपल सर्विसेज का इन्टीग्रेशन करने के रूल्स सन् 1961 में गजट में प्रकाशित किये गये थे ?

(2) इन सर्विसेज के एकीकरण में इतना विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) जी हां। किन्तु उन्हें निरस्त किया जाकर नये नियम बनाये गये जो राजस्थान राज-पत्र में दिनांक 28-10-63 को प्रकाशित हुए ।

(2) यह सही नहीं है कि एकीकरण के कार्य में विलम्ब हो रहा है । इस सम्बंघ में नियमानुसार कार्यवाही प्रगति पर है और शीघ्र ही अन्तिम निणय लिया जाने वाला है।

पाकिस्तानी सेना व मुजाहिदों का साथ देने वालों के विरुद्ध कायवाही

86. **श्री भैरोंसिह शेखावत** (किशनपोल, जयपुर) :

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सन् 65 के भारत-पाक संघर्ष के समय किन किन व्यक्तियों ने पाकिस्तानी सेना व मुजाहिदों का साथ दिया और हमारे क्षेत्र की जनता की लूटमार में शामिल हुए ?

(2) इन व्यक्तियों में किन किन के विरुद्ध अब तक क्या क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(दिनांक 12-9-68 के लिए स्थगित किया गया)

अलवर शहर में मोटर स्टेन्ड व डिपो के लिये भूमि

87. **श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** (बान्सूर): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अलवर शहर में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने मोटर स्टेण्ड व डिपो बनाने के लिए कितनी जमीन कब एक्वायर की है ?

(2) क्या स्थाई मोटर स्टेण्ड के निर्माण का ठेका दिया गया है और फिर भी कार्य अधूरा पड़ा हुआ है ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है ?

(3) अब यह निर्माण कार्य कब तक पूरा कराया जावेगा ?

उत्तर

(1) दिनांक 8-7-61 को 23 बीघा 7 बिस्वा जमीन एक्वायर की गई थी ?

(2) जी नहीं । मोटर स्टेण्ड पहले से ही बना हुआ है ।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता ।

परिशिष्ट (3)

(अतारांकित प्र० सं० 82 की सूची)

LIST OF ALLOTTEES WHO WERE ALLOTTED CARS TWICE IN LAST 5 YEARS

S. No.	Months & years	Name of allottee.
1.	Feb.-April, 65 Aug.-Oct.,67	Sh. Ram Niwas Mirdha, Speaker. „
2.	Feb.-April, 63 Feb.-April, 65	Sh. Mathura Dass Mathur, Minister. „
3.	May-July, 64. Nov.-Jan. 67-68	Sh. Z. S. Jhala, Food Commissioner. „
4.	Feb.-April, 63 Feb.-April, 65	Sh. Balkishan Kaul, Minister. „
5.	Aug.-Oct., 66 Nov.-Jan., 67-68	Sh. Amrit Lal Yadav, Minister. „
6.	Aug.-Oct., 64 May-July, 68	Sh. S. P. Singh Bhandari, Secy. to Govt. „
7.	Nov.-Jan., 64-65 May.-July, 68	Sh. N. N. Acharya, Speaker. „
8.	Nov.-Jan.,64-65 May. July,68	Sh. Barkat ullah Khan, Minister. „
9.	Nov.-Jan.,65-66 Feb.-March, 68	Sh. Brijsundar Sharma, Education Minister. „
10.	Aug.-Oct ,63 Aug.-Oct.,68	Sh. Leharsingh Mehta, Law Secy. Now Justice, High Court, Jodhpur. „

परिशिष्ट (4)

(अतारांकित प्र० सं० 85 की सूची)

प्रपत्र 'अ'

अनुमानित लाभ हानि का ब्योरा 1964-65 से 1966-67 तक

नाम		Cost			जमा
कुल ऊन की खरीद		1,21,19,945	ऊन की बिक्री		94,55,783
63-64	26,480		ऊन के बोरों की कीमत व डिलिवरी खर्च की प्राप्ति		2,76,768
64-65	13,32,100		बाकी स्टाॅक		14,70,045
65-66	49,20,025		प्रसार केन्द्रों पर	5,18,920	
66-67	58,41,340		ग्रेडिंग सेन्टरों पर	9,51,125	
	1,21,19,945			14,70,045	
कार्यालय खर्च व कर्मचारियों की तनख्वाह तथा भत्ते		9,72,145	अनुमानित हानि		22,76,827
ऊन खरीद पर पूंजी की लागत पर ब्याज		3,87,333			
योग ..		1,34,79,423			1,34,79,423

प्रपत्र 'ब'

ऊन की खरीद में लागत

वर्ष	लागत (लाख रु०)
1963-64	0.26
1964-65	13.32
1965-66	49.20
1966-67	58.41
1967-68	58.73
	179.92

प्रपत्र 'स'

वर्ष	ऊन खरीद	ऊन की बिक्री
1963-64	26,480	..
1964-65	13,32,100	..
1965-66	49,20,025	30,63,335
1966-67	58,41,340	55,91,381
1967-68	57,05,000	34,04,724
1968-69	4,50,000	11,69,930
योग ..	1,82,74,945	1,40,29,360

परिशिष्ट (5)

(अतारांकित प्रश्न संख्या 88 की सूची)

परिशिष्ट 'अ'

सूची माल जो हिन्डौन ब्रान्च दुकान में बाढ़ आने के कारण पानी से खराब हुआ

क्रम सं०	नाम वस्तु	वजन	दर	कीमत	विवरण
1.	पापड़	10 किलो	3.20	32.00	
2.	पापड़	9½ किलो	2.60	26.60	
3.	दाल चना	176 किलो	83.70	127.33	
4.	दाल उड़द मोगर	512 किलो	209.50	1,072.64	
5.	दाल उड़द छिलका	280 किलो	186.00	520.80	
6.	चावल सेला	110.50 किलो	184.00	202.50	
7.	अमचूर	6 किलो	1.45	8.70	
8.	तेल तिल्ली सरसों	3 पीपे 2¾ किलो	84.75	268.00	
9.	दाल अरहर	186 किलो	144.00	267.84	
10.	मलका मसूर	96-450	148.00	142.74	
11.	दाल मूंग मोगर	479-150	176.00	843.30	
12.	दाल मूंग छिलका	97¾ किलो	166.00	162.26	
13.	सेल एवरेडी—712	7 सेल	0.70 पैसे	4.90	
14.	चाय ल'ओजी 250 ग्राम पेकेट	10	2.50	25.00	
15.	ब्रुक ब्राण्ड 100-50 ग्राम पेकेट	68	0.75 पैसे	51.00	
16.	रेड लेबल 500 ,,	1	5.25	5.25	
17.	चाय 5 पैसों वाली	17	0.5 पसे	0.85 पैसे	
18.	रिकार्ड ब्लेड	78	0.8 पसे	6.24	
19.	भारत ब्लेड	125	0.5 पैसे	6.25	
20.	राइस पेपर	11 रीम	5.25	57.75	
21.	लक्स साबुन	142	5 प्रतिशत	7.10	
22.	सनलाइट	26	5 प्रतिशत	1.30	
23.	स्टेशनरी	633-75	50 प्रतिशत	317.00	
24.	साबुन मोदी सोप संख सोप	लागत 500	25 प्रतिशत	125.00	4,282.35

शुद्धि-पत्र

(बृहस्पतिवार, दिनांक 29 अगस्त, 1968)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति- संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1	2	3	4
1	10	पशपालन	पशुपालन
,,	अन्तिम से 7	समिति	समितियां
9	,, 10	श्री मुल्कराब थिन्द	श्री मुल्कराज थिन्द
13	,, 5	हुग्रा	हुआ
22	18	ऊ	ऊंट
24	अन्तिम से 3	व पेन्शन ग्रेचुएटी	पेन्शन व ग्रेचुएटी
26	17	डकती	डकैती
31	6	मादमी	आदमी
,,	अन्तिम से 11	श्री हारालाल देवपुरा	श्री हीरालाल देवपुरा
32	11	ह	है
40	8	पॅर	प्रॉपर
,,	9	ह	है
41	17	के के	के
43	शीर्षक	9 अगस्त	29 अगस्त
,,	3	सामान	सामने
44	18	ह	है
46	अन्तिम से 5	व्यवस्थ	व्यवस्था
4	,, 11	पयटन	पर्यटन
51	,, 4	(हंसी)	—
56	6	हुवा	हुआ
65	शीर्ष	(श्री चुन्निलाल इन्दलिया)	(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)
65	अन्तिम से 11	स	से
67	2	भ्रष्टचार	भ्रष्टाचार
,,	9	हग्रा	हुग्रा
,,	अन्तिम से 6	ग्रायुवदिक	आयुर्वेदिक
72	,, 4	ह	है
74	,, 4	पशग्रों	पशुग्रों
,,	,, 3	परिशिष्ठ	परिशिष्ट
77	14	मल्य	मूल्य
81	शीर्ष	(श्री ग्रध्यक्ष)	(श्री अध्यक्ष)
87	12	म	मैं
89	18	ह	है
90	अन्तिम से 12	पड़गा	पड़ेगा
,,	,, 7	इल	इस
91	12	यह	यहां
98	अन्तिम से 16	भता	भत्ता

1	2	3	4
98	अन्तिम से 14	प्रकश	प्रकाश
99	17	म	में
101	शीर्षक	प्रस्तामों	प्रस्तावों
103	,,	(श्री उपाध्यक्ष पदासीन)	(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष पदासीन)
115	अन्तिम से 10	श्री ब्रजसुन्दर शर्मा	श्री ब्रजसुन्दर शर्मा
117	,, 11	लगा	लूंगा
,,	,, 4	म	में
119	8	ब्रद	बाद
121	2	डढ	डेढ
123	7	कांग्रस	कांग्रेस
,,	12	अप	अपने
130	अन्तिम से 4	म	में
131	3	ह	हैं
,,	4	ोहनलाल सुखाड़िया	मोहनलाल सुखाड़िया
133	17	आकषर्ण	आकर्षण
136	18	टक्स	टैक्स
137	अन्तिम से 14	एसा	ऐसी
,,	,, 2	ह	है
143	,, 11	सर ार	सरकार
144	8	दुकानें	दुकानों
,,	अन्तिम से 13	ह	है
147	,, 3	ने	द्वारा
149	7	श्री (रामकिशन अनुपस्थित)	श्री रामकिशन (अनुपस्थित)
,,	14	incluing	including
157	अन्तिम से 9	कसी	किसी
160	,, 3	जरु ी	जरुरी
172	1	काय-क्रम	कार्य-क्रम
182	17	से से	से
191	10	ेलीफोन	टेलीफोन
201	8	घमती	घूमती
,,	अन्तिम से 15	थ	थे
202	अन्तिम	नन	कानून
211	,,	राजस्था	राजस्थान
221	अन्तिम से 13	श्री कदारनाथ	श्री केदारनाथ
223	5	क	के
229	8	मत्री	मंत्री
,,	13	गय	गये
,,	अन्तिम से 8	कायवाही	कार्यवाही